इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गये विचार संबंधित लेखकों के हैं । यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय उन विचारों से सहमत हो ।
इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संपादक - मंडल

संपादक

सी.आर. गोपालसुंदरम
प्रधानाचार्य और मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य

एन. पी. सिन्हा
मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

के. सी. चौधरी
सचिव, भारतीय बैंक संघ, मुंबई

एन. एस. मिश्रा
महा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

पी. डी. लखनपाल
मुख्य (राजभाषा), पंजाब नेशनल बैंक,नई दिल्ली

बसुनायक द्विवेदी
मुख्य प्रबंधक, देना बैंक, मुंबई

एस. जी. नाडगोंडे
उप महा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

डॉ. श्रीनिवास द्विवेदी
महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. राजेश्वर गंगवार
महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

वि. अ. कर्णिक
उप प्रधानाचार्य और महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

यू. एस. पालीवाल
उप महा प्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य-सचिव

सावित्री रा. सिंह
प्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग
दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028.

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषयसूची

पृष्ठ सं.

संपादकीय 1

अनुचिंतन 3

लेख

- कंप्यूटरीकृत वातावरण में आपदा निवारण – श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता 4
- ग्रामीण ऋण संवर्धन – कुछ मानवीय समस्याएँ – डॉ. बी. बी. सिंह 8
- बैंकिंग उद्योग में अनर्जक परिसंपत्तियों की समस्या – श्री गौरी शंकर भैया 11
- एक्जिम बैंक : अंतिम लक्ष्य की तरफ अग्रसर – श्री एम. पी. सैनी 16

बैंकिंग परिदृश्य 20

- कंप्यूटर परिभाषा कोश 23
- वर्ष 2001-2002 के लिए मौद्रिक तथा ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा 27
- बैंक क्रेडिट की सुपुर्दगी के लिए ऋण–व्यवस्था 32

पुरस्कृत निबंध

- बैंकिंग उद्योग में अनर्जक परिसंपत्तियों (एन पी ए) की समस्या – श्री राजेन्द्र सिंह 33

महत्वपूर्ण परिपत्र 44

पुस्तक समीक्षा 53

लेखकों से 56

संपादक, मुद्रक और प्रकाशक श्री सी. आर. गोपालसुंदरम, बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग, दादर(पश्चिम), मुंबई - 400 028 द्वारा प्रकाशित तथा मयूर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मुंबई - 400 001 में मुद्रित ।
इंटरनेट http://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध ।
ई मेल/email: *bca_rajbhasha@hotmail.com*

विधिक सुधार

बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख विधिक सुधार शुरू किये गये जिनमें जमानत संबंधी कानून, परक्राम्य लिखत अधिनियम, बैंकों में धोखाधड़ी, बैंकिंग का विनियामक ढांचा जैसे क्षेत्र शामिल थे। विधिक सुधारों के लिए उठाए गए विविध कदमों से संबंधित आगे की प्रगति निम्नानुसार है :-

- सरकार ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के उपबंधों में परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए जो कार्यदल गठित किया था, उसने अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुशंसा भी की है कि चेकों और इलेक्ट्रॉनिक चेकों का संक्षेपण किया जाए और इसके लिए उपयुक्त विधिक संशोधन किए जाएं। परिसंपत्ति प्रतिभूतीकरण संबंधी कार्यदल ने परिसंपत्ति प्रतिभूतीकरण पर एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है जो सरकार के विचाराधीन है। न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूतियां अपने कब्जे में लेने और उन्हें बेचने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अधिकार देने के लिए सरकार द्वारा गठित एक अन्य कार्य दल ने जो प्रारूप विधान तैयार किया है, उसे जनता की राय जानने के लिए अगस्त 2001 में भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इसका प्रारूप विधेयक सरकार के विचाराधीन है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन, लोक ऋण अधिनियम, 1944 के बदले सरकारी प्रतिभूति विधेयक संबंधी प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन हैं।

- भारत में भुगतान प्रणालियों पर कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय भुगतान परिषद के साथ परामर्श करके एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता तथा एक प्रतिष्ठित भारतीय प्रारूपकार को नियुक्त किया है।

- बैंक धोखाधड़ियों पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष-डॉ. एन. एल. मित्रा) ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को सितंबर 2001 में प्रस्तुत की जिसे बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। समिति ने जांच करके बैंक धोखाधड़ियों के लिए प्रतिरोधक और समस्या निवारक उपाय सुझाये हैं। इस समिति ने जो महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की हैं उनमें वित्तीय धोखाधड़ी को आपराधिक कृत्य के रूप में शामिल करने की आवश्यकता तथा वित्तीय धोखाधड़ी पर एक नया अध्याय शामिल करके भारतीय दंड संहिता में संशोधन करना, आरोपित व्यक्ति पर साक्ष्य का भार अंतरित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करना तथा वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल संपत्तियों और जब्तशुदा गैर-कानूनी लाभों का अंतरण करने के लिए आपराधिक क्रियाविधि की संहिता में विशेष उपबंध करना; तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सर्वोत्तम संहिता-क्रियाविधियां विकसित करने सहित प्रतिरोधक उपाय करना शामिल हैं। इस रिपोर्ट की भारतीय रिज़र्व बैंक जांच कर रहा है।

(स्रोत : क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू के अक्तूबर 2001 अंक से साभार)

इस अंक के लिए संपादक मंडल की बैठक दिनांक 19 अक्तूबर 2001 को संपन्न हुई। इसमें महाविद्यालय से सम्बद्ध संकाय सदस्य सर्वश्री शरदकुमार, डी. जी. काले और एस. मौर्य का योगदान रहा और राजभाषा कक्ष से सम्बद्ध स्मिता आपटे, गौरी करंदीकर, एम. वी. चांदनानी और रुपाली आंबेकर का सहयोग प्राप्त हुआ।

बैं प्र म का फैक्स नंबर 430 38 82

पंजीकरण सं. **470 43/88**

युद्ध में शामिल होना धर्म के विरुद्ध आचरण करना है। युद्ध हमसे हमारी इंसानियत को ही छीन लेता है।

- डॉ. राधाकृष्णन

संपादकीय

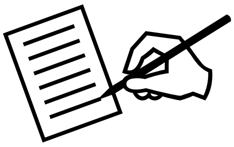

इस स्तंभ में मैं आपके साथ काले धन को वैध बनाने की बढ़ती हुई भयावह स्थिति पर चर्चा करना चाहता हूं जो न केवल बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर अपितु पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रही है । हाल ही में अमेरिका में विश्व व्यापार केन्द्र के दोनों टॉवरों के हुए विनाश और पूरे विश्व में लगातार हो रहे अन्य भयावह आतंकवादी हमलों के लिए आतंकवादी दलों द्वारा धन का प्रयोग किया जाता है । ऐसे दल अपराध करने के लिए नियमित रूप से अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग करते हैं । काले धन को वैध बनाना यह एक गंभीर, अत्यधिक विकृत और जटिल आपराधिक गतिविधि है । काले धन को वैध बनाने का अर्थ है अवैध रूप से प्राप्त धन को इस तरह से 'वैध बनाना' जिससे यह प्रतीत हो कि वह धन वैध स्रोत से ही प्राप्त हुआ है । विश्व भर में काले धन को वैध बनानेवाले व्यक्ति मादक द्रव्यों/शस्त्रों के व्यापार, आतंकवाद और जबरन वसूली जैसी गतिविधियों से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों को छिपाने के लिए काले धन को वैध बनाते हैं । यद्यपि काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया बहुविध और अक्सर जटिल होती है तथापि मूलतः इसकी तीन स्वतंत्र अवस्थाएं होती हैं जिन्हें 'नियोजन' (अवैध गतिविधि से प्राप्त थोक नकदी को प्रत्यक्ष रूप से खर्च करना) 'स्तरीकरण' (अवैध प्राप्तियों को उनके मूल स्रोत से अलग करने के लिए वित्तीय लेनदेनों के जटिल स्तरों का निर्माण करना ताकि वे लेखा परीक्षा से छिपे रहें और उनका पता न लगाया जा सके) और 'एकीकरण' (वैध बनाए गए धन को अर्थव्यवस्था में पुनः इस तरह से लगाना जिससे वह वित्तीय प्रणाली में सामान्य कारोबारी निधियों की तरह फिर से शामिल हो सके) कहा जाता है । ऐसा अनुमान है कि बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से हर वर्ष लगभग एक ट्रिलियन डालर की अवैध निधियों को वैध बनाया जाता है ।

इसके लिए विशेष रूप से बैंक और वित्तीय संस्थाओं का सहारा लिया जाता है क्योंकि आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त राशि बैंकों में भारी नकदी जमाराशि के रूप में रखी जा सकती है । इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि बैंक अधिकारी भारी नकदी जमाराशि के साथ खाता खोलनेवालों के साथ और संदेहास्पद लेनदेनों को रोकने के लिए निरंतर सावधानी बरतें । इसके अलावा, काले धन को वैध बनाने के कारण किसी भी देश की राजकोषीय/मौद्रिक नीतियां भी प्रभावित हो सकती हैं ।

काले धन को वैध बनाने की आज की इस प्रक्रिया की शुरुआत बहुत पहले 'हवाला प्रक्रिया' से हुई जिसके द्वारा काले धन को आसानी से वैध धन में परिवर्तित किया जाता था । हवाला प्रक्रिया में वास्तविक रूप में कागजों का कोई प्रयोग नहीं होता है जिसकी जांच पड़ताल की जा सके । हवाला रैकेट में शामिल व्यक्तियों को प्रत्येक लेनदेन में काफी धन मिलता है । इससे प्राप्त लाभ को वैध बनाने के लिए उसका गुप्त रूप से स्थावर संपदा, श्रेष्ठ प्रतिभूति, आदि में निवेश कर दिया जाता है । इस संबंध में ग्राहक पहचान, कानून का पालन, कानून लागू करनेवाले प्राधिकारियों के साथ सहयोग और रिकार्ड का रखरखाव तथा प्रणाली - जैसे चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करनेवाला बास्ले सिध्दांत महत्वपूर्ण हो जाता है । मादक पदार्थों के व्यापार जैसी आपराधिक गतिविधियां नकदी लेनदेन के माध्यम से बेनामी कारोबार का रूप अख्तियार कर लेती हैं । आम तौर पर मादक पदार्थों के कारोबार में नकदी का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें काले धन को वैध बनानेवाले व्यक्तियों की पहचान छिपाए रखने की अपार संभावना होती है, जो चेक या अन्य कागजी लिखतों के मामले में संभव नहीं है । इसके अलावा यह अपने

पीछे लेखा-परीक्षा के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ता । काले धन को वैध बनानेवाले व्यक्ति नकदी जमाराशि, जाली कारोबार और वैध कारोबार से अर्जित नकदी का प्रयोग करते हैं । बैंकों को दो तरह की दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, एक ओर तो उन्हें असामान्य मुद्रा लेनदेनों को पहचानने और उससे जुड़े खतरों से दो चार होना पड़ता है तो दूसरी ओर मौद्रिक लिखतों, इलेक्ट्रॉनिक अंतरणों, असामान्य संपार्श्विक और ऋण भुगतानों का सामना करना पड़ता है । विदेशों में कानूनी प्रणाली ऐसी है कि उसके तहत उन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके कर्मचारी काले धन को वैध बनाने की गतिविधियों में लिप्त पाए जाएं । विश्व भर में केन्द्रीय बैंक रिकार्ड के रखरखाव, रिपोर्टिंग, खाता खोलने और लेनदेन पर निगरानी रखने के लिए मानदंड लागू कर रहे हैं और प्रचलित मानदंडों को मजबूत कर रहे हैं । बैंकों के कर्मचारियों को संदेहास्पद लेनदेनों को पहचानने के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है । काले धन को वैध बनाने के शिकंजे से बचने के लिए बैंक अधिकारियों को अनिवार्य रूप से दो महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होगा : अपने ग्राहक को जानो और अपने कर्मचारी को पहचानो ।

बास्ले, स्विट्ज़रलैण्ड में दिसंबर 1988 में हुई जी 10 देशों की बैठक में काले धन को वैध बनानेवाले व्यक्तियों से होनेवाले खतरों पर विचार किया गया और तदनुसार बैंककारी विनियमन और पर्यवेक्षी कार्यप्रणालियों की समिति (कमिटी ऑन बैंकिंग रेग्युलेशन्स एण्ड सुपरवाइजरी प्रॅक्टीसेस) द्वारा कुछेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए । इस समिति में बेल्जियम, कनाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैण्डस, स्वीडन, स्विट्ज़रलैण्ड और अमेरिका के केन्द्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल थे । उक्त निर्णयों को अब बास्ले सिध्दांतों के नाम से जाना जाता है और ये सिध्दांत काले धन को वैध बनाने के लिए बैंकिंग प्रणाली के दुरुपयोग पर रोक लगाते हैं । बास्ले सिध्दांतों में ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं काले धन को वैध बनाने के शिकंजे से बच सकती हैं । ये सिध्दांत केवल मादक पदार्थों के व्यापार से संबंधित काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं हैं अपितु ये बैंकिंग प्रणाली - जमा, अंतरण के माध्यम से और / या डकैती, आतंकवाद, धोखाधड़ी जैसी अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन को छिपाने जैसे सभी पहलुओं को कवर करते हैं ।

हमारे देश में कुछ ऐसी बैंकिंग कार्यप्रणालियां / कानून मौजूद हैं जो देश में काले धन को वैध बनाने की गतिविधियों की संवृध्दि पर रोक लगाने का कार्य करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं : बैंक खाता खोलने से पहले भावी ग्राहकों की पहचान करने की मौजूदा प्रणाली; न्यायालय, पुलिस, आयकर अधिकारियों आदि द्वारा बैंक के ग्राहकों के खातों की आपराधिक जांच पड़ताल करने की अनुमति और "बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891" तथा "बैंककारी कंपनी (अभिलेखों का परिरक्षण) नियमावली, 1985", आदि जैसे सांविधिक प्रावधान जो आपराधिक जांच पड़ताल करने की अनुमति देते हैं ।

हम आशा करते हैं कि जल्द ही देश में काले धन को वैध बनाने का निरोधक बिल कानून के रूप में लागू किया जाएगा । यद्यपि काले धन को वैध बनाने का निरोधक बिल अभी लागू किया जाना है तथापि बैंकों को चाहिए कि वे इस संबंध में उचित सावधानी बरतें क्योंकि ऐसी गतिविधियों में अप्रत्यक्ष सहभागिता से संगठन की प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है जिससे उनके भावी कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

आपका

अनुचिंतन

मैं आपको सूचित करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करनेवाले कार्मिकों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतएव बड़े पैमाने पर बैंक कर्मी ग्रामीण क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण पत्रिका को पढ़ने से वंचित रह जायेंगे। अतएव अनुरोध है कि इस पत्रिका की मुद्रित प्रति वार्षिक चंदा भेजकर पंजीकृत लोगों को पूर्व की भांति भेजना जारी रखें ताकि उसका लाभ सभी लोग उठा सकें। आशा करता हूँ कि आप इस सुझाव को अमली जामा पहनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

- श्री पी. एन. मिश्रा
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
ग्राम व पोस्ट पट्टीनरेनपुर
जिला-जौनपुर (उत्तर प्रदेश)-223 102

आपका यह निर्णय कि पत्रिका का प्रकाशन/मुद्रण बन्द कर इसे इंटरनेट पर डाल दिया जाए अप्रिय व अव्यावहारिक प्रतीत होता है। जिस प्रकार मूर्तिकार के बजाय मूर्ति अधिक प्रिय/अमूल्य/अविकल्प होती है उसी प्रकार हम जैसे पुराने सदस्यों को अनुचिंतन पत्रिका के रूप में ही चाहिए अन्य किसी रूप में नहीं। कृपया अभिदान बढ़ा दीजिए परंतु हिन्दी की एकमात्र आन-बान और शान (बैंकिंग क्षेत्र में) को बन्द न कीजिए अन्यथा हम जैसे बहुतेरे बैंक कर्मी इस एकमात्र सहारे को खो बैठेंगे जिन्हें या तो इंटरनेट उपलब्ध नहीं है या फिर उपलब्ध होने में अनेकानेक कठिनाइयाँ हैं। कृपया इस करूण पुकार के उन सुरों में एक सुर मेरा मिला लें। यही अनुनय/विनय/प्रार्थना/दुआ/पुकार है।

- श्री गोपाल कृष्ण निगम
"लक्ष्मी श्री" अलखधाम नगर
सांवेर रोड, उज्जैन (मध्य प्रदेश)-456 010

महोदय मैंने इस पत्रिका का सदस्य बनने हेतु लिखा था लेकिन इससे सम्बन्धित पत्र मुझे प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि यह पत्रिका वेबसाइट पर डाल दी गई है और भविष्य में यह प्रकाशित नहीं होगी, जिसे पढ़कर बड़ा दुख हुआ। क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रामीण शाखा में हूँ जहाँ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कम्प्यूटर की जानकारी न होने के कारण मुझे निराश होना पड़ा। अतएव श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त पत्रिका को हमारे जैसे दूरदराज ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत बैंक कर्मियों की मुश्किलों को ध्यान में रखकर पुनः प्रकाशित करने की कृपा करें।

- श्री गोपालदास
भारतीय स्टेट बैंक
शाखा तिस्सा, डाक घर तिस्सा
मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश 251 300

महाशय, वेबसाइट पर पत्रिका को पढ़ना अभी सभी शहरों में सुगम नहीं है तथा उसमें पैसा भी अधिक लगता है। संग्रह करना भी खर्चीला है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे सम्माननीय पत्रिका से मिलनेवाली आवश्यक जानकारी से वंचित न करें तथा अभिदान के नवीकरण का आदेश प्रदान करें।

श्री नवनीतचन्द्र मिश्र
मार्फत श्री सुरेशचन्द्र मिश्र
टिकारी रोड, खरखुरा
गया-823 002

मैं इस पत्रिका का वार्षिक ग्राहक हूँ। लेकिन इस पत्रिका का प्रकाशन हम लोगों के लिए बंद करने की सूचना पढ़कर दुख हुआ क्योंकि हमारे जैसे लाखों पाठक ऐसे होंगे जहाँ न तो वेबसाइट है न कम्प्यूटर। तो फिर हमें इस पत्रिका की ज्ञानवर्धक जानकारी कैसे मिलेगी। अब इतने कम पैसों में अद्यतन जानकारी नहीं मिल पायेगी और वह भी घर बैठकर। हमारी जानकारी से हम अपने बैंक एवं संगठन की उत्पादकता में योगदान करते हैं और ग्राहक सेवा में भी सुधार लाते हैं।

- श्री एस. पी. गुप्ता
लिपिक
भारतीय स्टेट बैंक
सागर (मध्य प्रदेश)

कंप्यूटरीकृत वातावरण में आपदा निवारण

श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता
मुख्य अधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया
आंचलिक कार्यालय
43, नवयुग मार्केट
गाजियाबाद 201 001 (उ.प्र.)

आज बैंकिंग जगत नए और तेज परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है । बैंकिंग व्यवसाय में **यंत्रीकरण** और कंप्यूटरीकरण को अत्यधिक अहमियत दी जा रही है । बैंकिंग उद्योग के लिए कंप्यूटरीकरण अभी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है । बैंक की शाखाओं का आंशिक से लेकर पूर्ण कंप्यूटरीकरण, टेली-बैंकिंग, एटीएम जैसी सुविधाएं, वैप-बैंकिंग और इन्टरनेट बैंकिंग जैसी अभिनव सेवाएं और घर बैठे हर तरह की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं । कुल मिलाकर आज स्थिति यह है कि बैंकिंग का सारा कार्य कंप्यूटरों के जरिए करने के लिए सभी बैंकों में त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिल रही है । यही कारण है कि बैंकों में मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्य आज कंप्यूटर कर रहे हैं ।

ग्राहकों को श्रेष्ठ, सुगम और सहज सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कंप्यूटरीकरण निःसंदेह एक सराहनीय प्रयास है । इससे बैंकों को अपने ग्राहकों को त्वरित और सुविधाजनक बैंकिंग उपलब्ध करा पाना भी संभव हो गया है । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कंप्यूटरीकरण का यह दौर खतरों से खाली है । वास्तविकता यह है कि कंप्यूटरीकृत वातावरण में भी तरह-तरह के खतरे पूर्ववत मौजूद हैं । मसलन - **धोखाधड़ी, गबन**, आदि । ऐसी बात नहीं है कि बैंक इन खतरों से नावाकिफ हैं । बल्कि इसके विपरीत ऐसे खतरों से **बचाव** के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं । लेकिन कंप्यूटरीकृत वातावरण में धोखाधड़ी, गबन, आदि से बढ़कर और भी भयानक खतरे बैंकों पर मंडरा रहे हैं- और वे हैं - प्राकृतिक आपदा और आकस्मिक विपदा की संभावनाएं । कंप्यूटरीकरण के इस दौर में बैंकिंग कार्य-व्यवहार अनेक संवेदनशील यंत्रों और उपकरणों के माध्यम से होने लगा है जो बाढ़, भूकम्प, आगजनी जैसी आपदा का सामना करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं । इतना ही नहीं, कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया में कुछ नई तरह की बाधाओं का खतरा भी पैदा हो गया है । जैसे इन्टरनेट बैंकिंग में यदि टेलीफोन लाइने खराब हो जाएं या **विद्युत-आपूर्ति** के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था - जेनरेटर या यू पी एस में गड़बड़ी से प्रणाली काम करना बंद कर दे तो ऐसी स्थिति में बैंकिंग सेवाओं का बाधित होना लाजमी है । इन विकट परिस्थितियों में ग्राहकों को कितनी अधिक परेशानी होगी और ग्राहक सेवा कैसे बुरी तरह प्रभावित होगी, इसकी कल्पना मात्र ही की जा सकती है ।

सच पूछिये तो आपदाजनक स्थिति की संभावना और उसका समाधान आज कंप्यूटरीकृत वातावरण के लिए सबसे जटिल समस्या बनी हुई है । ऐसी आपदा स्थिति में यदि यह मान लिया जाए कि वी सी आर, वाशिंग मशीन जैसे सामान्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देंगे, तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी अस्पताल के कंप्यूटर संचालित **गहन चिकित्सा कक्ष** (आई. सी. यू.) में ऐसी आपदा के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं । बैंकों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है । आज बैंकों के सारे हिसाब-किताब और लेखा-जोखा कंप्यूटरों के माध्यम से किए जा रहे हैं । ऐसी स्थिति में बैंक हर प्रकार की सूचना और हर तरह की सेवा के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणालियों या कंप्यूटरों पर ही निर्भर हैं । यदि किसी आपदा के कारण बैंक में कार्यरत मशीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम खराब हो जाएं तो लाखों-करोड़ों लोगों के लेनदेन पर इसका कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, इसका अन्दाज लगाना भी मुश्किल है । इससे बैंक की प्रतिष्ठा पर भी विपरीत असर पड़ सकता है ।

इन आपदाजनक परिस्थितियों की चर्चा करके हमारा इरादा घबराहट पैदा करने या कंप्यूटरीकरण का विरोध करने का हरगिज नहीं है । बल्कि हम तो यह चाहते हैं कि हम बैंक-

कर्मियों में इतनी **जागरूकता** पैदा हो जाए कि ऐसी आपदाजनक परिस्थितियों का विश्वासपूर्वक सामना किया जा सके । इन परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक मुकाबला करने और कम से कम समय में सामान्य बैंकिंग सेवा आरंभ करने के उद्देश्य से प्रायः सभी बैंकों ने अपने बैंक में आपदा निवारण योजना बनाई है । वास्तव में आपदा निवारण आपदाजनक परिस्थितियों का सामना करने के लिए महज सूचना-प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय नहीं है बल्कि यह कंप्यूटरीकृत और यंत्रीकृत बैंकिंग-व्यवसाय की निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य उपाय भी है ।

आखिर आपदा है क्या ?

सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें कि यहां आपदा का अर्थ क्या है । निःसंदेह आपदा का अर्थ प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकम्प, तूफान आदि तक ही सीमित नहीं है । बल्कि इसका इससे कहीं अधिक और व्यापक अर्थ है । वास्तव में आपदा के अन्तर्गत वे सारी घटनाएं या परिस्थितियां शामिल हैं जिनके कारण बैंकों में यंत्र या मशीन की कार्यप्रणाली के बाधित या बंद हो जाने की आशंका हो सकती है । कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या स्टाफ सदस्यों की कार्य-व्यवस्था में किसी भी तरह की खराबी के कारण यह स्थिति पैदा हो सकती है । कई बार प्रयोक्ता की गंभीर गलती या कभी प्रणाली के गलत ढंग से काम करने की वजह से भी आपदाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है । अब यह आगे विचार का विषय हो सकता है कि यह खराबी कितनी गंभीर है या इसे कितनी जल्दी या कितने समय बाद दूर किया जा सकता है ।

संक्षेप में - **कोई भी ऐसी घटना या ऐसा कार्य जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों, प्रबंधन या कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गतिरोध या रूकावट के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, आपदा है ।**

आपदाओं के स्वरूप

अब हम इस बात पर विचार करें कि आपदा के स्वरूप क्या हो सकते हैं । आपदा कई तरह की हो सकती हैं । इन्हें हम निम्नलिखित चार समूहों में रख सकते हैं :-

(I) **प्राकृतिक आपदाएं**

1. बाढ़
2. भूकम्प
3. तूफान
4. अतिवृष्टि

(II) **बाह्य आपदाएं**

1. विद्युत आपूर्ति में व्यवधान व यू पी एस में खराबी
2. विधि व्यवस्था जनित आपदाएं जैसे परिसर में बम विस्फोट, आगजनी आदि

(III) **आन्तरिक आपदाएं**

1. कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन अथवा हड़ताल
2. कंप्यूटरीकृत कार्यप्रणाली का विशिष्ट प्रशिक्षण या कौशल्य प्राप्त एक या अधिक कर्मचारियों का अचानक अवकाश पर चले जाना

(IV) **यांत्रिक आपदाएं**

1. हार्डवेयर / सर्वर में खराबी

2. डाटा दूषण अर्थात मेमोरी या डिस्क पर उपलब्ध डाटा का प्रयोक्ता के बिना जानकारी के बदल जाना - प्रायः यह प्रदूषण या वातावरण में बदलाव के कारण होता है । ऐसा होने पर डाटा का अर्थ बदल जाता है या डाटा पढ़ने योग्य नहीं रह जाता ।

3. सॉफ्टवेयर में खराबी : परिचालन प्रणाली, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर आदि में खराबी से भी कंप्यूटर प्रणाली सुचारू रूप से काम करना बंद कर देगी । तत्काल **समाधान** उपलब्ध न होने पर यह संकट गंभीर हो सकता है ।

4. नेटवर्क में व्यवधान : सैटेलाइट या संचार प्रणाली में खराबी के कारण भी प्रणाली आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित हो सकती है । यदि कोई बाहरी व्यक्ति किसी संस्था या बैंक के नेटवर्क प्रणाली में **अनधिकृत** रूप से प्रवेश कर जाए तो यह उस संस्था के लिए अत्यंत गंभीर संकट साबित हो सकता है ।

5. वाइरस : वाइरस कंप्यूटरीकृत बैंकिंग के लिए सबसे घातक हो सकते हैं । वास्तव में वाइरस कुछ और नहीं बल्कि कंप्यूटर की जानकारी और उसके संसाधनों पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले प्रोग्राम हैं । ये कंप्यूटर पर मौजूद ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें स्वयं फाइलों के साथ जुड़ने और कीटाणुओं की तरह तेजी से फैल जाने की अद्‌भुत क्षमता होती है । कुछ वाइरस अत्यंत विनाशकारी होते हैं तथा वे डिस्क पर उपलब्ध सभी फाइलों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं ।

कई बार कुछ वाइरस स्वयं को कंप्यूटर की मेमोरी में स्थापित कर लेते हैं तथा इसके बाद उपयोग की गई समस्त फाइलों के साथ जुड़ते जाते हैं। स्पष्ट है कि अपने विनाशकारी स्वरूप के कारण वाइरस कंप्यूटरीकृत बैंकिंग प्रणाली को तहस-नहस कर सकते हैं।

यदि उपरोक्त आपदाओं में से एक साथ दो या अधिक आपदाएं कंप्यूटरीकृत प्रणाली को बाधित कर दें तो इससे बड़ी आपदा का खतरा पैदा हो जाता है।

आपदा का सामना कैसे करें ?

वास्तव में यह अनुमान लगा पाना कठिन है कि कौन सी आपदा किस रूप में कब आ जाएगी। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर तरह की आपदा का सामना करने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी रखी जाए। बेहतर तो यह होगा कि ऐसे उपाय किये जाएं कि आपदा की हालत ही पैदा न हो। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर तरह की आपदा की एक सूची तैयार करके उनमें से प्रत्येक से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

लेकिन इन सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद यह मान लेना कि अब आपदा का खतरा नहीं है एक भ्रामक स्थिति होगी क्योंकि बचाव के तमाम उपायों के बावजूद आपदा का खतरा बरकरार रहता है। खास तौर पर - प्राकृतिक आपदाओं के खतरे की तो कोई भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। किसे पता था कि गुजरात राज्य में 26 जनवरी, 2001 को इतना भयंकर भूकम्प आएगा।

अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हर तरह की आपदा का सामना करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से पूरी तैयारी की जाए। भावी आपदाजनक परिस्थितियों का योजनाबद्ध रूप से बचाव, मुकाबला एवं निवारण ही आपदा प्रबंधन है।

आपदा निवारण कैसे करें ?

पुरानी कहावत है - "मुसीबत कभी बताकर नहीं आती"। बिल्कुल यही बात आपदा के साथ भी है। यह अन्दाज लगा पाना निहायत ही मुश्किल काम है कि आपदा कब आएगी, किस रूप में आएगी और उसका किस हद तक प्रभाव पड़ेगा। फिर भी संभावित आपदा के कारणों और उसके निदान की कल्पना किए बिना आपदा निवारण संभव नहीं है।

आपदा निवारण का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर तरह की संभावित घटनाओं की सिलसिलेवार ढंग से सूची तैयार की जाए। उनके कारण एवं निदान पर विचार किया जाए और इसके आधार पर उन घटनाओं का सामना करने के लिए कार्य-योजना तैयार की जाए। यदि किसी आपदा का सामना करने के लिए दो या अधिक **विकल्प** हों तो इन सभी विकल्पों के गुण दोष पर विचार करके, जो सबसे उपयुक्त विकल्प हो, उसे चुना जाए। यदि आवश्यकता महसूस हो तो आपदा के निवारण या निपटान के लिए दो-तीन उपायों का भी चयन किया जा सकता है ताकि **प्रयोक्ता** को उस आपदा का सामना करने में सहूलियत हो। लेकिन यदि किसी आपदा का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय चुने जाते हैं, तो फिर कार्य के सुलभ और उपयुक्त होने के आधार पर उपायों को वरीयता क्रम में रखा जाए।

आपदा निवारण योजना को आपदा के स्वरूप के आधार पर निम्नानुसार बड़ी सरलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है :-

आपदा निवारण योजना

1. **आपदा का नाम**
2. **आपदा का आकार - बड़ी/छोटी**
3. **क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था संभव है - हां/नहीं**
4. **आपदा निवारण हेतु सक्षम पदाधिकारी - कौन**
5. **निवारक कार्रवाई के पहले सूचित करना - किसे / कहां**
6. **क्या कार्रवाई के लिए पूर्वानुमति लेनी है यदि हां, तो किससे-**
7. **कार्य योजना-चरणबद्ध विवरण**
8. **कार्य योजना में लगने वाला अनुमानित समय**
9. **योजना की देखरेख करने की जिम्मेदारी**
10. **कार्य योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित किये जाने की सूचना - किसे / कहां**

यह जरूरी है कि आपदा निवारण योजना खूब सोच-विचार करके, विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा करके, सभी संभावित स्थितियों और संबद्ध पक्षों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। इसके बावजूद, कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि फलां योजना फलां परिस्थिति में अचूक साबित होगी। हां यह जरूर है कि प्रत्येक आपदा का सामना करने के लिए एक से अधिक उपायों का विकल्प होने से स्थिति के अनुसार

वैकल्पिक उपाय का चयन किया जा सकता है । लेकिन यदि ऐसे दो या अधिक वैकल्पिक समाधान दिए गए हों तो उनमें **वरीयता** किसे देनी है - यह भी तय होना चाहिए ।

इसी प्रकार आपदा निवारण के लिए सक्षम अधिकारी और योजना की देखरेख की जिम्मेदारी के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था का उल्लेख होना चाहिए ताकि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अवकाश पर हो या किसी अन्य कारण से मौके पर उपस्थित न हो तो भी आपदा निवारण की योजना निर्बाध रूप से कार्यान्वित की जा सके ।

एक **आदर्श** आपदा निवारण योजना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :-

1. परिचालन प्रणाली सहित सभी डिस्क फाइलों का बैकअप नियत अंतराल पर नियमित रूप से लिया जाए तथा उसकी एक कापी किसी दूसरे परिसर में रखी जाए ।

2. किए जा रहे कार्यों को समय-समय पर डिस्क/फ्लापी पर कॉपी कर लिया जाए ।

3. **डिस्क नवीकरण** तथा **प्रतिलिपिकरण** नियमित रूप से किया जाए ।

4. उचित अंतराल के बाद महत्वपूर्ण डाटा का प्रिंट आउट ले लिया जाए ।

5. आपदा से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं । मसलन वाइरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कंप्यूटर को समय-समय पर जांचते रहना चाहिए तथा वाइरस की जांच किए बिना फ्लापी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ।

6. बैंक के प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारियों को आपदा निवारण योजना की पूरी जानकारी दी जाए तथा आपदा की स्थिति में तैयार रहने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए ।

वास्तव में आपदा निवारण योजना तैयार करते समय हर पहलू पर सावधानीपूर्वक सोच-विचार करना जरूरी है । तभी यह योजना हर प्रकार की आपदाजनक स्थिति में तमाम तरह की समस्याओं के निदान के लिए एकीकृत हल साबित हो सकती है ।

प्रयुक्त शब्दावली

आपदा	Calamity	अनधिकृत	Unauthorised
यंत्रीकरण	Mechanisation	विकल्प	Option
धोखाधड़ी	Fraud	प्रयोक्ता	User
गबन	Missappropriation	सक्षम पदाधिकारी	Competent Authority
बचाव	Safeguards	चरणबद्ध	Phased
विद्युत आपूर्ति	Electric supply	वरीयता	Preference
गहन चिकित्सा कक्ष	Intensive care unit	आदर्श	Model
जागरूकता	Awareness	डिस्क नवीकरण	Disk Mirroring
डाटा दूषण	Data Corruption	प्रतिलिपिकरण	Duplexing
समाधान	Solution		

ग्रामीण ऋण संवर्धन - कुछ मानवीय समस्याएँ

डॉ. बी. बी. सिंह
सहायक महा प्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र
बी-984 सेक्टर ए
लखनऊ

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण वितरण पर प्रायः सभी व्यावसायिक बैंकों द्वारा बल दिया जाता रहा है। विगत वर्षों में बैंकों के **वैश्वीकरण** तथा आय अभिज्ञान एवं आस्तियों के वर्गीकरण के मापदण्ड लागू होने के बाद बैंकिंग परिक्षेत्र में अनेक परिवर्तन आये हैं। बैंकों द्वारा लाभोन्मुख व्यवसाय पर बल देने के उद्देश्य से अनेक नई ऋण योजनाएं बाजार में लायी जा रही हैं। विगत वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋणों के वितरण की स्थिति आशा के अनुरूप नहीं रही है। यही नहीं इसके अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में मात्र 15% की ही उपलब्धि हो पायी है। यह स्थिति सुखद नहीं कही जा सकती है। हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके द्वारा **सकल घरेलू उत्पाद** में लगभग 25% प्रतिशत का योगदान किया जा रहा है। इसलिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

हम जानते हैं कि व्यावसायिक बैंकों की लगभग 60 प्रतिशत शाखायें अर्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इन शाखाओं का प्रमुख व्यवसाय गाँव व छोटे कस्बों में रहने वाले ग्राहकों पर आधारित है। फिर भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम की यह स्थिति ठीक नहीं है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत ऋणों में भी वृद्धि उत्साहजनक नहीं रही है। इस सम्बन्ध में अनेक शाखा प्रबंधकों व शाखाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों से वार्ता होती है। उनसे प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करने पर जो विचारणीय विषय आते हैं उन्हें हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं।

बाह्य कारण :- इसके अन्तर्गत उन विषयों को रखा जा सकता है जिन पर बैंकों के अतिरिक्त अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ भी सम्मिलित रूप से कार्य योजना बनाने पर ही परिणाम परिलक्षित होगें। यह मुद्दे निम्न हो सकते हैं :- 1. **प्राकृतिक आपदा**; 2. मौसम की अनिश्चितता; 3. विद्युत आपूर्ति; 4. **विपणन** की समस्या; 5. **भण्डारण** की कठिनाई; 6. फसल बीमा योजना का **क्रियान्वयन**।

आंतरिक मुद्दे :- उपरोक्त बाह्य कारणों का निराकरण सामान्य रूप से केवल बैंकों की पहल से सम्भव नहीं है परन्तु कुछ आन्तरिक मुद्दे हैं जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के ऋणों को प्रभावित करते हैं। आंतरिक मुद्दों से यहां तात्पर्य यह है कि बैंक अपने आंतरिक कार्यों में थोड़ी सतर्कता व तालमेल से ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं की कार्यकुशलता बढ़ा सकते हैं। ये आंतरिक मुद्दे ज्यादातर मानवीय पक्ष पर आधारित हैं। ये मुद्दे ग्रामीण ऋणों की प्रगति को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इस पर संक्षिप्त चर्चा करना आवश्यक है।

1. ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति : यह एक महत्वपूर्ण एवं अहम विचारणीय विषय है। प्रायः देखा जा रहा है कि बैंकों में कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति से कतराते हैं और नियुक्ति होने की स्थिति में प्रायः अवकाश पर रहते हैं अथवा कार्य निष्पादन में बहुत रुचि नहीं लेते हैं। इस विषय पर चर्चा करने से कई ऐसे कारण सामने आते हैं जो चर्चा के लिए सभी का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। यथा -

❖ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं व अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में अच्छी शिक्षा दिला सके। इसके अभाव में प्रायः कार्मिक अपने परिवार को कहीं नजदीकी केन्द्र पर जहाँ यह सुविधा उपलब्ध है रखता है और स्वयं परिवार से दूर अकेले रहता है। इसके कारण वह कभी-कभी परिवार से मिलने भी आता है। इस सबसे कार्य के प्रति **अभिरुचि** में कमी आती है और जितना समय वह बैंक में दे सकता है, उसे नहीं दे पाता है।

❖ यह भी महसूस किया जाता है कि ग्रामीण अंचल में कार्य करने वाले कार्मिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कम अवसर मिलते हैं। समाचार पत्रों का अभाव, नये व आधुनिक सुविधाओं की कमी आदि ऐसे कारण हैं जिससे व्यक्तित्व विकास बाधित होता है और प्रायः ग्रामीण अंचल में कार्य करने वाले कार्मिक शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्मिकों के सामने हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। यह कार्मिक की क्षमता को प्रभावित करता है। इससे कार्मिक की प्रोन्नति पर भी प्रभाव पड़ता है।

❖ शहरी वातावरण में पढ़े व बढ़े कार्मिक को जब ग्रामीण व

अर्धशहरी क्षेत्र की शाखाओं में नियुक्ति मिलती है तो उसे वहाँ का वातावरण रुचिकर नहीं लगता है । यही कारण है कि नई नियुक्तियों में प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यग्रहण का प्रतिशत बहुत कम होता है । ऐसे में यदि वह कार्य ग्रहण करते भी हैं तो उनका अधिकांश समय अवकाश पर और स्थानान्तरण के प्रयास में बीतता है । यही स्थिति शहरी क्षेत्र से स्थानान्तरित पुराने अधिकारियों, कर्मचारियों की भी होती है । यह अलग बात है कि वातावरण के अतिरिक्त शिक्षा की सुविधा भी उनके लिए एक कारण होती है । इस प्रकार ऐसे कार्मिक भी ग्रामीण क्षेत्र में उत्साह व रुचि से कार्य नहीं कर पाते हैं ।

2. **ग्रामीण पृष्ठभूमि के कार्मिकों की कमी :** राष्ट्रीयकरण के बाद जब वाणिज्यिक बैंकों ने ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार आरम्भ किया तभी यह महसूस किया था कि इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और वहाँ कार्य करने के लिए इसी पृष्ठभूमि के कार्मिकों का यदि चयन किया जाये तभी शाखाओं की व्यापार वृद्धि अच्छी तरह से होगी । इसीलिए चयन प्रक्रिया के समय इस पर ध्यान दिया गया था और उस समय बैंकों के पास ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कार्मिकों का कैडर उपलब्ध था जिससे व्यापार विकास भी हुआ । परन्तु कुछ वर्षों बाद इस पर ध्यान नहीं दिया गया । पहले का कार्मिक प्रोन्नत होकर शहरी क्षेत्रों व बड़ी शाखाओं में पहुंच गया जिससे अब एक **रिक्ति** उत्पन्न हो गयी है । इस प्रकार इस कैडर की कमी भी ऋणों की वृद्धि में और उससे ज्यादा ऋण खातों के रखरखाव में समस्या उत्पन्न कर रही है ।

3. **प्रशिक्षण का अभाव :** अधिकांश बैंकों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं परन्तु प्रायः ये कार्यक्रम नियमों व कार्यपद्धति की जानकारी तक सीमित हैं । इससे ज्ञान संवर्धन तो होता है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि यह कार्यकुशलता और दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकेगा । ज्ञान संवर्धन बैंक के आन्तरिक परिपत्रों, समाचार पत्रों आदि से होता रहता है । कार्यकुशलता और दृष्टिकोण में परिवर्तन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव देखा गया है । यह भी पाया गया है कि अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल अधिकारी वर्ग के लिए किये जाते हैं जबकि लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों का सीधा सम्पर्क ग्राहक से होता है और उस वर्ग के लिए ज्ञान संवर्धन, कार्यकुशलता में वृद्धि एवं सकारात्मक दृष्टिकोण हेतु प्रशिक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है । इस प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में सकारात्मक सोच की कमी, ग्रामीण के प्रति त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण आदि के कारण बैंकों का व्यवसाय विकास प्रभावित होता है । यह महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दा है ।

4. **प्रशिक्षण एवं नियुक्ति में तालमेल का अभाव :** अक्सर ऐसा पाया गया है कि नियुक्ति के समय कार्मिक की दक्षता को ध्यान में नहीं रखा जाता है । यदि उपयुक्त **पदस्थी** की जाये तो कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं । प्रायः देखा गया है कि किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिक को किसी अन्य क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है । यद्यपि कार्मिक को प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान होता है और कार्य निष्पादन भी करता है परन्तु यदि पदस्थी उसके प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर की जाये तो अवश्य ही परिणाम उत्साहवर्धक होंगे । ऐसा प्रायः शाखा स्तर पर भी हो जाता है । इस तालमेल के अभाव से शाखा की प्रगति धीमी होती है और कार्मिक की कार्यकुशलता प्रभावित होती है ।

5. **उत्साह एवं अपनत्व की कमी :** विगत वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में आये विभिन्न परिवर्तनों ने कार्मिक की कार्यक्षमता को भी प्रभावित किया है । अनुत्पादक आस्तियों में बढ़ोतरी, वसूली हेतु अत्यधिक दबाव, निरंतर स्थानान्तरण व पदस्थी आदि कई ऐसे कारक हैं जिसके कारण कार्मिकों में उत्साह व बैंक के प्रति अपनत्व की भावना में कमी आई है । बदलते परिवेश में कार्मिक अपने को ढालने में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा है जिससे कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है । अनेक कार्मिकों का अनुभव है कि पहले बैंकिंग क्षेत्र में जो व्यावसायिक माहौल था वह अब बदलता जा रहा है । उच्च प्रबन्धन व शाखा स्तर पर कार्य करने वाले कार्मिकों के बीच दूरी बढ़ी है जिससे कार्पोरेट स्तर की नीतियाँ शाखा स्तर तक पहुंचने में अत्यधिक समय लेती हैं और उसके क्रियान्वयन का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है । उच्च अधिकारी मात्र लक्ष्यों की पूर्ति से ही कार्मिक की क्षमता आंकते हैं और क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों की समीक्षा से कतराते हैं । इससे कई बार गलत धारणा विकसित होती है जो संस्था के प्रति अपनत्व की भावना में कमी पैदा करती है । इससे कार्मिक अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाता है । यह प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्मिकों में अधिक होती है क्योंकि वह समझते हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है । ऐसा भी देखा गया है कि अधिकांश अधिकारी बराबर कई वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्र में ही पदस्थ होते रहते हैं । किसी स्पष्ट स्थानान्तरण नीति के न होने के कारण यह समस्या और जटिल हो जाती है ।

प्रस्तावित कार्य योजना

उपरोक्त कारक ऐसे नहीं हैं जिनका समाधान न हो सकता हो । व्यावसायिक बैंक अपनी कार्यनीति एवं प्रशिक्षण में कुछ फेरबदल कर अपने कार्मिकों की कार्यक्षमता एवं उत्साह में संवर्धन कर सकते हैं । कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :-

1. **युक्ति संगत पदस्थी :** यह एक महत्वपूर्ण एवं सार्थक पहलू है । ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में नियुक्ति के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है । यदि नियुक्ति व स्थानान्तरण के समय उपयुक्त कार्मिक की नियुक्ति की जाये तो वह सार्थक परिणाम दे सकता है । इसके लिए कार्मिक की रुचि, पूर्व में ग्रामीण

क्षेत्र में कार्य करने की अवधि, पारिवारिक दायित्व आदि सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया जाये। उपयुक्त व्यक्ति की पदस्थी निश्चय ही अच्छे परिणाम लाने व ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के संवर्धन में सहायक होगी।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने हेतु कैडर तैयार करना : ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्मिकों का कैडर विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए दो कदम उठाये जा सकते हैं। पहले विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया में यह स्पष्ट कर दिया जाये कि सम्भावित पदस्थी ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र में की जा सकती है। इसका यह प्रभाव होगा कि कार्मिक मानसिक रूप से अपने को इसके लिए पहले से तैयार रखेगा। दूसरा कदम यह भी हो सकता है कि नई नियुक्ति के लिए विज्ञापन देते समय भी इस बात को स्पष्ट कर दिया जाये कि **चयनित** कार्मिक को ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र में कार्य करना है। इस सबका अवश्य प्रभाव होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक रूप से तैयार कार्मिकों की नियुक्ति से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के साथ-साथ अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी।

3. स्थानान्तरण नीति : ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्य करने की एक स्पष्ट स्थानान्तरण नीति होनी चाहिए। यथा, प्रत्येक को 3-5 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना है। इससे कार्मिकों में व्याप्त आशंका समाप्त होगी और निर्धारित अवधि तक अपनी पूर्णक्षमता के साथ कार्य करेंगे। इस प्रकार की किसी भी नीति की अनुपालना - ईमानदारी से की जानी चाहिए। ऐसी योजनाएं पूर्व में भी कुछ बैंकों में थीं और अभी भी हैं। परन्तु ऐसा जानकारी में आया है कि उसकी अनुपालना सही ढंग से नहीं हुई है। ऐसा होने पर कार्मिक के अन्दर असंतोष बढ़ेगा और व्यवसाय प्रभावित होगा।

4. प्रोत्साहन योजना : वर्तमान में प्रायः देखा जा रहा है कि कार्मिक ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र में पदस्थी से बचना चाहते हैं। ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में लोग रुचिपूर्वक और पूर्णक्षमता से कार्य करें, इसके लिए कुछ प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जा सकती हैं। यथा -

अ. ग्रामीण क्षेत्र भत्ता - जिन क्षेत्रों में आधार-भूत सुविधाओं का अभाव है उनका चयन कर वहां कार्य करने वाले कार्मिक को भत्ता स्वरूप प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जा सकता है। यह भी किया जा सकता है कि यह राशि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण की वृद्धि से सम्बद्ध कर दी जाये। पूर्व में कुछ बैंकों में यह प्रयोग किया गया था परन्तु बाद में उसे नियमित नहीं किया गया।

ब. पदोन्नति में वरीयता - कुछ व्यावसायिक बैंकों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों को पदोन्नति की प्रक्रिया में कार्य की जिम्मेदारी के अन्तर्गत अतिरिक्त दो अंक देने का प्रावधान कर रखा है। यह भी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन का अच्छा तरीका है। इससे कार्मिकों में इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए रुचि पैदा होगी।

स. परिवार को शहरी क्षेत्र में रखने की अनुमति - जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है कि बहुत से कार्मिक ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्य के इच्छुक इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय नहीं हैं अथवा अभिभावकों के लिए स्वास्थ्य सेवायें नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कार्मिक को नजदीकी या उसकी सुविधानुसार किसी शहरी क्षेत्र में परिवार रखने की अनुमति दिये जाने से उसके ऊपर अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा और निश्चय ही कार्मिक अपनी पूर्णक्षमता से कार्य करेगा।

5. मानव संसाधन विकास हेतु प्रशिक्षण - ऐसा पाया जा रहा है कि वर्तमान में ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारी आधारभूत सेवाओं व अन्य बातों को लेकर असंतोष के वातावरण में रहते हैं। उनके अन्दर उत्साह की कमी और सकारात्मक सोच का अभाव परिलक्षित होता है और वह प्रायः अपनी विफलता का दोष उच्च कार्यालयों को देकर संतुष्ट हो जाते हैं। अतएव इन कार्मिकों के लिए अभिप्रेरणा व सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए और उसे एक निश्चित अन्तराल पर नियमित किया जाना चाहिए। इससे अच्छे परिणाम आने की सम्भावना बढ़ेगी और व्यवसाय विकास भी होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक शाखा स्तर पर कार्य करने वाले कार्मिकों के सुझाव प्राप्त कर उसकी विवेचना कर अन्य महत्वपूर्ण कार्य योजना विकसित कर सकते हैं। इससे जहाँ एक ओर कार्मिकों के अन्दर आत्मविश्वास और संस्था के प्रति अपनत्व बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर ऋण संवर्धन में भी आशातीत प्रगति होगी।

प्रयुक्त शब्दावली

वैश्वीकरण	Globalisation
सकल घरेलू उत्पाद	Gross Domestic Product
प्राकृतिक आपदा	Natural Calamity
विपणन	Marketing
भण्डारण	Storage
अभिरुचि	Interest
रिक्ति	Vacancy
पदस्थी	Posting
कार्य योजना	Work Plan
चयनित	Selected

बैंकिंग उद्योग में अनर्जक परिसंपत्तियों की समस्या

श्री गौरी शंकर भैया
बैंक ऑफ बड़ौदा
राजभाषा विभाग
सूरज प्लाजा-I
सयाजी गंज
बड़ौदा - 390 005

अनर्जक परिसंपत्तियां या गैर निष्पादक आस्तियां या नॉन परफॉरमिंग एसेट्स (एन पी ए) पिछले कुछ वर्षों से बैंकिंग उद्योग में खासा चिंता का विषय रहा है। लगभग सभी बैंक खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इससे गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। इसमें लगातार वृद्धि से न सिर्फ उनकी लाभप्रदता प्रभावित हुई है बल्कि उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। बैंक का अस्तित्व मुख्य रूप से अग्रिम आदि के रूप में प्रदान की गई राशि से प्राप्त होने वाली आय पर टिका हुआ होता है। अतः यह आवश्यक है कि इन राशियों की वसूली समुचित एवं सतत रूप से हो। जो बैंक जितनी ही कुशलता से ऋणों या अग्रिमों की वसूली करेगा उस बैंक की लाभप्रदता उतनी ही बढ़ेगी एवं आंतरिक रूप से भी बैंक मजबूत होगा। जब इन ऋणों या अग्रिमों की वसूली निश्चित समय पर नहीं हो पाती है तो **अर्जक संपत्तियां** अनर्जक होने लगती हैं।

वर्ष 1991 में पहली बार बैंकिंग उद्योग और अन्य वित्तीय क्षेत्रों की समस्याओं की समीक्षा हेतु रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री एम. नरसिंहम् की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। इस समिति की सिफारिशों में पहली बार बैंकों में अनर्जक परिसंपत्तियों के बारे में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया और इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए उनसे उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों और उसके समाधान के बारे में भी बताया गया।

बैंकिंग उद्योग में अनर्जक आस्तियां उन आस्तियों को माना गया है जिनसे किसी प्रकार की आय या लाभ प्राप्त नहीं होता है। अनेक ऐसे **कारक** हैं जो एक संतोषजनक ढंग से चल रहे खाते को असंतोषजनक खाते में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे उस खाते में न तो ऋण की किश्तें वसूल हो पाती हैं और न ही बैंक को ब्याज प्राप्त हो पाता है। ये कारक मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं - आंतरिक कारक एवं बाह्य कारक।

आंतरिक कारक

ये वे कारक हैं जिनपर यदि समय रहते अमल किया जाए तो आस्तियों को अनर्जक होने से रोका जा सकता है; जो इस प्रकार हैं : परियोजना लागत का आवश्यकता से कम मूल्यांकन; परियोजना पर सीधा प्रभाव डालने वाले कतिपय महत्वपूर्ण सूचनाओं की अनुपलब्धता; परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब जिसके फलस्वरूप लागत में वृद्धि; अपर्याप्त प्रबंधन; मशीनों की क्षमता का अपेक्षा से कम उपयोग/मशीनों की क्षमता का अकुशल उपयोग; अकुशल स्टाफ प्रबंध; **नौकरशाही** प्रबंधन प्रणाली; उत्पाद/प्रौद्योगिकी का गलत चुनाव; नियंत्रण कार्यों में द्वितीय पंक्ति का अभाव; अनियोजित उच्च प्रबंध; कार्यशील पूंजी की अपर्याप्तता।

बाह्य कारक

इसके अंतर्गत वे कारक होते हैं जो बैंकों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जो इस प्रकार हैं : प्रतिकूल सरकारी नीतियां/मूल्य नियंत्रण आदि; आर्थिक परिवेश की स्थिति, बाजार मंदी आदि; बाजार में प्रतिस्पर्धा; निविष्ट वस्तुओं का अभाव; प्रबंधन में अनुकरण संबंधी समस्याएं; स्थानीय परिवेश से संबंधित कारक/क्षेत्रीय घटनाएं; प्रौद्योगिकी में हो रहे नवीन परिवर्तन; विद्युत/ईंधन की कटौती; वित्तीय सहायता का समय से उपलब्ध न होना; **प्राकृतिक आपदाएं**।

ऋण या अग्रिम के रूप में दी गई राशि की समुचित रूप से वसूली न हो पाना ही अनर्जक परिसंपत्तियों के उत्पन्न होने के मुख्य कारण हैं। ऋणों या अग्रिमों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है - "कृषि कार्यों हेतु प्रदान किए गए अग्रिम" एवं "गैर कृषि कार्यों हेतु प्रदान किए गए अग्रिम"।

कृषि से संबंधित कार्यों के रूप में प्रदान की गई राशि की किश्त एवं/अथवा ब्याज जब दो लगातार फसली मौसम तक **विगत देय** हो जाए तो, ऐसे अग्रिम को अनर्जक परिसंपत्ति माना जाएगा।

गैर कृषिगत उद्देश्यों हेतु प्रदान किए गए ऋणों या अग्रिमों से उत्पन्न होने वाले अनर्जक आस्तियों को हम निम्नानुसार परिभाषित कर समझ सकते हैं :

कोई भी आवधिक ऋण जिसमें ब्याज एवं/अथवा मूलधन की किश्त दो तिमाही तक विगत देय हो जाए तो ऐसे ऋण या अग्रिम को अनर्जक आस्ति कहा जाएगा ।

विगत देय : कोई भी ब्याज, किश्त अथवा अन्य देय का यदि देय तिथि के बाद से 30 दिन तक भुगतान नहीं किया जाए, तो उसे विगत देय कहा जाएगा ।

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2001-2002 के प्रथम अर्धवर्ष के लिए घोषित मौद्रिक एवं ऋण नीति के द्वारा एन पी ए से संबंधित नीति निर्देश को थोड़ा सख्त करते हुए विगत देय की अवधारणा को समाप्त कर दिया एवं साथ ही साथ गैर निष्पादक होने की अवधि को 180 दिन से घटाते हुए 90 दिन कर दिया । अर्थात् जहां पहले कोई राशि 210 दिन के बाद गैर निष्पादक होती थी वहीं अब यह 90 दिन में गैर निष्पादक हो जाएगी । यह दिशानिर्देश वर्ष 2004 को समाप्त वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा ।

नरसिंहम् समिति ने आस्तियों के वर्गीकरण तथा उसके लिए प्रावधान हेतु कई सुझाव दिए जो निम्नलिखित हैं :

मानक आस्तियां : मानक आस्ति वह आस्ति है जिससे बिना किसी समस्या के नियमित रूप से आय प्राप्त होती है एवं जिसमें व्यवसाय से संबद्ध जोखिम से अधिक जोखिम नहीं होता है ।

अपवाद : यदि सरकारी गारंटीयुक्त खाते गैर निष्पादक हो गए हों, तो भी मानक श्रेणी में वर्गीकृत होंगे तथा ब्याज वास्तविक प्राप्ति के आधार पर आय में सम्मिलित होगा ।

मानक आस्तियों के अलावा सभी आस्तियां गैर-निष्पादक आस्तियां हैं जिन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है :

(क) अवमानक आस्तियां : कोई अग्रिम खाता यदि 18 महीने की अवधि तक अनर्जक बना रहे तो इस प्रकार के आस्ति को अवमानक आस्ति माना जाता है । इस प्रकार के खातों की कमियों एवं दुर्बलताओं को दूर नहीं किया जाए तो खाते में वसूली और भी कठिन हो सकती है ।

(ख) संदिग्ध आस्ति : कोई अग्रिम यदि 18 महीने से अधिक समय तक अनर्जक बना रहे तो इस प्रकार के अग्रिमों को संदिग्ध आस्ति माना जाएगा ।

संदिग्ध आस्तियों को तीन भागों में रखा जा सकता है :

एक साल तक संदिग्ध
एक साल से 3 साल तक संदिग्ध
3 साल से अधिक अवधि तक संदिग्ध

(ग) लोप आस्तियां : वे अग्रिम या खाते जिनमें प्रतिभूतियों से प्राप्त मूल्य या व्यक्तिगत संपत्ति का मूल्य या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त मूल्य शून्य हो जाए तो ऐसे अग्रिमों को लोप आस्ति कहा जाएगा ।

किसी खाते को लोप आस्ति में वर्गीकृत करने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूर्ण होनी चाहिए :

1. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अथवा भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम (डीआईसीजीसी/ईसीजीसी) से कोई गारंटी उपलब्ध न हो ।

2. कोई वास्तविक प्रतिभूति या मूर्त प्रतिभूति उपलब्ध न हो ।

3. ऋणकर्ता/जमानतदार की शुद्ध संपत्ति का मूल्य नगण्य या शून्य हो ।

प्रावधान :उपरोक्त सभी प्रकार की आस्तियों के लिए नरसिंहम समिति में प्रावधान की सिफारिश की गई है जो निम्नानुसार है :

मानक आस्तियां : पहले मानक आस्तियों पर किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा गया था । परंतु इसमें संशोधन करते हुए दिनांक 31.03.2000 से 0.25% का प्रावधान रखा गया है ।

अवमानक आस्तियां : वार्षिक लेखाबंदी की तिथि को खाते के शुद्ध समाशोधित अवशेष का 10% प्रावधान किया जाएगा ।

संदिग्ध आस्तियां

1 वर्ष तक संदिग्ध : असुरक्षित/प्रतिभूतिविहीन भाग का 100% एवं सुरक्षित/प्रतिभूतियुक्त भाग का 20% । यह प्रावधान वार्षिक लेखाबंदी की तिथि को खाते के शुद्ध समायोजित अवशेष पर किया जाएगा ।

1 वर्ष से 3 वर्ष तक संदिग्ध : असुरक्षित/प्रतिभूतिविहीन भाग का 100% एवं सुरक्षित/प्रतिभूतियुक्त भाग का 30% । यह प्रावधान भी वार्षिक लेखाबंदी की तिथि को खाते के शुद्ध समायोजित अवशेष पर किया जाएगा ।

3 वर्ष से अधिक अवधि तक संदिग्ध : असुरक्षित/प्रतिभूतिविहीन भाग का 100% एवं सुरक्षित/प्रतिभूतियुक्त

भाग का 50%। यह प्रावधान भी वार्षिक लेखाबंदी की तिथि को खाते में शुद्ध समायोजित अवशेष पर किया जाएगा।

लोप आस्तियां : शुद्ध समायोजित अवशेष का 100%

अनर्जक आस्तियों से होने वाली हानियां व इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं

1. आय में कमी हो जाना : अनर्जक आस्तियों से आय पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती है क्योंकि न तो मूलधन की वसूली होती है और न ही ब्याज की। आय यदि अवरुद्ध हो जाए तो किसी भी संस्थान का टिका रह पाना मुश्किल हो जाता है।

2. कुल आंकड़ों में शामिल लेकिन अलाभकारी : अनर्जक आस्तियों को बैंक के तुलनपत्र की कुल आस्तियों में तो दर्शाया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में यह आस्ति बैंक के पास होती नहीं है और इन आस्तियों का उपयोग बैंक नहीं कर सकता है। ये आस्तियां बिल्कुल ही अलाभकारी होकर रह जाती हैं।

3. निरीक्षण एवं वसूली कार्रवाई की अतिरिक्त लागत : गैर-निष्पादक खातों में नियंत्रण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इन खातों पर यदि पर्याप्त ध्यान न दिया जाए तो इनमें अवरुद्ध राशि की वसूली न हो पाने की भी बराबर संभावना रहती है। इसके लिए समय और धन दोनों की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। कभी-कभी बैंक को अपनी बकाया राशि की वसूली हेतु न्यायालय में वाद दाखिल करने होते हैं जिसके लिए कोर्ट फीस एवं वकील के खर्चे इत्यादि भरने के लिए धनराशि व्यय करनी पड़ती है। इस प्रकार यदि कोई खाता गैर निष्पादक हो जाता है तो बैंक न केवल उस पर ब्याज का नुकसान सहता है वरन् वसूली, नियंत्रण एवं देख-रेख संबंधी कार्यों पर अतिरिक्त धनराशि भी व्यय करनी पड़ती है, जिससे ऐसा खाता बंद होने तक बैंक की यह राशियां भी अवरुद्ध हो जाती हैं।

4. प्रावधान करने की आवश्यकता : अनर्जक आस्तियों से बैंक को तीन तरफा हानि होती है। एक तो ऐसी आस्तियों पर कोई आय या लाभ प्राप्त नहीं होता है, दूसरा उन्हें इसके लिए शेष बचे पूंजी या लाभ में से अनर्जक परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान करना पड़ता है और तीसरा अन्य व्यक्तियों - संस्थाओं को अग्रिम देने के लिए राशि की कमी हो जाती है।

5. पूंजी पर्याप्तता संबंधी आवश्यकता पर प्रभाव : गैर-निष्पादक खाते न केवल, ब्याज न मिल पाने के कारण बैंक लाभार्जन में अपना योगदान रोक देते हैं वरन् उनके हेतु किए जाने वाले भारी प्रावधान के कारण अन्य अच्छे खातों एवं दूसरे बैंकिंग कारोबार से प्राप्त आय/लाभ की समेकित राशि भी कम हो जाती है जिससे पूंजी पर्याप्तता पर विपरीत असर होता है जिससे अंततः बैंक की लाभप्रदता प्रभावित होती है।

अनर्जक आस्तियों की वसूली एवं समाधान

ऋण स्वीकृति से पूर्व के उपाय

(क) ग्राहक का चयन : ग्राहकों को ऋण प्रदान करने के पूर्व उनसे संबंधित निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा।

- **लाभार्थी** का चरित्र एवं उसकी पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि
- कार्य का अनुभव
- बाजार रिपोर्ट
- व्यक्ति की पृष्ठभूमि

(ख) परियोजना का संपूर्ण आकलन

- तकनीकी व्यवहार्यता
- आर्थिक व्यवहार्यता

(ग) उत्पादन के कारकों की उपलब्धता, जैसे

- भूमि
- पूंजी
- कच्चा माल
- श्रमिक
- उद्यम-वृत्ति एवं

स्वीकृति पूर्व उक्त सभी घटकों का अध्ययन करना आवश्यक है ताकि सही उद्यमी का सही उद्यम हेतु चयन हो सके। इस दृष्टि से स्वीकृति पूर्व निरीक्षण करना भी अति आवश्यक है।

ऋण स्वीकृति के पश्चात के उपाय

(क) नियमित ऋण अनुस्मरणपत्र भिजवाना : ऋणकर्ता को नियमित रूप से ऋण अनुस्मरणपत्र भिजवाया जाना चाहिए और उसे ऋण अदा करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कई बार ऋणकर्ता को किसी कारणवश अनुपस्थित रहने से अनुस्मरणपत्र नहीं मिल पाता है जबकि बैंक यह मान लेता है कि उसे मिल गया होगा और वह जानबूझकर ऋण नहीं चुका रहा है। इस तरह की भ्रांतियों से बचने के लिए नियमित स्मरणपत्र भिजवाना आवश्यक है। नियमित अनुस्मरणपत्र भेजने से ऋणी के मन में भय भी उत्पन्न होगा जिससे वह ऋण भुगतान के लिए स्वतः बाध्य होगा।

(ख) व्यक्तिगत संपर्क करना : व्यक्तिगत संपर्क एन पी ए वसूली का सबसे कारगर उपाय हो सकता है। यदि अनुस्मरण पत्र से काम न बने तो व्यक्तिगत संपर्क भी किया जाना चाहिए। हमेशा संवाद की स्थिति बनाए रखनी चाहिए। इससे ऋणी की प्रतिष्ठा को ज्यादा आघात पहुंचता है एवं साथ ही साथ इससे उसके मन में एक प्रकार का डर भी उत्पन्न होगा।

(ग) सघन वसूली अभियान : सघन वसूली अभियान के माध्यम से अनर्जक परिसंपत्तियों को कम किया जा सकता है। इसका भी अत्यधिक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। ऋणियों को ऋण के भुगतान न करने के परिणामों से भी अवगत कराया जाना चाहिए एवं जहां सख्ती बरतने की जरूरत हो वहां सख्ती भी बरती जानी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक स्टाफ सदस्य को संकल्प लेने की जरूरत है। अपने स्तर पर सभी को प्रयास करना होगा। ऋण वसूली का काम सिर्फ उच्च प्रबंधन की ही जिम्मेदारी नहीं है।

(घ) सरकारी निकायों को वसूली हेतु मामले देने के लक्ष्य निर्धारित करना : जिन अनर्जक परिसंपत्तियों की वसूली सरकारी निकायों द्वारा करवाने की जरूरत महसूस होती हो, उसका लक्ष्य पहले से ही निर्धारित किया जाना चाहिए। सभी मामलों को इन निकायों की शिथिल कार्यप्रणालियों के भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता।

(ङ) उचित रूप से समझौता प्रस्ताव करना : ज्यादातर ऋणी मूलधन चुकाने को तैयार ही होते हैं। समस्या आती है सिर्फ ब्याज चुकाने में। ऐसी स्थिति में यदि अल्प हानि उठाकर भी ऋण की वसूली हो तो यह बैंक के लिए हितकर ही साबित होगा। उचित समझौता प्रस्ताव करके दोनों पक्षों की सहमति से यह काम हो सकता है, जहां बैंक को भी अधिक नुकसान न हो और ऋणी को भी कुछ राहत मिल जाए।

(च) ऋण की उचित किश्त का नियतन करना : ऋण स्वीकृति के समय किश्तों को व्यावहारिक तरीके से तय करना चाहिए ताकि ऋणी किश्तों का भुगतान अपने उपक्रम से होने वाले लाभ से समय पर कर सकने में समर्थ हो सके। उपक्रम से होने वाले लाभ का आकलन व्यावहारिक दृष्टि से किया जाना चाहिए तथा किश्तों की राशि उसकी अदा कर सकने की क्षमता को ध्यान में रख कर ही तय की जानी चाहिए।

(छ) फैक्टरिंग सेवाएं : ऋण के बढ़ते आकार को देखते हुए वसूली प्रबंधन अपने आप में एक बहुत व्यापक कार्य का रूप लेता जा रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वसूली संबंधी विशिष्ट कार्य अन्य एजेंसियों द्वारा भी किया जा सकता है। फैक्टरिंग सेवाओं के अंतर्गत फैक्टर बैंक की ओर से ऋण की वसूली कर सकता है एवं अपना शुल्क काटकर शेष राशि बैंक को उपलब्ध करा सकता है। इससे बैंक को कई फायदे हो सकते हैं - एक तो बैंक की तरलता में वृद्धि होगी तथा बैंक उस धन को अन्य लाभदायक कार्यों में प्रयोग कर सकता है, दूसरी तरफ वसूली संबंधी बहुत से पेचीदा कार्यों से भी बैंक को राहत मिल सकती है।

(ज) बट्टे खाते डालना : कुछ अनर्जक आस्ति खातों में बकाया शेष राशि बहुत कम जैसे - 1000 रुपए से कम हो, तो ऐसे खातों में वसूली खर्च उसके बकाया शेष से अधिक आने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में शाखा स्तर एवं बैंक के स्तर पर इन खातों को बट्टे खाते डालना अधिक लाभदायक होगा और अनर्जक आस्तियों में भी कमी हो सकेगी। बड़े खातों में भी जहां वसूली की कोई भी संभावना न हो उन्हें भी बट्टे खाते डालना उचित होगा।

(झ) डिक्री शीघ्र निष्पादित करवाना : कई अनर्जक आस्ति खातों में न्यायालय द्वारा बैंक के पक्ष में जारी की गई डिक्रियां कई वर्षों तक अनिष्पादित ही पड़ी रहती हैं, लेकिन बैंक द्वारा आलस्यवश ऐसी डिक्रियों को त्वरित गति से निष्पादित नहीं करवाया जाता है, फलस्वरूप ऋणी अपनी बची खुची संपत्तियों को भी बेच देता है और बैंक को संपूर्ण नुकसान भुगतना पड़ता है। अतः बैंकों द्वारा शाखा, क्षेत्र और अंचल स्तर पर प्रतिवर्ष ऐसी पड़ी हुई डिक्रियों को निष्पादित करवाने का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए और डिक्रियां निष्पादित करवानी चाहिए। इससे भी अनर्जक आस्तियों में कमी की जा सकती है।

(ट) बीमार इकाइयों को पुनःस्थापित करना : कभी-कभी कम ऋण राशि के कारण या समय पर ऋण उपलब्ध न हो पाने के कारण या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या पारिवारिक कारण या अन्य किसी कारण से औद्योगिक इकाइयां प्रारंभ ही नहीं हो पाती हैं या प्रारंभ होती भी हैं तो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं और लाभदायक स्थिति में नहीं पहुंच पाती। ऐसी स्थिति में सही कारणों का पता लगाकर उन इकाइयों को पुनःस्थापित करने हेतु फिर से ऋण स्वीकृत कर उसे पुनःस्थापित किया जा सकता है, क्योंकि जब तक उसे पुनःस्थापित नहीं किया जाता तब तक इकाई अपना कार्य ही प्रारंभ नहीं कर सकेगी। कार्य प्रारंभ न हो पाने की स्थिति में ऋण की वसूली हो पाना संभव नहीं हो सकेगा।

(ठ) ऋण मेलों की तरह वसूली कैम्प लगाना : जिस तरह बैंक ऋण मेलों का आयोजन करता है उसी प्रकार उसके वसूली हेतु मेलों या कैम्पों का आयोजन करना चाहिए। इससे एक जगह मिल बैठकर ऋणी की परेशानियों को हल किया जा सकेगा एवं उन्हें ऋण भुगतान के लिए प्रेरित किया जा सकेगा और ऋण की वसूली हो सकेगी।

(ड) अकालग्रस्त इलाकों के ऋणियों को ब्याज में राहत प्रदान कर एन पी ए वसूल करना : ऐसे इलाके जो अकाल या भुखमरी या बाढ़ या अन्य प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित हों, वहां के ऋणियों को मानवता के आधार पर ब्याज में कुछ राहत प्रदान कर उनसे ऋण की वसूली की जा सकती है। इससे वे बैंक के प्रति एहसान का अनुभव करेंगे एवं ऋण के भुगतान के लिए स्वयं ही प्रेरित होंगे।

ऋणों या अग्रिमों के कारण उत्पन्न होने वाली अनर्जक आस्तियों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे कारक हैं जो बैंकिंग उद्योग में अनर्जक आस्तियों को बढ़ाते हैं। ऐसे कारक निम्नानुसार हैं :

अप्रयुक्त लेखन सामग्री
उपयोग में न आने वाला या बेकार पड़ा फर्नीचर
उपयोग में न आने वाले वाहन
अप्रयुक्त स्थाई/अचल संपत्तियां
असमाशोधित प्रविष्टियां
अनुत्पादक या जरूरत से ज्यादा स्टाफ।

निरन्तर प्रयास से बैंक एन पी ए को नियंत्रित करने में उत्साहजनक परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी इस ओर निरन्तर जागरूकता व प्रयास आवश्यक है। बड़े खातों विशेष कर 10 लाख और अधिक में डीआरटी की विशेष भूमिका है और इसे अधिक प्रभावी बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। कानून में भी आवश्यक संशोधन किये जाने आवश्यक हैं। ऋणों की प्रक्रिया और गुणवत्ता, निरन्तर फॉलोअप अति आवश्यक है ताकि एन पी ए की स्थिति कम से कम उत्पन्न हो क्योंकि बट्टे खाते व समझौता प्रस्तावों पर हम अधिक नहीं चल सकते। मार्केटिंग की तरह समझौता प्रस्तावों को सफल बनाना और वसूली करना एक कला है। इसके लिए अलग कक्ष, अलग व्यक्ति आवश्यक है और उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण देना आवश्यक है। बैंकों में ऋणों की वसूली के सम्बंध में सरकारी नीति व प्रक्रिया दोनों में अपेक्षित सुधार व प्रभावशीलता आवश्यक है ताकि राजनीतिक व अन्य प्रभाव इस कार्य में बाधक न बनें।

अनर्जक परिसंपत्तियों की समस्या बैंकिंग उद्योग के लिए कैंसर जैसी भयावह बीमारी के समान है। फिर भी अत्यंत जागरूक रहकर एवं बेहतर ऋण प्रबंधन का विकास कर इससे बचा जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है ऐसे ऋण प्रबंधन के विकास की जो ज्यादा पारदर्शी एवं स्पष्ट हो। बैंकों का मुख्य कार्य ही है, राशि का आदान-प्रदान करना। ऐसी स्थिति में कुछ राशियों के अनर्जक होने की हमेशा ही संभावना रहती है। अतः बैंकों के लिए पूरी तरह से अनर्जक आस्तियों को समाप्त कर पाना शायद संभव नहीं होगा परंतु इसमें कमी निश्चित रूप से की जा सकती है। अनर्जक आस्तियों में कमी बैंकों के लाभ एवं लाभप्रदता दोनों को ही बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा।

प्रयुक्त शब्दावली

अनर्जक परिसंपत्तियां	Non-productive assets	संदिग्ध आस्ति	Doubtful asset
अर्जक संपत्तियां	Productive assets	लोप आस्तियां	Loss assets
कारक	Factor	वार्षिक लेखाबंदी	Annual closing
नौकरशाही	Bureaucratic	लाभार्थी	Beneficiary
प्राकृतिक आपदाएं	Natural Calamities	आकलन	Assessment
विगत देय	Past Due	अभियान	Campaign
मानक आस्तियां	Standard assets	निष्पादित करवाना	To execute
अवमानक आस्तियां	Sub-standard assets	पुनःस्थापित करना	To rehabilitate

एक्जिम बैंक : अंतिम लक्ष्य की तरफ अग्रसर

श्री एम. पी. सैनी
पंजाब नेशनल बैंक
शाखा एन. आई. टी.
फरीदाबाद - 121 002
(हरियाणा)

एक्जिम बैंक की स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम, 1981 द्वारा निर्मित सार्वजनिक क्षेत्र के **उपक्रम** के अंतर्गत की गई है । इस बैंक का मुख्य कार्य विदेशी व्यापार में संलग्न व्यक्तियों, संस्थाओं व औद्योगिक उपक्रमों को वित्तीय सहायता के अतिरिक्त सलाहकारी सेवाएं व सहभागिता प्रदान करना है । भारत में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया के कारण इस संस्था का जन्म हुआ ।

स्वतंत्रता के बाद से ही भारत का **व्यापार संतुलन** कभी भी अनुकूल स्थिति में नहीं रहा । 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद देश का विदेशी व्यापार संतुलन और भी डावांडोल हो गया । इस दशक में भारत सरकार ने कुछ निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के बलबूते पर भारत के व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए कुछ प्रयास किए । भारत के परंपरागत निर्यात में जहां एक तरफ तीव्र वृद्धि हुई वहां दूसरी तरफ गैर परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में भी तेजी से वृद्धि हुई । लेकिन इस दशक में मुख्य समस्या यह थी कि नवीन अवसरों के कारण उद्योग जगत द्वारा नई-नई माँगें की जा रही थीं तथा संस्थागत **साख**, बीमा तथा गारंटी जैसी सुविधाओं का अभाव था । अतः इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि एक उपयुक्त समन्वित संस्था के जरिए साख, बीमा तथा गारंटी सुविधाओं में समन्वय स्थापित किया जाए ताकि औद्योगिक जगत द्वारा माँगी जानेवाली समस्त सुविधाओं को एक ही छत के नीचे प्रदान किया जा सके ।

1970 के दशक में भारतीय निर्यातकों को व्यापारिक साख के रूप में अवधि के आधार पर ही वित्त सुविधाएँ प्रदान की जाती थीं । इसके बाद औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त की सुविधाएँ भी वे प्राप्त कर लेते थे । निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सुविधाओं में जोखिम का स्तर कम करने के लिए निर्यात साख बीमा निगम द्वारा व्यापारिक बैंकों को **वित्तीय प्रत्याभूति** देना प्रारम्भ कर दिया गया ताकि बैंकों का जोखिम कम किया जा सके तथा वे अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप अग्रिम प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाते रहें ।

इन समस्त सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए निर्यातकों को काफी कठिन प्रक्रियाएँ पूरी करनी होती थीं । कागजी कार्यवाही को पूरा करने के साथ-साथ विभिन्न साख संस्थाओं की तरफ हाथ पसारना पड़ता था । यह प्रक्रिया न केवल लम्बी होती थी बल्कि निर्यातकों को हतोत्साहित करने वाली भी होती थी । इन सुविधाओं को प्राप्त करने में न केवल अत्यधिक समय लगता था बल्कि निर्यातकों को इन सेवाओं पर अत्यधिक लागत भी वहन करनी पड़ती थी । ऐसी स्थिति में **निर्यात संभावनाओं** को धक्का पहुँचा तथा भारतीय निर्यातक प्रतियोगी बाजार में अपनी साख बनाए रखने में अपने को असमर्थ पाने लगे थे ।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के युग में भारतीय निर्यातकों का माल विदेशी बाजारों में अनबिका रहने लगा । ऐसी स्थिति से उबरने के लिए भारत में ऐसी वित्तीय संस्था के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गयी जो निर्यातकों को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान कर सके बल्कि तकनीकी परामर्श व सलाहकारी सेवाएँ भी प्रदान कर सके ।

उद्‌भव के कारण

एक्जिम बैंक का उद्‌भव जिन परिस्थितियों के कारण हुआ वे इस प्रकार हैं :-

❖ साख प्रदान करने वाली संस्थाएँ अपने आपको व्यापारिक जगत की मांग पूरी करने में असमर्थ पा रही थीं ।

❖ साख संस्थाओं, बीमा संस्थाओं, गारंटी प्रदान करने वाली संस्थाओं तथा वित्तीय संस्थानों में **आपसी तालमेल** व समन्वय का अभाव था ।

❖ **विलंबित भुगतान** की शर्तों पर किए जाने वाले निर्यातकों

के संबंध में पर्याप्त सुविधाओं का निरंतर अभाव महसूस किया जा रहा था।

❖ बढ़ते हुए निर्यात व्यापार के लिए व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदत्त साख के विरुद्ध पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करने में भारत का एकमात्र भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपने आपको असमर्थ पा रहा था।

❖ भारतीय आयात में वृद्धि के कारण भारतीय निर्यातों में आवश्यक रूप से वृद्धि करना अनिवार्य हो गया था।

❖ निर्यातकों को गैर परम्परागत निर्यातों के लिए **अल्पकालीन ऋण** सुविधा प्रदान नहीं की जा रही थी। इस समय तक निर्यातकों को केवल परम्परागत निर्यातों के विरुद्ध ही वित्त सुविधा प्रदान की जा रही थी।

❖ अधिकांश निर्यातकों को विलंबित भुगतान की शर्तों पर किए जाने वाले निर्यातों की सुविधाएँ प्रदान की जा सकें।

❖ निर्यातकों को एक ही छत के नीचे साख, बीमा, गारंटी तथा सलाहकारी सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

1980 के शुरुआती दिनों में भारत सरकार को यह सुझाव दिया गया कि समय रहते एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए जो निर्यातकों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्त,साख तथा बीमा सुविधाएँ प्रदान कर सके। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने 7 जनवरी, 1981 को एक निर्यात आयात बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया तथा 1 जनवरी, 1982 को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में एक्ज़िम बैंक ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था।

निर्यात आयात बैंक एक पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जिसकी आरम्भ में **अधिकृत पूंजी** 200 करोड़ रुपये थी जिसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये तक किया जा सकता है। भारतीय निर्यात आयात बैंक को भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बाजारों तथा विदेशी बाजारों से ऋण प्राप्त करने का अधिकार है।

कार्य

एक्ज़िम बैंक का कार्य आयात निर्यात कार्य में लगी संस्थाओं को विभिन्न प्रकार की अल्पकालीन, **मध्यकालीन** व **दीर्घकालीन** वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके विभिन्न कार्यों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है :-

❖ व्यापारिक बैंकों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऋणों के विरुद्ध पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करना।

❖ आयात निर्यात में संलग्न वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं में आपसी तालमेल व समन्वय स्थापित करना।

❖ आयातकों तथा निर्यातकों की इकाइयों का विकास करने हेतु वाणिज्य व बैंकिंग क्रियाओं को सम्पन्न करना।

❖ भारतीय कम्पनियाँ जो विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाना चाहती हैं उन्हें अंश पूँजी जुटाने में सहयोग देना तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

❖ आयातक तथा निर्यातक व्यापारियों, संस्थाओं तथा उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

उपर्युक्त कार्यों को पूरा करने के लिए एक्ज़िम बैंक निम्न प्रक्रियाएँ सम्पन्न करता है :-

❖ **पूर्व लदान** साख के रूप में एक्ज़िम बैंक निर्यातकों को निर्यातक वस्तुओं व सेवाओं के संबंध में 180 दिन से अधिक के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करता है।

❖ एक्ज़िम बैंक विदेशों में स्थित क्रेताओं को विलंबित भुगतान की गारंटी जारी करता है ताकि वे भारत में इंजीनियरिंग सामान की पूर्ति सुनिश्चित कर सकें।

❖ एक्ज़िम बैंक उन निर्यातों के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है जिसके अन्तर्गत मुक्त व्यापार क्षेत्रों व शत प्रतिशत निर्यातक इकाइयों को वित्तीय सुविधा प्रदान की गई है।

❖ एक्ज़िम बैंक उन निर्यातकों को विलंबित भुगतान की शर्तों पर वित्त प्रदान करता है जो प्लान्ट, उपकरणों व सेवाओं के निर्यात में कार्यरत हैं। यह बैंक पूँजीगत वस्तुओं/उत्पादक वस्तुओं तथा रक्षक परियोजनाओं के निर्यात के लिए वित्त प्रदान करता है। इसके लिए आयातक की तरफ से वहाँ के बैंक/सरकार की तरफ से भुगतान की गारंटी को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

❖ ऐसे निर्यातक जो विदेशों में परामर्श व तकनीकी सेवाओं के सौदे करते हैं उन्हें यह बैंक व्यापारिक बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्तपोषण करता है। इसके लिए आवश्यक है कि निर्यातक को सौदे का कम से कम 25% का अग्रिम भुगतान के रूप में अवश्य भुगतान किया जाए तथा ऋण के भुगतान की गारंटी आयातक के बैंक/सरकार की तरफ से अवश्य दी जाए।

❖ भारतीय निर्यातक विदेशों में विदेशी अधिकारी तथा भारत सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करके संयुक्त उद्यमों की स्थापना कर सकता है । एक्जिम बैंक इन परियोजनाओं के लिए अधिकतम 10 वर्षों के लिए वित्त प्रदान कर सकता है ।

❖ एक्जिम बैंक मान्यता प्राप्त शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को वित्तपोषित करता है ताकि वे मुक्त व्यापार क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की स्थापना/विस्तार कर सकें । बैंक एक प्रतिशत गारंटी शुल्क लेकर विलंबित भुगतान की गारंटी जारी करता है ।

❖ यह बैंक अधिकृत व्यापारियों तथा उद्यमों द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए सावधि ऋणों पर शत प्रतिशत पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है ।

❖ एक्जिम बैंक विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों को साख प्रदान करता है ताकि विदेशी निर्यातकों को भारत में पूँजीगत वस्तुओं के निर्यात हेतु ऋण प्रदान किया जा सके ।

❖ एक्जिम बैंक व्यापारिक बैंकों व अधिकृत व्यापारियों के 180 दिनों से कम सावधि निर्यात बिलों की पुनर्कटौती करता है ।

❖ एक्जिम बैंक विदेशों में भारतीय निर्यातकों द्वारा प्राप्त की गई विभिन्न परियोजनाओं के लिए विदेशी सरकारों/आयातक को निर्यातक की तरफ से **दायित्व** वहन करने की गारंटी व्यापारिक बैंकों की तरफ से प्रदान करता है । यह बैंक बिड बाँड गारंटी, निष्पादकता गारंटी, मुडा अवरोधन गारंटी, अग्रिम भुगतान गारंटी प्रदान करता है ताकि भारतीय निर्यातकों का दायित्व वहन किया जा सके ।

एक्जिम बैंक के परिचालक घटक

निम्न प्रकार से ये घटक बैंक के संचालन में सहयोग करते हैं :-

❖ भारतीय निर्यातकों के लिए निर्यात की नई-नई संभावनाओं का पता लगाना तथा निर्यातकों को वित्तीय/**वैधानिक** मदद प्रदान करना ।

❖ निर्यातकों के उत्पादों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनका स्थान खोजना तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करना ।

❖ भारतीय निर्यातकों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना ताकि वे विश्वव्यापी प्रतियोगिता में स्वयं के प्रयासों द्वारा शामिल हो सकें ।

❖ भारतीय निर्यातकों को विश्व की अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा उन्हें इस बात की जानकारी देना कि किन देशों में निर्यात की प्रबल संभावनाएं हैं ।

❖ भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा में प्रभावी स्थान दिलाना ।

परामर्शदायी सेवाएं

एक्जिम बैंक निर्यातकों को अपने कुशल व अनुभवी सलाहकारों द्वारा परामर्श व सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है ।

❖ भारतीय निर्यातकों/आयातकों को विदेशों में वित्त के अनुकूल स्रोतों के सौदों के क्रियान्वयन में परामर्श देना ।

❖ भारतीय निर्यातक कंपनियों को **अभिकल्पन**/वित्तपोषण तथा **संवेष्ठन** में परामर्श व सलाह देना ।

❖ भारतीय निर्यातकों को विश्व साख के समस्त स्रोतों तक पहुंचाना ।

❖ ऐसे उद्योगों के वित्तपोषण के संवेष्ठन के लिए परामर्श देना व अभिकल्पन करना जिन्हें शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त हो ।

❖ तृतीय विश्व के देशों में विनिमय नियंत्रण व्यवहारों से भारतीय आयात निर्यात में संलग्न कंपनियों को अवगत कराना ।

प्रवर्तनकारी कार्य

आयात निर्यात क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए एक्जिम बैंक निम्न प्रवर्तनकारी कार्य करता है :-

❖ निर्यातक इकाइयों के विकास हेतु उन्हें वित्तीय सुविधा प्रदान करना ।

❖ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत से संबंधित बाजार संभावनाओं का पता लगाना, साख सूचनाओं को एकत्रित करना, संकलित करके उनका विश्लेषण करना तथा आयात निर्यात कंपनियों तक इनका प्रसार करना ।

❖ ऐसे भारतीय निर्यातक जो विदेशी उपक्रम स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए एक्जिम बैंक सूचनाएं व अन्य जानकारी प्राप्त करता है ।

❖ भारत का एक्जिम बैंक विदेश के एक्जिम बैंकों तथा विकास बैंकों के अंशों व ऋण पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों का क्रय करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है ।

❖ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए अनुसंधान शोध तथा सर्वेक्षण आदि के जरिए भारतीय निर्यातकों तथा आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

❖ जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं/इकाइयां आयात निर्यात कार्यों में संलग्न हैं उन्हें वित्तीय/तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता प्रदान करना ।

❖ भारतीय निर्यातकों तथा संस्थाओं के साथ "संयुक्त सहभागिता" के समझौते करना ताकि विदेशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की जा सके ।

अन्य कार्यक्रम

❖ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकिंग के अंतर्गत भारतीय कंपनियों को विदेशी परियोजनाओं के संबंध में उनके **ठेकों**/समझौतों के पैकेजों को तैयार करने में वित्तीय सलाह तथा वित्तीय सहायता के साथ-साथ सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान करता है ।

❖ **निर्यात विपणन निधि** के अंतर्गत एक्जिम बैंक भारत सरकार की तरफ से विपणन निधि का प्रबंध करता है । यह बैंक भारतीय निर्यातकों के उत्पादों के संबंध में विपणन क्रियाकलापों को सम्पन्न करता है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर भारतीय निर्यातकों के उत्पादों की विपणन संवृद्धि में वृद्धि करना है ताकि विदेशी बाजारों में भारतीय निर्यातक अपना दीर्घकालीन स्थान बना सकें ।

❖ उत्पाद बीमा कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्पाद का बीमा करने का कार्यक्रम एक्जिम बैंक की देन है । वर्तमान काल में उपभोक्ता अधिक जागरूक हो गया है । नए-नए नियमों के अंतर्गत वस्तु की किस्म, गुणवत्ता और मूल्य के संबंध में उत्पादक को बांधने का हर संभव प्रयास किया गया है । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्यातकों को विवश होकर अपने उत्पादों का बीमा कराना पड़ता है ताकि हानि की दशा में उनकी **क्षतिपूर्ति** की जा सके । यह बैंक उत्पाद दायित्व बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रीमियम लागत के बदले में निर्यातकों को उनके उत्पादों के संबंध में उत्पाद बीमा सुविधा प्रदान करता है ।

❖ एक्जिम बैंक इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा विक्रेता विकास को सहायता प्रदान करता है क्योंकि वे विक्रेताओं से निर्यात होने वाला माल प्राप्त करते हैं । इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यातकों को मीयादी ऋण उपलब्ध कराकर विक्रेता के साथ विपणन सुविधाओं की सुधार प्रक्रिया द्वारा निर्यातों की मात्रा में वृद्धि का प्रयास किया जाता है ।

अंतर्राष्ट्रीय पहचान

एक्जिम बैंक पूंजीगत माल, इंजीनियरिंग सामान की परियोजनाओं व सेवाओं के निर्यात में अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान स्थापित कर चुका है । विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने में एक्जिम बैंक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है ।

एक्जिम बैंक इंजीनियरिंग माल, पूंजीगत माल, उत्पाद और तकनीकी सेवाओं के साथ-साथ सहभागिता के आधार पर संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए निर्यातकों/संस्थाओं को वित्तीय सुविधा के साथ सलाहकारी/वैधानिक सेवाएं प्रदान करने वाली एक सर्वोच्च संस्था के रूप में पहचाना जाने लगा है ।

प्रयुक्त शब्दावली

उपक्रम	Undertaking
व्यापार संतुलन	Balance of trade
साख	Credit
वित्तीय प्रत्याभूति	Financial guarantee
निर्यात संभावनाएं	Export possibilities
आपसी तालमेल	Mutual understanding
विलंबित भुगतान	Delayed payment
अल्पकालीन ऋण	Short-term credit
अधिकृत पूंजी	Authorised capital
मध्यकालीन	Mid-term
दीर्घकालीन	Long-term
पूर्व लदान	Pre-shipment
दायित्व	Liability
परिचालक	Operative
वैधानिक	Legal / Statutory
अभिकल्पन	Designing
संवेष्ठन	Packing
ठेका	Contract
निर्यात विपणन निधि	Export Marketing Fund
क्षतिपूर्ति	Compensation

संपादकीय

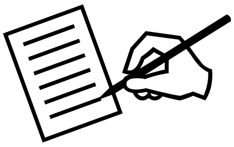

इस स्तंभ में मैं आपके साथ काले धन को वैध बनाने की बढ़ती हुई भयावह स्थिति पर चर्चा करना चाहता हूं जो न केवल बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर अपितु पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रही है । हाल ही में अमेरिका में विश्व व्यापार केन्द्र के दोनों टॉवरों के हुए विनाश और पूरे विश्व में लगातार हो रहे अन्य भयावह आतंकवादी हमलों के लिए आतंकवादी दलों द्वारा धन का प्रयोग किया जाता है । ऐसे दल अपराध करने के लिए नियमित रूप से अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग करते हैं । काले धन को वैध बनाना यह एक गंभीर, अत्यधिक विकृत और जटिल आपराधिक गतिविधि है । काले धन को वैध बनाने का अर्थ है अवैध रूप से प्राप्त धन को इस तरह से 'वैध बनाना' जिससे यह प्रतीत हो कि वह धन वैध स्रोत से ही प्राप्त हुआ है । विश्व भर में काले धन को वैध बनानेवाले व्यक्ति मादक द्रव्यों/शस्त्रों के व्यापार, आतंकवाद और जबरन वसूली जैसी गतिविधियों से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों को छिपाने के लिए काले धन को वैध बनाते हैं । यद्यपि काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया बहुविध और अक्सर जटिल होती है तथापि मूलतः इसकी तीन स्वतंत्र अवस्थाएं होती हैं जिन्हें 'नियोजन' (अवैध गतिविधि से प्राप्त थोक नकदी को प्रत्यक्ष रूप से खर्च करना) 'स्तरीकरण' (अवैध प्राप्तियों को उनके मूल स्रोत से अलग करने के लिए वित्तीय लेनदेनों के जटिल स्तरों का निर्माण करना ताकि वे लेखा परीक्षा से छिपे रहें और उनका पता न लगाया जा सके) और 'एकीकरण' (वैध बनाए गए धन को अर्थव्यवस्था में पुनः इस तरह से लगाना जिससे वह वित्तीय प्रणाली में सामान्य कारोबारी निधियों की तरह फिर से शामिल हो सके) कहा जाता है । ऐसा अनुमान है कि बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से हर वर्ष लगभग एक ट्रिलियन डालर की अवैध निधियों को वैध बनाया जाता है ।

इसके लिए विशेष रूप से बैंक और वित्तीय संस्थाओं का सहारा लिया जाता है क्योंकि आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त राशि बैंकों में भारी नकदी जमाराशि के रूप में रखी जा सकती है । इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि बैंक अधिकारी भारी नकदी जमाराशि के साथ खाता खोलनेवालों के साथ और संदेहास्पद लेनदेनों को रोकने के लिए निरंतर सावधानी बरतें । इसके अलावा, काले धन को वैध बनाने के कारण किसी भी देश की राजकोषीय/मौद्रिक नीतियां भी प्रभावित हो सकती हैं ।

काले धन को वैध बनाने की आज की इस प्रक्रिया की शुरुआत बहुत पहले 'हवाला प्रक्रिया' से हुई जिसके द्वारा काले धन को आसानी से वैध धन में परिवर्तित किया जाता था । हवाला प्रक्रिया में वास्तविक रूप में कागजों का कोई प्रयोग नहीं होता है जिसकी जांच पड़ताल की जा सके । हवाला रैकेट में शामिल व्यक्तियों को प्रत्येक लेनदेन में काफी धन मिलता है । इससे प्राप्त लाभ को वैध बनाने के लिए उसका गुप्त रूप से स्थावर संपदा, श्रेष्ठ प्रतिभूति, आदि में निवेश कर दिया जाता है । इस संबंध में ग्राहक पहचान, कानून का पालन, कानून लागू करनेवाले प्राधिकारियों के साथ सहयोग और रिकार्ड का रखरखाव तथा प्रणाली - जैसे चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करनेवाला बास्ले सिध्दांत महत्वपूर्ण हो जाता है । मादक पदार्थों के व्यापार जैसी आपराधिक गतिविधियां नकदी लेनदेन के माध्यम से बेनामी कारोबार का रूप अख्तियार कर लेती हैं । आम तौर पर मादक पदार्थों के कारोबार में नकदी का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें काले धन को वैध बनानेवाले व्यक्तियों की पहचान छिपाए रखने की अपार संभावना होती है, जो चेक या अन्य कागजी लिखतों के मामले में संभव नहीं है । इसके अलावा यह अपने

पीछे लेखा-परीक्षा के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ता । काले धन को वैध बनानेवाले व्यक्ति नकदी जमाराशि, जाली कारोबार और वैध कारोबार से अर्जित नकदी का प्रयोग करते हैं । बैंकों को दो तरह की दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, एक ओर तो उन्हें असामान्य मुद्रा लेनदेनों को पहचानने और उससे जुड़े खतरों से दो चार होना पड़ता है तो दूसरी ओर मौद्रिक लिखतों, इलेक्ट्रॉनिक अंतरणों, असामान्य संपार्श्विक और ऋण भुगतानों का सामना करना पड़ता है । विदेशों में कानूनी प्रणाली ऐसी है कि उसके तहत उन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके कर्मचारी काले धन को वैध बनाने की गतिविधियों में लिप्त पाए जाएं । विश्व भर में केन्द्रीय बैंक रिकार्ड के रखरखाव, रिपोर्टिंग, खाता खोलने और लेनदेन पर निगरानी रखने के लिए मानदंड लागू कर रहे हैं और प्रचलित मानदंडों को मजबूत कर रहे हैं । बैंकों के कर्मचारियों को संदेहास्पद लेनदेनों को पहचानने के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है । काले धन को वैध बनाने के शिकंजे से बचने के लिए बैंक अधिकारियों को अनिवार्य रूप से दो महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होगा : अपने ग्राहक को जानो और अपने कर्मचारी को पहचानो ।

बास्ले, स्विट्जरलैण्ड में दिसंबर 1988 में हुई जी 10 देशों की बैठक में काले धन को वैध बनानेवाले व्यक्तियों से होनेवाले खतरों पर विचार किया गया और तदनुसार बैंककारी विनियमन और पर्यवेक्षी कार्यप्रणालियों की समिति (कमिटी ऑन बैंकिंग रेग्युलेशन्स एण्ड सुपरवाइजरी प्रॅक्टीसेस) द्वारा कुछेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए । इस समिति में बेल्जियम, कनाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैण्डस, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड और अमेरिका के केन्द्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल थे । उक्त निर्णयों को अब बास्ले सिध्दांतों के नाम से जाना जाता है और ये सिध्दांत काले धन को वैध बनाने के लिए बैंकिंग प्रणाली के दुरुपयोग पर रोक लगाते हैं । बास्ले सिध्दांतों में ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं काले धन को वैध बनाने के शिकंजे से बच सकती हैं । ये सिध्दांत केवल मादक पदार्थों के व्यापार से संबंधित काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं हैं अपितु ये बैंकिंग प्रणाली - जमा, अंतरण के माध्यम से और / या डकैती, आतंकवाद, धोखाधड़ी जैसी अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन को छिपाने जैसे सभी पहलुओं को कवर करते हैं ।

हमारे देश में कुछ ऐसी बैंकिंग कार्यप्रणालियां / कानून मौजूद हैं जो देश में काले धन को वैध बनाने की गतिविधियों की संवृध्दि पर रोक लगाने का कार्य करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं : बैंक खाता खोलने से पहले भावी ग्राहकों की पहचान करने की मौजूदा प्रणाली; न्यायालय, पुलिस, आयकर अधिकारियों आदि द्वारा बैंक के ग्राहकों के खातों की आपराधिक जांच पड़ताल करने की अनुमति और "बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891" तथा "बैंककारी कंपनी (अभिलेखों का परिरक्षण) नियमावली, 1985", आदि जैसे सांविधिक प्रावधान जो आपराधिक जांच पड़ताल करने की अनुमति देते हैं ।

हम आशा करते हैं कि जल्द ही देश में काले धन को वैध बनाने का निरोधक बिल कानून के रूप में लागू किया जाएगा । यद्यपि काले धन को वैध बनाने का निरोधक बिल अभी लागू किया जाना है तथापि बैंकों को चाहिए कि वे इस संबंध में उचित सावधानी बरतें क्योंकि ऐसी गतिविधियों में अप्रत्यक्ष सहभागिता से संगठन की प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है जिससे उनके भावी कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

आपका

मैं आपको सूचित करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करनेवाले कार्मिकों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतएव बड़े पैमाने पर बैंक कर्मी ग्रामीण क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण पत्रिका को पढ़ने से वंचित रह जायेंगे। अतएव अनुरोध है कि इस पत्रिका की मुद्रित प्रति वार्षिक चंदा भेजकर पंजीकृत लोगों को पूर्व की भांति भेजना जारी रखें ताकि उसका लाभ सभी लोग उठा सकें। आशा करता हूँ कि आप इस सुझाव को अमली जामा पहनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

- श्री पी. एन. मिश्रा
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
ग्राम व पोस्ट पट्टीनरेनपुर
जिला-जौनपुर (उत्तर प्रदेश)-223 102

आपका यह निर्णय कि पत्रिका का प्रकाशन/मुद्रण बन्द कर इसे इंटरनेट पर डाल दिया जाए अप्रिय व अव्यावहारिक प्रतीत होता है। जिस प्रकार मूर्तिकार के बजाय मूर्ति अधिक प्रिय/अमूल्य/अविकल्प होती है उसी प्रकार हम जैसे पुराने सदस्यों को अनुचिंतन पत्रिका के रूप में ही चाहिए अन्य किसी रूप में नहीं। कृपया अभिदान बढ़ा दीजिए परंतु हिन्दी की एकमात्र आन-बान और शान (बैंकिंग क्षेत्र में) को बन्द न कीजिए अन्यथा हम जैसे बहुतेरे बैंक कर्मी इस एकमात्र सहारे को खो बैठेंगे जिन्हें या तो इंटरनेट उपलब्ध नहीं है या फिर उपलब्ध होने में अनेकानेक कठिनाइयाँ हैं। कृपया इस करूण पुकार के उन सुरों में एक सुर मेरा मिला लें। यही अनुनय/विनय/प्रार्थना/दुआ/पुकार है।

- श्री गोपाल कृष्ण निगम
"लक्ष्मी श्री" अलखधाम नगर
सांवेर रोड, उज्जैन (मध्य प्रदेश)-456 010

महोदय मैंने इस पत्रिका का सदस्य बनने हेतु लिखा था लेकिन इससे सम्बन्धित पत्र मुझे प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि यह पत्रिका वेबसाइट पर डाल दी गई है और भविष्य में यह प्रकाशित नहीं होगी, जिसे पढ़कर बड़ा दुख हुआ। क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रामीण शाखा में हूँ जहाँ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कम्प्यूटर की जानकारी न होने के कारण मुझे निराश होना पड़ा। अतएव श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त पत्रिका को हमारे जैसे दूरदराज ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत बैंक कर्मियों की मुश्किलों को ध्यान में रखकर पुनः प्रकाशित करने की कृपा करें।

- श्री गोपालदास
भारतीय स्टेट बैंक
शाखा तिस्सा, डाक घर तिस्सा
मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश 251 300

महाशय, वेबसाइट पर पत्रिका को पढ़ना अभी सभी शहरों में सुगम नहीं है तथा उसमें पैसा भी अधिक लगता है। संग्रह करना भी खर्चीला है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे सम्माननीय पत्रिका से मिलनेवाली आवश्यक जानकारी से वंचित न करें तथा अभिदान के नवीकरण का आदेश प्रदान करें।

श्री नवनीतचन्द्र मिश्र
मार्फत श्री सुरेशचन्द्र मिश्र
टिकारी रोड, खरखुरा
गया-823 002

मैं इस पत्रिका का वार्षिक ग्राहक हूँ। लेकिन इस पत्रिका का प्रकाशन हम लोगों के लिए बंद करने की सूचना पढ़कर दुख हुआ क्योंकि हमारे जैसे लाखों पाठक ऐसे होंगे जहाँ न तो वेबसाइट है न कम्प्यूटर। तो फिर हमें इस पत्रिका की ज्ञानवर्धक जानकारी कैसे मिलेगी। अब इतने कम पैसों में अद्यतन जानकारी नहीं मिल पायेगी और वह भी घर बैठकर। हमारी जानकारी से हम अपने बैंक एवं संगठन की उत्पादकता में योगदान करते हैं और ग्राहक सेवा में भी सुधार लाते हैं।

- श्री एस. पी. गुप्ता
लिपिक
भारतीय स्टेट बैंक
सागर (मध्य प्रदेश)

कंप्यूटरीकृत वातावरण में आपदा निवारण

श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता
मुख्य अधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया
आंचलिक कार्यालय
43, नवयुग मार्केट
गाजियाबाद 201 001 (उ.प्र.)

आज बैंकिंग जगत नए और तेज परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है । बैंकिंग व्यवसाय में **यंत्रीकरण** और कंप्यूटरीकरण को अत्यधिक अहमियत दी जा रही है । बैंकिंग उद्योग के लिए कंप्यूटरीकरण अभी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है । बैंक की शाखाओं का आंशिक से लेकर पूर्ण कंप्यूटरीकरण, टेली-बैंकिंग, एटीएम जैसी सुविधाएं, वैप-बैंकिंग और इन्टरनेट बैंकिंग जैसी अभिनव सेवाएं और घर बैठे हर तरह की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं । कुल मिलाकर आज स्थिति यह है कि बैंकिंग का सारा कार्य कंप्यूटरों के जरिए करने के लिए सभी बैंकों में त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिल रही है । यही कारण है कि बैंकों में मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्य आज कंप्यूटर कर रहे हैं ।

ग्राहकों को श्रेष्ठ, सुगम और सहज सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कंप्यूटरीकरण निःसंदेह एक सराहनीय प्रयास है । इससे बैंकों को अपने ग्राहकों को त्वरित और सुविधाजनक बैंकिंग उपलब्ध करा पाना भी संभव हो गया है । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कंप्यूटरीकरण का यह दौर खतरों से खाली है । वास्तविकता यह है कि कंप्यूटरीकृत वातावरण में भी तरह-तरह के खतरे पूर्ववत मौजूद हैं । मसलन - **धोखाधड़ी, गबन**, आदि । ऐसी बात नहीं है कि बैंक इन खतरों से नावाकिफ हैं । बल्कि इसके विपरीत ऐसे खतरों से **बचाव** के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं । लेकिन कंप्यूटरीकृत वातावरण में धोखाधड़ी, गबन, आदि से बढ़कर और भी भयानक खतरे बैंकों पर मंडरा रहे हैं- और वे हैं - प्राकृतिक आपदा और आकस्मिक विपदा की संभावनाएं । कंप्यूटरीकरण के इस दौर में बैंकिंग कार्य-व्यवहार अनेक संवेदनशील यंत्रों और उपकरणों के माध्यम से होने लगा है जो बाढ़, भूकम्प, आगजनी जैसी आपदा का सामना करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं । इतना ही नहीं, कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया में कुछ नई तरह की बाधाओं का खतरा भी पैदा हो गया है । जैसे इन्टरनेट बैंकिंग में यदि टेलीफोन लाइने खराब हो जाएं या **विद्युत-आपूर्ति** के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था - जेनरेटर या यू पी एस में गड़बड़ी से प्रणाली काम करना बंद कर दे तो ऐसी स्थिति में बैंकिंग सेवाओं का बाधित होना लाजमी है । इन विकट परिस्थितियों में ग्राहकों को कितनी अधिक परेशानी होगी और ग्राहक सेवा कैसे बुरी तरह प्रभावित होगी, इसकी कल्पना मात्र ही की जा सकती है ।

सच पूछिये तो आपदाजनक स्थिति की संभावना और उसका समाधान आज कंप्यूटरीकृत वातावरण के लिए सबसे जटिल समस्या बनी हुई है । ऐसी आपदा स्थिति में यदि यह मान लिया जाए कि वी सी आर, वाशिंग मशीन जैसे सामान्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देंगे, तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी अस्पताल के कंप्यूटर संचालित **गहन चिकित्सा कक्ष** (आई. सी. यू.) में ऐसी आपदा के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं । बैंकों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है । आज बैंकों के सारे हिसाब-किताब और लेखा-जोखा कंप्यूटरों के माध्यम से किए जा रहे हैं । ऐसी स्थिति में बैंक हर प्रकार की सूचना और हर तरह की सेवा के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणालियों या कंप्यूटरों पर ही निर्भर हैं । यदि किसी आपदा के कारण बैंक में कार्यरत मशीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम खराब हो जाएं तो लाखों-करोड़ों लोगों के लेनदेन पर इसका कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, इसका अन्दाज लगाना भी मुश्किल है । इससे बैंक की प्रतिष्ठा पर भी विपरीत असर पड़ सकता है ।

इन आपदाजनक परिस्थितियों की चर्चा करके हमारा इरादा घबराहट पैदा करने या कंप्यूटरीकरण का विरोध करने का हरगिज नहीं है । बल्कि हम तो यह चाहते हैं कि हम बैंक-

कर्मियों में इतनी **जागरूकता** पैदा हो जाए कि ऐसी आपदाजनक परिस्थितियों का विश्वासपूर्वक सामना किया जा सके । इन परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक मुकाबला करने और कम से कम समय में सामान्य बैंकिंग सेवा आरंभ करने के उद्देश्य से प्रायः सभी बैंकों ने अपने बैंक में आपदा निवारण योजना बनाई है । वास्तव में आपदा निवारण आपदाजनक परिस्थितियों का सामना करने के लिए महज सूचना-प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय नहीं है बल्कि यह कंप्यूटरीकृत और यंत्रीकृत बैंकिंग-व्यवसाय की निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य उपाय भी है ।

आखिर आपदा है क्या ?

सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें कि यहां आपदा का अर्थ क्या है । निःसंदेह आपदा का अर्थ प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकम्प, तूफान आदि तक ही सीमित नहीं है । बल्कि इसका इससे कहीं अधिक और व्यापक अर्थ है । वास्तव में आपदा के अन्तर्गत वे सारी घटनाएं या परिस्थितियां शामिल हैं जिनके कारण बैंकों में यंत्र या मशीन की कार्यप्रणाली के बाधित या बंद हो जाने की आशंका हो सकती है । कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या स्टाफ सदस्यों की कार्य-व्यवस्था में किसी भी तरह की खराबी के कारण यह स्थिति पैदा हो सकती है । कई बार प्रयोक्ता की गंभीर गलती या कभी प्रणाली के गलत ढंग से काम करने की वजह से भी आपदाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है । अब यह आगे विचार का विषय हो सकता है कि यह खराबी कितनी गंभीर है या इसे कितनी जल्दी या कितने समय बाद दूर किया जा सकता है ।

संक्षेप में - **कोई भी ऐसी घटना या ऐसा कार्य जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों, प्रबंधन या कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गतिरोध या रूकावट के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, आपदा है ।**

आपदाओं के स्वरूप

अब हम इस बात पर विचार करें कि आपदा के स्वरूप क्या हो सकते हैं । आपदा कई तरह की हो सकती हैं । इन्हें हम निम्नलिखित चार समूहों में रख सकते हैं :-

(I) **प्राकृतिक आपदाएं**

1. बाढ़
2. भूकम्प
3. तूफान
4. अतिवृष्टि

(II) **बाह्य आपदाएं**

1. विद्युत आपूर्ति में व्यवधान व यू पी एस में खराबी
2. विधि व्यवस्था जनित आपदाएं जैसे परिसर में बम विस्फोट, आगजनी आदि

(III) **आन्तरिक आपदाएं**

1. कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन अथवा हड़ताल
2. कंप्यूटरीकृत कार्यप्रणाली का विशिष्ट प्रशिक्षण या कौशल्य प्राप्त एक या अधिक कर्मचारियों का अचानक अवकाश पर चले जाना

(IV) **यांत्रिक आपदाएं**

1. हार्डवेयर / सर्वर में खराबी

2. डाटा दूषण अर्थात मेमोरी या डिस्क पर उपलब्ध डाटा का प्रयोक्ता के बिना जानकारी के बदल जाना - प्रायः यह प्रदूषण या वातावरण में बदलाव के कारण होता है । ऐसा होने पर डाटा का अर्थ बदल जाता है या डाटा पढ़ने योग्य नहीं रह जाता ।

3. सॉफ्टवेयर में खराबी : परिचालन प्रणाली, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर आदि में खराबी से भी कंप्यूटर प्रणाली सुचारू रूप से काम करना बंद कर देगी । तत्काल **समाधान** उपलब्ध न होने पर यह संकट गंभीर हो सकता है ।

4. नेटवर्क में व्यवधान : सैटेलाइट या संचार प्रणाली में खराबी के कारण भी प्रणाली आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित हो सकती है । यदि कोई बाहरी व्यक्ति किसी संस्था या बैंक के नेटवर्क प्रणाली में **अनधिकृत** रूप से प्रवेश कर जाए तो यह उस संस्था के लिए अत्यंत गंभीर संकट साबित हो सकता है ।

5. वाइरस : वाइरस कंप्यूटरीकृत बैंकिंग के लिए सबसे घातक हो सकते हैं । वास्तव में वाइरस कुछ और नहीं बल्कि कंप्यूटर की जानकारी और उसके संसाधनों पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले प्रोग्राम हैं । ये कंप्यूटर पर मौजूद ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें स्वयं फाइलों के साथ जुड़ने और कीटाणुओं की तरह तेजी से फैल जाने की अद्भुत क्षमता होती है । कुछ वाइरस अत्यंत विनाशकारी होते हैं तथा वे डिस्क पर उपलब्ध सभी फाइलों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं ।

कई बार कुछ वाइरस स्वयं को कंप्यूटर की मेमोरी में स्थापित कर लेते हैं तथा इसके बाद उपयोग की गई समस्त फाइलों के साथ जुड़ते जाते हैं। स्पष्ट है कि अपने विनाशकारी स्वरूप के कारण वाइरस कंप्यूटरीकृत बैंकिंग प्रणाली को तहस-नहस कर सकते हैं।

यदि उपरोक्त आपदाओं में से एक साथ दो या अधिक आपदाएं कंप्यूटरीकृत प्रणाली को बाधित कर दें तो इससे बड़ी आपदा का खतरा पैदा हो जाता है।

आपदा का सामना कैसे करें ?

वास्तव में यह अनुमान लगा पाना कठिन है कि कौन सी आपदा किस रूप में कब आ जाएगी। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर तरह की आपदा का सामना करने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी रखी जाए। बेहतर तो यह होगा कि ऐसे उपाय किये जाएं कि आपदा की हालत ही पैदा न हो। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर तरह की आपदा की एक सूची तैयार करके उनमें से प्रत्येक से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

लेकिन इन सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद यह मान लेना कि अब आपदा का खतरा नहीं है एक भ्रामक स्थिति होगी क्योंकि बचाव के तमाम उपायों के बावजूद आपदा का खतरा बरकरार रहता है। खास तौर पर - प्राकृतिक आपदाओं के खतरे की तो कोई भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। किसे पता था कि गुजरात राज्य में 26 जनवरी, 2001 को इतना भयंकर भूकम्प आएगा।

अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हर तरह की आपदा का सामना करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से पूरी तैयारी की जाए। भावी आपदाजनक परिस्थितियों का योजनाबद्ध रूप से बचाव, मुकाबला एवं निवारण ही आपदा प्रबंधन है।

आपदा निवारण कैसे करें ?

पुरानी कहावत है - "मुसीबत कभी बताकर नहीं आती"। बिल्कुल यही बात आपदा के साथ भी है। यह अन्दाज लगा पाना निहायत ही मुश्किल काम है कि आपदा कब आएगी, किस रूप में आएगी और उसका किस हद तक प्रभाव पड़ेगा। फिर भी संभावित आपदा के कारणों और उसके निदान की कल्पना किए बिना आपदा निवारण संभव नहीं है।

आपदा निवारण का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर तरह की संभावित घटनाओं की सिलसिलेवार ढंग से सूची तैयार की जाए। उनके कारण एवं निदान पर विचार किया जाए और इसके आधार पर उन घटनाओं का सामना करने के लिए कार्य-योजना तैयार की जाए। यदि किसी आपदा का सामना करने के लिए दो या अधिक **विकल्प** हों तो इन सभी विकल्पों के गुण दोष पर विचार करके, जो सबसे उपयुक्त विकल्प हो, उसे चुना जाए। यदि आवश्यकता महसूस हो तो आपदा के निवारण या निपटान के लिए दो-तीन उपायों का भी चयन किया जा सकता है ताकि **प्रयोक्ता** को उस आपदा का सामना करने में सहूलियत हो। लेकिन यदि किसी आपदा का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय चुने जाते हैं, तो फिर कार्य के सुलभ और उपयुक्त होने के आधार पर उपायों को वरीयता क्रम में रखा जाए।

आपदा निवारण योजना को आपदा के स्वरूप के आधार पर निम्नानुसार बड़ी सरलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है :-

आपदा निवारण योजना

1. **आपदा का नाम**
2. **आपदा का आकार - बड़ी/छोटी**
3. **क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था संभव है - हां/नहीं**
4. **आपदा निवारण हेतु सक्षम पदाधिकारी - कौन**
5. **निवारक कार्रवाई के पहले सूचित करना - किसे / कहां**
6. **क्या कार्रवाई के लिए पूर्वानुमति लेनी है यदि हां, तो किससे-**
7. **कार्य योजना-चरणबद्ध विवरण**
8. **कार्य योजना में लगने वाला अनुमानित समय**
9. **योजना की देखरेख करने की जिम्मेदारी**
10. **कार्य योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित किये जाने की सूचना - किसे / कहां**

यह जरूरी है कि आपदा निवारण योजना खूब सोच-विचार करके, विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा करके, सभी संभावित स्थितियों और संबद्ध पक्षों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। इसके बावजूद, कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि फलां योजना फलां परिस्थिति में अचूक साबित होगी। हां यह जरूर है कि प्रत्येक आपदा का सामना करने के लिए एक से अधिक उपायों का विकल्प होने से स्थिति के अनुसार

वैकल्पिक उपाय का चयन किया जा सकता है। लेकिन यदि ऐसे दो या अधिक वैकल्पिक समाधान दिए गए हों तो उनमें **वरीयता** किसे देनी है - यह भी तय होना चाहिए।

इसी प्रकार आपदा निवारण के लिए सक्षम अधिकारी और योजना की देखरेख की जिम्मेदारी के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था का उल्लेख होना चाहिए ताकि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अवकाश पर हो या किसी अन्य कारण से मौके पर उपस्थित न हो तो भी आपदा निवारण की योजना निर्बाध रूप से कार्यान्वित की जा सके।

एक **आदर्श** आपदा निवारण योजना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :-

1. परिचालन प्रणाली सहित सभी डिस्क फाइलों का बैकअप नियत अंतराल पर नियमित रूप से लिया जाए तथा उसकी एक कापी किसी दूसरे परिसर में रखी जाए।

2. किए जा रहे कार्यों को समय-समय पर डिस्क/फ्लापी पर कॉपी कर लिया जाए।

3. **डिस्क नवीकरण** तथा **प्रतिलिपिकरण** नियमित रूप से किया जाए।

4. उचित अंतराल के बाद महत्वपूर्ण डाटा का प्रिंट आउट ले लिया जाए।

5. आपदा से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं। मसलन वाइरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कंप्यूटर को समय-समय पर जांचते रहना चाहिए तथा वाइरस की जांच किए बिना फ्लापी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

6. बैंक के प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारियों को आपदा निवारण योजना की पूरी जानकारी दी जाए तथा आपदा की स्थिति में तैयार रहने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए।

वास्तव में आपदा निवारण योजना तैयार करते समय हर पहलू पर सावधानीपूर्वक सोच-विचार करना जरूरी है। तभी यह योजना हर प्रकार की आपदाजनक स्थिति में तमाम तरह की समस्याओं के निदान के लिए एकीकृत हल साबित हो सकती है।

प्रयुक्त शब्दावली

आपदा	Calamity
यंत्रीकरण	Mechanisation
धोखाधड़ी	Fraud
गबन	Missappropriation
बचाव	Safeguards
विद्युत आपूर्ति	Electric supply
गहन चिकित्सा कक्ष	Intensive care unit
जागरूकता	Awareness
डाटा दूषण	Data Corruption
समाधान	Solution
अनधिकृत	Unauthorised
विकल्प	Option
प्रयोक्ता	User
सक्षम पदाधिकारी	Competent Authority
चरणबद्ध	Phased
वरीयता	Preference
आदर्श	Model
डिस्क नवीकरण	Disk Mirroring
प्रतिलिपिकरण	Duplexing

ग्रामीण ऋण संवर्धन - कुछ मानवीय समस्याएँ

डॉ. बी. बी. सिंह
सहायक महा प्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र
बी-984 सेक्टर ए
लखनऊ

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण वितरण पर प्रायः सभी व्यावसायिक बैंकों द्वारा बल दिया जाता रहा है। विगत वर्षों में बैंकों के **वैश्वीकरण** तथा आय अभिज्ञान एवं आस्तियों के वर्गीकरण के मापदण्ड लागू होने के बाद बैंकिंग परिक्षेत्र में अनेक परिवर्तन आये हैं। बैंकों द्वारा लाभोन्मुख व्यवसाय पर बल देने के उद्देश्य से अनेक नई ऋण योजनाएं बाजार में लायी जा रही हैं। विगत वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋणों के वितरण की स्थिति आशा के अनुरूप नहीं रही है। यही नहीं इसके अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में मात्र 15% की ही उपलब्धि हो पायी है। यह स्थिति सुखद नहीं कही जा सकती है। हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके द्वारा **सकल घरेलू उत्पाद** में लगभग 25% प्रतिशत का योगदान किया जा रहा है। इसलिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

हम जानते हैं कि व्यावसायिक बैंकों की लगभग 60 प्रतिशत शाखायें अर्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इन शाखाओं का प्रमुख व्यवसाय गाँव व छोटे कस्बों में रहने वाले ग्राहकों पर आधारित है। फिर भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम की यह स्थिति ठीक नहीं है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत ऋणों में भी वृद्धि उत्साहजनक नहीं रही है। इस सम्बन्ध में अनेक शाखा प्रबंधकों व शाखाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों से वार्ता होती है। उनसे प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करने पर जो विचारणीय विषय आते हैं उन्हें हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं।

बाह्य कारण :- इसके अन्तर्गत उन विषयों को रखा जा सकता है जिन पर बैंकों के अतिरिक्त अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ भी सम्मिलित रूप से कार्य योजना बनाने पर ही परिणाम परिलक्षित होगें। यह मुद्दे निम्न हो सकते हैं :- 1. **प्राकृतिक आपदा**; 2. मौसम की अनिश्चितता; 3. विद्युत आपूर्ति; 4. **विपणन** की समस्या; 5. **भण्डारण** की कठिनाई; 6. फसल बीमा योजना का **क्रियान्वयन**।

आंतरिक मुद्दे :- उपरोक्त बाह्य कारणों का निराकरण सामान्य रूप से केवल बैंकों की पहल से सम्भव नहीं है परन्तु कुछ आन्तरिक मुद्दे हैं जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के ऋणों को प्रभावित करते हैं। आंतरिक मुद्दों से यहां तात्पर्य यह है कि बैंक अपने आंतरिक कार्यों में थोड़ी सतर्कता व तालमेल से ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं की कार्यकुशलता बढ़ा सकते हैं। ये आंतरिक मुद्दे ज्यादातर मानवीय पक्ष पर आधारित हैं। ये मुद्दे ग्रामीण ऋणों की प्रगति को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इस पर संक्षिप्त चर्चा करना आवश्यक है।

1. ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति : यह एक महत्वपूर्ण एवं अहम विचारणीय विषय है। प्रायः देखा जा रहा है कि बैंकों में कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति से कतराते हैं और नियुक्ति होने की स्थिति में प्रायः अवकाश पर रहते हैं अथवा कार्य निष्पादन में बहुत रुचि नहीं लेते हैं। इस विषय पर चर्चा करने से कई ऐसे कारण सामने आते हैं जो चर्चा के लिए सभी का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। यथा -

❖ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं व अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में अच्छी शिक्षा दिला सके। इसके अभाव में प्रायः कार्मिक अपने परिवार को कहीं नजदीकी केन्द्र पर जहाँ यह सुविधा उपलब्ध है रखता है और स्वयं परिवार से दूर अकेले रहता है। इसके कारण वह कभी-कभी परिवार से मिलने भी आता है। इस सबसे कार्य के प्रति **अभिरुचि** में कमी आती है और जितना समय वह बैंक में दे सकता है, उसे नहीं दे पाता है।

❖ यह भी महसूस किया जाता है कि ग्रामीण अंचल में कार्य करने वाले कार्मिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कम अवसर मिलते हैं। समाचार पत्रों का अभाव, नये व आधुनिक सुविधाओं की कमी आदि ऐसे कारण हैं जिससे व्यक्तित्व विकास बाधित होता है और प्रायः ग्रामीण अंचल में कार्य करने वाले कार्मिक शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्मिकों के सामने हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। यह कार्मिक की क्षमता को प्रभावित करता है। इससे कार्मिक की प्रोन्नति पर भी प्रभाव पड़ता है।

❖ शहरी वातावरण में पढ़े व बढ़े कार्मिक को जब ग्रामीण व

अर्धशहरी क्षेत्र की शाखाओं में नियुक्ति मिलती है तो उसे वहाँ का वातावरण रुचिकर नहीं लगता है। यही कारण है कि नई नियुक्तियों में प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यग्रहण का प्रतिशत बहुत कम होता है। ऐसे में यदि वह कार्य ग्रहण करते भी हैं तो उनका अधिकांश समय अवकाश पर और स्थानान्तरण के प्रयास में बीतता है। यही स्थिति शहरी क्षेत्र से स्थानान्तरित पुराने अधिकारियों, कर्मचारियों की भी होती है। यह अलग बात है कि वातावरण के अतिरिक्त शिक्षा की सुविधा भी उनके लिए एक कारण होती है। इस प्रकार ऐसे कार्मिक भी ग्रामीण क्षेत्र में उत्साह व रुचि से कार्य नहीं कर पाते हैं।

2. **ग्रामीण पृष्ठभूमि के कार्मिकों की कमी :** राष्ट्रीयकरण के बाद जब वाणिज्यिक बैंकों ने ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार आरम्भ किया तभी यह महसूस किया था कि इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और वहाँ कार्य करने के लिए इसी पृष्ठभूमि के कार्मिकों का यदि चयन किया जाये तभी शाखाओं की व्यापार वृद्धि अच्छी तरह से होगी। इसीलिए चयन प्रक्रिया के समय इस पर ध्यान दिया गया था और उस समय बैंकों के पास ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कार्मिकों का कैडर उपलब्ध था जिससे व्यापार विकास भी हुआ। परन्तु कुछ वर्षों बाद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पहले का कार्मिक प्रोन्नत होकर शहरी क्षेत्रों व बड़ी शाखाओं में पहुंच गया जिससे अब एक **रिक्ति** उत्पन्न हो गयी है। इस प्रकार इस कैडर की कमी भी ऋणों की वृद्धि में और उससे ज्यादा ऋण खातों के रखरखाव में समस्या उत्पन्न कर रही है।

3. **प्रशिक्षण का अभाव :** अधिकांश बैंकों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं परन्तु प्रायः ये कार्यक्रम नियमों व कार्यपद्धति की जानकारी तक सीमित हैं। इससे ज्ञान संवर्धन तो होता है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि यह कार्यकुशलता और दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकेगा। ज्ञान संवर्धन बैंक के आन्तरिक परिपत्रों, समाचार पत्रों आदि से होता रहता है। कार्यकुशलता और दृष्टिकोण में परिवर्तन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव देखा गया है। यह भी पाया गया है कि अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल अधिकारी वर्ग के लिए किये जाते हैं जबकि लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों का सीधा सम्पर्क ग्राहक से होता है और उस वर्ग के लिए ज्ञान संवर्धन, कार्यकुशलता में वृद्धि एवं सकारात्मक दृष्टिकोण हेतु प्रशिक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है। इस प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में सकारात्मक सोच की कमी, ग्रामीण के प्रति त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण आदि के कारण बैंकों का व्यवसाय विकास प्रभावित होता है। यह महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दा है।

4. **प्रशिक्षण एवं नियुक्ति में तालमेल का अभाव :** अक्सर ऐसा पाया गया है कि नियुक्ति के समय कार्मिक की दक्षता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यदि उपयुक्त **पदस्थी** की जाये तो कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रायः देखा गया है कि किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिक को किसी अन्य क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। यद्यपि कार्मिक को प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान होता है और कार्य निष्पादन भी करता है परन्तु यदि पदस्थी उसके प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर की जाये तो अवश्य ही परिणाम उत्साहवर्धक होंगे। ऐसा प्रायः शाखा स्तर पर भी हो जाता है। इस तालमेल के अभाव से शाखा की प्रगति धीमी होती है और कार्मिक की कार्यकुशलता प्रभावित होती है।

5. **उत्साह एवं अपनत्व की कमी :** विगत वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में आये विभिन्न परिवर्तनों ने कार्मिक की कार्यक्षमता को भी प्रभावित किया है। अनुत्पादक आस्तियों में बढ़ोतरी, वसूली हेतु अत्यधिक दबाव, निरंतर स्थानान्तरण व पदस्थी आदि कई ऐसे कारक हैं जिसके कारण कार्मिकों में उत्साह व बैंक के प्रति अपनत्व की भावना में कमी आई है। बदलते परिवेश में कार्मिक अपने को ढालने में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा है जिससे कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। अनेक कार्मिकों का अनुभव है कि पहले बैंकिंग क्षेत्र में जो व्यावसायिक माहौल था वह अब बदलता जा रहा है। उच्च प्रबन्धन व शाखा स्तर पर कार्य करने वाले कार्मिकों के बीच दूरी बढ़ी है जिससे कार्पोरेट स्तर की नीतियाँ शाखा स्तर तक पहुंचने में अत्यधिक समय लेती हैं और उसके क्रियान्वयन का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। उच्च अधिकारी मात्र लक्ष्यों की पूर्ति से ही कार्मिक की क्षमता आंकते हैं और क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों की समीक्षा से कतराते हैं। इससे कई बार गलत धारणा विकसित होती है जो संस्था के प्रति अपनत्व की भावना में कमी पैदा करती है। इससे कार्मिक अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाता है। यह प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्मिकों में अधिक होती है क्योंकि वह समझते हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। ऐसा भी देखा गया है कि अधिकांश अधिकारी बराबर कई वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्र में ही पदस्थ होते रहते हैं। किसी स्पष्ट स्थानान्तरण नीति के न होने के कारण यह समस्या और जटिल हो जाती है।

प्रस्तावित कार्य योजना

उपरोक्त कारक ऐसे नहीं हैं जिनका समाधान न हो सकता हो। व्यावसायिक बैंक अपनी कार्यनीति एवं प्रशिक्षण में कुछ फेरबदल कर अपने कार्मिकों की कार्यक्षमता एवं उत्साह में संवर्धन कर सकते हैं। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :-

1. **युक्ति संगत पदस्थी :** यह एक महत्वपूर्ण एवं सार्थक पहलू है। ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में नियुक्ति के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि नियुक्ति व स्थानान्तरण के समय उपयुक्त कार्मिक की नियुक्ति की जाये तो वह सार्थक परिणाम दे सकता है। इसके लिए कार्मिक की रुचि, पूर्व में ग्रामीण

क्षेत्र में कार्य करने की अवधि, पारिवारिक दायित्व आदि सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया जाये। उपयुक्त व्यक्ति की पदस्थी निश्चय ही अच्छे परिणाम लाने व ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के संवर्धन में सहायक होगी।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने हेतु कैडर तैयार करना : ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्मिकों का कैडर विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए दो कदम उठाये जा सकते हैं। पहले विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया में यह स्पष्ट कर दिया जाये कि सम्भावित पदस्थी ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र में की जा सकती है। इसका यह प्रभाव होगा कि कार्मिक मानसिक रूप से अपने को इसके लिए पहले से तैयार रखेगा। दूसरा कदम यह भी हो सकता है कि नई नियुक्ति के लिए विज्ञापन देते समय भी इस बात को स्पष्ट कर दिया जाये कि **चयनित** कार्मिक को ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र में कार्य करना है। इस सबका अवश्य प्रभाव होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक रूप से तैयार कार्मिकों की नियुक्ति से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के साथ-साथ अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी।

3. स्थानान्तरण नीति : ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्य करने की एक स्पष्ट स्थानान्तरण नीति होनी चाहिए। यथा, प्रत्येक को 3-5 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना है। इससे कार्मिकों में व्याप्त आशंका समाप्त होगी और निर्धारित अवधि तक अपनी पूर्णक्षमता के साथ कार्य करेंगे। इस प्रकार की किसी भी नीति की अनुपालना - ईमानदारी से की जानी चाहिए। ऐसी योजनाएं पूर्व में भी कुछ बैंकों में थीं और अभी भी हैं। परन्तु ऐसा जानकारी में आया है कि उसकी अनुपालना सही ढंग से नहीं हुई है। ऐसा होने पर कार्मिक के अन्दर असंतोष बढ़ेगा और व्यवसाय प्रभावित होगा।

4. प्रोत्साहन योजना : वर्तमान में प्रायः देखा जा रहा है कि कार्मिक ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र में पदस्थी से बचना चाहते हैं। ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में लोग रुचिपूर्वक और पूर्णक्षमता से कार्य करें, इसके लिए कुछ प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जा सकती हैं। यथा -

अ. ग्रामीण क्षेत्र भत्ता - जिन क्षेत्रों में आधार-भूत सुविधाओं का अभाव है उनका चयन कर वहां कार्य करने वाले कार्मिक को भत्ता स्वरूप प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जा सकता है। यह भी किया जा सकता है कि यह राशि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण की वृद्धि से सम्बद्ध कर दी जाये। पूर्व में कुछ बैंकों में यह प्रयोग किया गया था परन्तु बाद में उसे नियमित नहीं किया गया।

ब. पदोन्नति में वरीयता - कुछ व्यावसायिक बैंकों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों को पदोन्नति की प्रक्रिया में कार्य की जिम्मेदारी के अन्तर्गत अतिरिक्त दो अंक देने का प्रावधान कर रखा है। यह भी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन का अच्छा तरीका है। इससे कार्मिकों में इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए रुचि पैदा होगी।

स. परिवार को शहरी क्षेत्र में रखने की अनुमति - जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है कि बहुत से कार्मिक ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्य के इच्छुक इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय नहीं हैं अथवा अभिभावकों के लिए स्वास्थ्य सेवायें नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कार्मिक को नजदीकी या उसकी सुविधानुसार किसी शहरी क्षेत्र में परिवार रखने की अनुमति दिये जाने से उसके ऊपर अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा और निश्चय ही कार्मिक अपनी पूर्णक्षमता से कार्य करेगा।

5. मानव संसाधन विकास हेतु प्रशिक्षण - ऐसा पाया जा रहा है कि वर्तमान में ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारी आधारभूत सेवाओं व अन्य बातों को लेकर असंतोष के वातावरण में रहते हैं। उनके अन्दर उत्साह की कमी और सकारात्मक सोच का अभाव परिलक्षित होता है और वह प्रायः अपनी विफलता का दोष उच्च कार्यालयों को देकर संतुष्ट हो जाते हैं। अतएव इन कार्मिकों के लिए अभिप्रेरणा व सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए और उसे एक निश्चित अन्तराल पर नियमित किया जाना चाहिए। इससे अच्छे परिणाम आने की सम्भावना बढ़ेगी और व्यवसाय विकास भी होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक शाखा स्तर पर कार्य करने वाले कार्मिकों के सुझाव प्राप्त कर उसकी विवेचना कर अन्य महत्वपूर्ण कार्य योजना विकसित कर सकते हैं। इससे जहाँ एक ओर कार्मिकों के अन्दर आत्मविश्वास और संस्था के प्रति अपनत्व बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर ऋण संवर्धन में भी आशातीत प्रगति होगी।

प्रयुक्त शब्दावली

वैश्वीकरण	Globalisation
सकल घरेलू उत्पाद	Gross Domestic Product
प्राकृतिक आपदा	Natural Calamity
विपणन	Marketing
भण्डारण	Storage
अभिरुचि	Interest
रिक्ति	Vacancy
पदस्थी	Posting
कार्य योजना	Work Plan
चयनित	Selected

बैंकिंग उद्योग में अनर्जक परिसंपत्तियों की समस्या

श्री गौरी शंकर भैया
बैंक ऑफ बड़ौदा
राजभाषा विभाग
सूरज प्लाजा-I
सयाजी गंज
बड़ौदा - 390 005

अनर्जक परिसंपत्तियां या गैर निष्पादक आस्तियां या नॉन परफॉरमिंग एसेट्‌स (एन पी ए) पिछले कुछ वर्षों से बैंकिंग उद्योग में खासा चिंता का विषय रहा है। लगभग सभी बैंक खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इससे गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। इसमें लगातार वृद्धि से न सिर्फ उनकी लाभप्रदता प्रभावित हुई है बल्कि उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। बैंक का अस्तित्व मुख्य रूप से अग्रिम आदि के रूप में प्रदान की गई राशि से प्राप्त होने वाली आय पर टिका हुआ होता है। अतः यह आवश्यक है कि इन राशियों की वसूली समुचित एवं सतत रूप से हो। जो बैंक जितनी ही कुशलता से ऋणों या अग्रिमों की वसूली करेगा उस बैंक की लाभप्रदता उतनी ही बढ़ेगी एवं आंतरिक रूप से भी बैंक मजबूत होगा। जब इन ऋणों या अग्रिमों की वसूली निश्चित समय पर नहीं हो पाती है तो **अर्जक संपत्तियां** अनर्जक होने लगती हैं।

वर्ष 1991 में पहली बार बैंकिंग उद्योग और अन्य वित्तीय क्षेत्रों की समस्याओं की समीक्षा हेतु रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री एम. नरसिंहम् की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। इस समिति की सिफारिशों में पहली बार बैंकों में अनर्जक परिसंपत्तियों के बारे में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया और इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए उनसे उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों और उसके समाधान के बारे में भी बताया गया।

बैंकिंग उद्योग में अनर्जक आस्तियां उन आस्तियों को माना गया है जिनसे किसी प्रकार की आय या लाभ प्राप्त नहीं होता है। अनेक ऐसे **कारक** हैं जो एक संतोषजनक ढंग से चल रहे खाते को असंतोषजनक खाते में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे उस खाते में न तो ऋण की किश्तें वसूल हो पाती हैं और न ही बैंक को ब्याज प्राप्त हो पाता है। ये कारक मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं - आंतरिक कारक एवं बाह्य कारक।

आंतरिक कारक

ये वे कारक हैं जिनपर यदि समय रहते अमल किया जाए तो आस्तियों को अनर्जक होने से रोका जा सकता है; जो इस प्रकार हैं : परियोजना लागत का आवश्यकता से कम मूल्यांकन; परियोजना पर सीधा प्रभाव डालने वाले कतिपय महत्वपूर्ण सूचनाओं की अनुपलब्धता; परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब जिसके फलस्वरूप लागत में वृद्धि; अपर्याप्त प्रबंधन; मशीनों की क्षमता का अपेक्षा से कम उपयोग/मशीनों की क्षमता का अकुशल उपयोग; अकुशल स्टाफ प्रबंध; **नौकरशाही** प्रबंधन प्रणाली; उत्पाद/प्रौद्योगिकी का गलत चुनाव; नियंत्रण कार्यों में द्वितीय पंक्ति का अभाव; अनियोजित उच्च प्रबंध; कार्यशील पूंजी की अपर्याप्तता।

बाह्य कारक

इसके अंतर्गत वे कारक होते हैं जो बैंकों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जो इस प्रकार हैं : प्रतिकूल सरकारी नीतियां/मूल्य नियंत्रण आदि; आर्थिक परिवेश की स्थिति, बाजार मंदी आदि; बाजार में प्रतिस्पर्धा; निविष्ट वस्तुओं का अभाव; प्रबंधन में अनुकरण संबंधी समस्याएं; स्थानीय परिवेश से संबंधित कारक/क्षेत्रीय घटनाएं; प्रौद्योगिकी में हो रहे नवीन परिवर्तन; विद्युत/ईंधन की कटौती; वित्तीय सहायता का समय से उपलब्ध न होना; **प्राकृतिक आपदाएं**।

ऋण या अग्रिम के रूप में दी गई राशि की समुचित रूप से वसूली न हो पाना ही अनर्जक परिसंपत्तियों के उत्पन्न होने के मुख्य कारण हैं। ऋणों या अग्रिमों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है - "कृषि कार्यों हेतु प्रदान किए गए अग्रिम" एवं "गैर कृषि कार्यों हेतु प्रदान किए गए अग्रिम"।

कृषि से संबंधित कार्यों के रूप में प्रदान की गई राशि की किश्त एवं/अथवा ब्याज जब दो लगातार फसली मौसम तक **विगत देय** हो जाए तो, ऐसे अग्रिम को अनर्जक परिसंपत्ति माना जाएगा।

गैर कृषिगत उद्देश्यों हेतु प्रदान किए गए ऋणों या अग्रिमों से उत्पन्न होने वाले अनर्जक आस्तियों को हम निम्नानुसार परिभाषित कर समझ सकते हैं :

कोई भी आवधिक ऋण जिसमें ब्याज एवं/अथवा मूलधन की किश्त दो तिमाही तक विगत देय हो जाए तो ऐसे ऋण या अग्रिम को अनर्जक आस्ति कहा जाएगा ।

विगत देय : कोई भी ब्याज, किश्त अथवा अन्य देय का यदि देय तिथि के बाद से 30 दिन तक भुगतान नहीं किया जाए, तो उसे विगत देय कहा जाएगा ।

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2001-2002 के प्रथम अर्धवर्ष के लिए घोषित मौद्रिक एवं ऋण नीति के द्वारा एन पी ए से संबंधित नीति निर्देश को थोड़ा सख्त करते हुए विगत देय की अवधारणा को समाप्त कर दिया एवं साथ ही साथ गैर निष्पादक होने की अवधि को 180 दिन से घटाते हुए 90 दिन कर दिया । अर्थात् जहां पहले कोई राशि 210 दिन के बाद गैर निष्पादक होती थी वहीं अब यह 90 दिन में गैर निष्पादक हो जाएगी । यह दिशानिर्देश वर्ष 2004 को समाप्त वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा ।

नरसिंहम् समिति ने आस्तियों के वर्गीकरण तथा उसके लिए प्रावधान हेतु कई सुझाव दिए जो निम्नलिखित हैं :

मानक आस्तियां : मानक आस्ति वह आस्ति है जिससे बिना किसी समस्या के नियमित रूप से आय प्राप्त होती है एवं जिसमें व्यवसाय से संबद्ध जोखिम से अधिक जोखिम नहीं होता है ।

अपवाद : यदि सरकारी गारंटीयुक्त खाते गैर निष्पादक हो गए हों, तो भी मानक श्रेणी में वर्गीकृत होंगे तथा ब्याज वास्तविक प्राप्ति के आधार पर आय में सम्मिलित होगा ।

मानक आस्तियों के अलावा सभी आस्तियां गैर-निष्पादक आस्तियां हैं जिन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है :

(क) अवमानक आस्तियां : कोई अग्रिम खाता यदि 18 महीने की अवधि तक अनर्जक बना रहे तो इस प्रकार के आस्ति को अवमानक आस्ति माना जाता है । इस प्रकार के खातों की कमियों एवं दुर्बलताओं को दूर नहीं किया जाए तो खाते में वसूली और भी कठिन हो सकती है ।

(ख) संदिग्ध आस्ति : कोई अग्रिम यदि 18 महीने से अधिक समय तक अनर्जक बना रहे तो इस प्रकार के अग्रिमों को संदिग्ध आस्ति माना जाएगा ।

संदिग्ध आस्तियों को तीन भागों में रखा जा सकता है :

एक साल तक संदिग्ध
एक साल से 3 साल तक संदिग्ध
3 साल से अधिक अवधि तक संदिग्ध

(ग) लोप आस्तियां : वे अग्रिम या खाते जिनमें प्रतिभूतियों से प्राप्त मूल्य या व्यक्तिगत संपत्ति का मूल्य या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त मूल्य शून्य हो जाए तो ऐसे अग्रिमों को लोप आस्ति कहा जाएगा ।

किसी खाते को लोप आस्ति में वर्गीकृत करने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूर्ण होनी चाहिए :

1. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अथवा भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम (डीआईसीजीसी/ईसीजीसी) से कोई गारंटी उपलब्ध न हो ।

2. कोई वास्तविक प्रतिभूति या मूर्त प्रतिभूति उपलब्ध न हो ।

3. ऋणकर्ता/जमानतदार की शुद्ध संपत्ति का मूल्य नगण्य या शून्य हो ।

प्रावधान :उपरोक्त सभी प्रकार की आस्तियों के लिए नरसिंहम समिति में प्रावधान की सिफारिश की गई है जो निम्नानुसार है :

मानक आस्तियां : पहले मानक आस्तियों पर किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा गया था । परंतु इसमें संशोधन करते हुए दिनांक 31.03.2000 से 0.25% का प्रावधान रखा गया है ।

अवमानक आस्तियां : वार्षिक लेखाबंदी की तिथि को खाते के शुद्ध समाशोधित अवशेष का 10% प्रावधान किया जाएगा ।

संदिग्ध आस्तियां

1 वर्ष तक संदिग्ध : असुरक्षित/प्रतिभूतिविहीन भाग का 100% एवं सुरक्षित/प्रतिभूतियुक्त भाग का 20% । यह प्रावधान वार्षिक लेखाबंदी की तिथि को खाते के शुद्ध समायोजित अवशेष पर किया जाएगा ।

1 वर्ष से 3 वर्ष तक संदिग्ध : असुरक्षित/प्रतिभूतिविहीन भाग का 100% एवं सुरक्षित/प्रतिभूतियुक्त भाग का 30% । यह प्रावधान भी वार्षिक लेखाबंदी की तिथि को खाते के शुद्ध समायोजित अवशेष पर किया जाएगा ।

3 वर्ष से अधिक अवधि तक संदिग्ध : असुरक्षित/प्रतिभूतिविहीन भाग का 100% एवं सुरक्षित/प्रतिभूतियुक्त

भाग का 50% । यह प्रावधान भी वार्षिक लेखाबंदी की तिथि को खाते में शुद्ध समायोजित अवशेष पर किया जाएगा ।

लोप आस्तियां : शुद्ध समायोजित अवशेष का 100%

अनर्जक आस्तियों से होने वाली हानियां व इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं

1. आय में कमी हो जाना : अनर्जक आस्तियों से आय पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती है क्योंकि न तो मूलधन की वसूली होती है और न ही ब्याज की । आय यदि अवरुद्ध हो जाए तो किसी भी संस्थान का टिका रह पाना मुश्किल हो जाता है ।

2. कुल आंकड़ों में शामिल लेकिन अलाभकारी : अनर्जक आस्तियों को बैंक के तुलनपत्र की कुल आस्तियों में तो दर्शाया जाता है । लेकिन वास्तविक रूप में यह आस्ति बैंक के पास होती नहीं है और इन आस्तियों का उपयोग बैंक नहीं कर सकता है । ये आस्तियां बिल्कुल ही अलाभकारी होकर रह जाती हैं ।

3. निरीक्षण एवं वसूली कार्रवाई की अतिरिक्त लागत : गैर-निष्पादक खातों में नियंत्रण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है । इन खातों पर यदि पर्याप्त ध्यान न दिया जाए तो इनमें अवरुद्ध राशि की वसूली न हो पाने की भी बराबर संभावना रहती है । इसके लिए समय और धन दोनों की अतिरिक्त आवश्यकता होती है । कभी-कभी बैंक को अपनी बकाया राशि की वसूली हेतु न्यायालय में वाद दाखिल करने होते हैं जिसके लिए कोर्ट फीस एवं वकील के खर्चे इत्यादि भरने के लिए धनराशि व्यय करनी पड़ती है । इस प्रकार यदि कोई खाता गैर निष्पादक हो जाता है तो बैंक न केवल उस पर ब्याज का नुकसान सहता है वरन् वसूली, नियंत्रण एवं देख-रेख संबंधी कार्यों पर अतिरिक्त धनराशि भी व्यय करनी पड़ती है, जिससे ऐसा खाता बंद होने तक बैंक की यह राशियां भी अवरुद्ध हो जाती हैं ।

4. प्रावधान करने की आवश्यकता : अनर्जक आस्तियों से बैंक को तीन तरफा हानि होती है । एक तो ऐसी आस्तियों पर कोई आय या लाभ प्राप्त नहीं होता है, दूसरा उन्हें इसके लिए शेष बचे पूंजी या लाभ में से अनर्जक परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान करना पड़ता है और तीसरा अन्य व्यक्तियों - संस्थाओं को अग्रिम देने के लिए राशि की कमी हो जाती है ।

5. पूंजी पर्याप्तता संबंधी आवश्यकता पर प्रभाव : गैर-निष्पादक खाते न केवल, ब्याज न मिल पाने के कारण बैंक लाभार्जन में अपना योगदान रोक देते हैं वरन् उनके हेतु किए जाने वाले भारी प्रावधान के कारण अन्य अच्छे खातों एवं दूसरे बैंकिंग कारोबार से प्राप्त आय/लाभ की समेकित राशि भी कम हो जाती है जिससे पूंजी पर्याप्तता पर विपरीत असर होता है जिससे अंततः बैंक की लाभप्रदता प्रभावित होती है ।

अनर्जक आस्तियों की वसूली एवं समाधान

ऋण स्वीकृति से पूर्व के उपाय

(क) ग्राहक का चयन : ग्राहकों को ऋण प्रदान करने के पूर्व उनसे संबंधित निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा ।

- **लाभार्थी** का चरित्र एवं उसकी पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि
- कार्य का अनुभव
- बाजार रिपोर्ट
- व्यक्ति की पृष्ठभूमि

(ख) परियोजना का संपूर्ण आकलन

- तकनीकी व्यवहार्यता
- आर्थिक व्यवहार्यता

(ग) उत्पादन के कारकों की उपलब्धता, जैसे

- भूमि
- पूंजी
- कच्चा माल
- श्रमिक
- उद्यम-वृत्ति एवं

स्वीकृति पूर्व उक्त सभी घटकों का अध्ययन करना आवश्यक है ताकि सही उद्यमी का सही उद्यम हेतु चयन हो सके । इस दृष्टि से स्वीकृति पूर्व निरीक्षण करना भी अति आवश्यक है ।

ऋण स्वीकृति के पश्चात के उपाय

(क) नियमित ऋण अनुस्मरणपत्र भिजवाना : ऋणकर्ता को नियमित रूप से ऋण अनुस्मरणपत्र भिजवाया जाना चाहिए और उसे ऋण अदा करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए । कई बार ऋणकर्ता को किसी कारणवश अनुपस्थित रहने से अनुस्मरणपत्र नहीं मिल पाता है जबकि बैंक यह मान लेता है कि उसे मिल गया होगा और वह जानबूझकर ऋण नहीं चुका रहा है । इस तरह की भ्रांतियों से बचने के लिए नियमित स्मरणपत्र भिजवाना आवश्यक है । नियमित अनुस्मरणपत्र भेजने से ऋणी के मन में भय भी उत्पन्न होगा जिससे वह ऋण भुगतान के लिए स्वतः बाध्य होगा ।

(ख) व्यक्तिगत संपर्क करना : व्यक्तिगत संपर्क एन पी ए वसूली का सबसे कारगर उपाय हो सकता है। यदि अनुस्मरण पत्र से काम न बने तो व्यक्तिगत संपर्क भी किया जाना चाहिए। हमेशा संवाद की स्थिति बनाए रखनी चाहिए। इससे ऋणी की प्रतिष्ठा को ज्यादा आघात पहुंचता है एवं साथ ही साथ इससे उसके मन में एक प्रकार का डर भी उत्पन्न होगा।

(ग) सघन वसूली अभियान : सघन वसूली अभियान के माध्यम से अनर्जक परिसंपत्तियों को कम किया जा सकता है। इसका भी अत्यधिक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। ऋणियों को ऋण के भुगतान न करने के परिणामों से भी अवगत कराया जाना चाहिए एवं जहां सख्ती बरतने की जरूरत हो वहां सख्ती भी बरती जानी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक स्टाफ सदस्य को संकल्प लेने की जरूरत है। अपने स्तर पर सभी को प्रयास करना होगा। ऋण वसूली का काम सिर्फ उच्च प्रबंधन की ही जिम्मेदारी नहीं है।

(घ) सरकारी निकायों को वसूली हेतु मामले देने के लक्ष्य निर्धारित करना : जिन अनर्जक परिसंपत्तियों की वसूली सरकारी निकायों द्वारा करवाने की जरूरत महसूस होती हो, उसका लक्ष्य पहले से ही निर्धारित किया जाना चाहिए। सभी मामलों को इन निकायों की शिथिल कार्यप्रणालियों के भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता।

(ङ) उचित रूप से समझौता प्रस्ताव करना : ज्यादातर ऋणी मूलधन चुकाने को तैयार ही होते हैं। समस्या आती है सिर्फ ब्याज चुकाने में। ऐसी स्थिति में यदि अल्प हानि उठाकर भी ऋण की वसूली हो तो यह बैंक के लिए हितकर ही साबित होगा। उचित समझौता प्रस्ताव करके दोनों पक्षों की सहमति से यह काम हो सकता है, जहां बैंक को भी अधिक नुकसान न हो और ऋणी को भी कुछ राहत मिल जाए।

(च) ऋण की उचित किश्त का नियतन करना : ऋण स्वीकृति के समय किश्तों को व्यावहारिक तरीके से तय करना चाहिए ताकि ऋणी किश्तों का भुगतान अपने उपक्रम से होने वाले लाभ से समय पर कर सकने में समर्थ हो सके। उपक्रम से होने वाले लाभ का आकलन व्यावहारिक दृष्टि से किया जाना चाहिए तथा किश्तों की राशि उसकी अदा कर सकने की क्षमता को ध्यान में रख कर ही तय की जानी चाहिए।

(छ) फैक्टरिंग सेवाएं : ऋण के बढ़ते आकार को देखते हुए वसूली प्रबंधन अपने आप में एक बहुत व्यापक कार्य का रूप लेता जा रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वसूली संबंधी विशिष्ट कार्य अन्य एजेंसियों द्वारा भी किया जा सकता है। फैक्टरिंग सेवाओं के अंतर्गत फैक्टर बैंक की ओर से ऋण की वसूली कर सकता है एवं अपना शुल्क काटकर शेष राशि बैंक को उपलब्ध करा सकता है। इससे बैंक को कई फायदे हो सकते हैं - एक तो बैंक की तरलता में वृद्धि होगी तथा बैंक उस धन को अन्य लाभदायक कार्यों में प्रयोग कर सकता है, दूसरी तरफ वसूली संबंधी बहुत से पेचीदा कार्यों से भी बैंक को राहत मिल सकती है।

(ज) बट्टे खाते डालना : कुछ अनर्जक आस्ति खातों में बकाया शेष राशि बहुत कम जैसे - 1000 रुपए से कम हो, तो ऐसे खातों में वसूली खर्च उसके बकाया शेष से अधिक आने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में शाखा स्तर एवं बैंक के स्तर पर इन खातों को बट्टे खाते डालना अधिक लाभदायक होगा और अनर्जक आस्तियों में भी कमी हो सकेगी। बड़े खातों में भी जहां वसूली की कोई भी संभावना न हो उन्हें भी बट्टे खाते डालना उचित होगा।

(झ) डिक्री शीघ्र निष्पादित करवाना : कई अनर्जक आस्ति खातों में न्यायालय द्वारा बैंक के पक्ष में जारी की गई डिक्रियां कई वर्षों तक अनिष्पादित ही पड़ी रहती हैं, लेकिन बैंक द्वारा आलस्यवश ऐसी डिक्रियों को त्वरित गति से निष्पादित नहीं करवाया जाता है, फलस्वरूप ऋणी अपनी बची खुची संपत्तियों को भी बेच देता है और बैंक को संपूर्ण नुकसान भुगतना पड़ता है। अतः बैंकों द्वारा शाखा, क्षेत्र और अंचल स्तर पर प्रतिवर्ष ऐसी पड़ी हुई डिक्रियों को निष्पादित करवाने का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए और डिक्रियां निष्पादित करवानी चाहिए। इससे भी अनर्जक आस्तियों में कमी की जा सकती है।

(ट) बीमार इकाइयों को पुनःस्थापित करना : कभी-कभी कम ऋण राशि के कारण या समय पर ऋण उपलब्ध न हो पाने के कारण या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या पारिवारिक कारण या अन्य किसी कारण से औद्योगिक इकाइयां प्रारंभ ही नहीं हो पाती हैं या प्रारंभ होती भी हैं तो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं और लाभदायक स्थिति में नहीं पहुंच पाती। ऐसी स्थिति में सही कारणों का पता लगाकर उन इकाइयों को पुनःस्थापित करने हेतु फिर से ऋण स्वीकृत कर उसे पुनःस्थापित किया जा सकता है, क्योंकि जब तक उसे पुनःस्थापित नहीं किया जाता तब तक इकाई अपना कार्य ही प्रारंभ नहीं कर सकेगी। कार्य प्रारंभ न हो पाने की स्थिति में ऋण की वसूली हो पाना संभव नहीं हो सकेगा।

(ठ) ऋण मेलों की तरह वसूली कैम्प लगाना : जिस तरह बैंक ऋण मेलों का आयोजन करता है उसी प्रकार उसके वसूली हेतु मेलों या कैम्पों का आयोजन करना चाहिए। इससे एक जगह मिल बैठकर ऋणी की परेशानियों को हल किया जा सकेगा एवं उन्हें ऋण भुगतान के लिए प्रेरित किया जा सकेगा और ऋण की वसूली हो सकेगी।

(ड) अकालग्रस्त इलाकों के ऋणियों को ब्याज में राहत प्रदान कर एन पी ए वसूल करना : ऐसे इलाके जो अकाल या भुखमरी या बाढ़ या अन्य प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित हों, वहां के ऋणियों को मानवता के आधार पर ब्याज में कुछ राहत प्रदान कर उनसे ऋण की वसूली की जा सकती है। इससे वे बैंक के प्रति एहसान का अनुभव करेंगे एवं ऋण के भुगतान के लिए स्वयं ही प्रेरित होंगे।

ऋणों या अग्रिमों के कारण उत्पन्न होने वाली अनर्जक आस्तियों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे कारक हैं जो बैंकिंग उद्योग में अनर्जक आस्तियों को बढ़ाते हैं। ऐसे कारक निम्नानुसार हैं :

अप्रयुक्त लेखन सामग्री
उपयोग में न आने वाला या बेकार पड़ा फर्नीचर
उपयोग में न आने वाले वाहन
अप्रयुक्त स्थाई/अचल संपत्तियां
असमाशोधित प्रविष्टियां
अनुत्पादक या जरूरत से ज्यादा स्टाफ।

निरन्तर प्रयास से बैंक एन पी ए को नियंत्रित करने में उत्साहजनक परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी इस ओर निरन्तर जागरूकता व प्रयास आवश्यक है। बड़े खातों विशेष कर 10 लाख और अधिक में डीआरटी की विशेष भूमिका है और इसे अधिक प्रभावी बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। कानून में भी आवश्यक संशोधन किये जाने आवश्यक हैं। ऋणों की प्रक्रिया और गुणवत्ता, निरन्तर फॉलोअप अति आवश्यक है ताकि एन पी ए की स्थिति कम से कम उत्पन्न हो क्योंकि बट्टे खाते व समझौता प्रस्तावों पर हम अधिक नहीं चल सकते। मार्केटिंग की तरह समझौता प्रस्तावों को सफल बनाना और वसूली करना एक कला है। इसके लिए अलग कक्ष, अलग व्यक्ति आवश्यक है और उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण देना आवश्यक है। बैंकों में ऋणों की वसूली के सम्बंध में सरकारी नीति व प्रक्रिया दोनों में अपेक्षित सुधार व प्रभावशीलता आवश्यक है ताकि राजनीतिक व अन्य प्रभाव इस कार्य में बाधक न बनें।

अनर्जक परिसंपत्तियों की समस्या बैंकिंग उद्योग के लिए कैंसर जैसी भयावह बीमारी के समान है। फिर भी अत्यंत जागरूक रहकर एवं बेहतर ऋण प्रबंधन का विकास कर इससे बचा जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है ऐसे ऋण प्रबंधन के विकास की जो ज्यादा पारदर्शी एवं स्पष्ट हो। बैंकों का मुख्य कार्य ही है, राशि का आदान-प्रदान करना। ऐसी स्थिति में कुछ राशियों के अनर्जक होने की हमेशा ही संभावना रहती है। अतः बैंकों के लिए पूरी तरह से अनर्जक आस्तियों को समाप्त कर पाना शायद संभव नहीं होगा परंतु इसमें कमी निश्चित रूप से की जा सकती है। अनर्जक आस्तियों में कमी बैंकों के लाभ एवं लाभप्रदता दोनों को ही बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा।

प्रयुक्त शब्दावली

अनर्जक परिसंपत्तियां	Non-productive assets	संदिग्ध आस्ति	Doubtful asset
अर्जक संपत्तियां	Productive assets	लोप आस्तियां	Loss assets
कारक	Factor	वार्षिक लेखाबंदी	Annual closing
नौकरशाही	Bureaucratic	लाभार्थी	Beneficiary
प्राकृतिक आपदाएं	Natural Calamities	आकलन	Assessment
विगत देय	Past Due	अभियान	Campaign
मानक आस्तियां	Standard assets	निष्पादित करवाना	To execute
अवमानक आस्तियां	Sub-standard assets	पुनःस्थापित करना	To rehabilitate

एक्जिम बैंक : अंतिम लक्ष्य की तरफ अग्रसर

श्री एम. पी. सैनी
पंजाब नेशनल बैंक
शाखा एन. आई. टी.
फरीदाबाद - 121 002
(हरियाणा)

एक्जिम बैंक की स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम, 1981 द्वारा निर्मित सार्वजनिक क्षेत्र के **उपक्रम** के अंतर्गत की गई है । इस बैंक का मुख्य कार्य विदेशी व्यापार में संलग्न व्यक्तियों, संस्थाओं व औद्योगिक उपक्रमों को वित्तीय सहायता के अतिरिक्त सलाहकारी सेवाएं व सहभागिता प्रदान करना है । भारत में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया के कारण इस संस्था का जन्म हुआ ।

स्वतंत्रता के बाद से ही भारत का **व्यापार संतुलन** कभी भी अनुकूल स्थिति में नहीं रहा । 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद देश का विदेशी व्यापार संतुलन और भी डावांडोल हो गया । इस दशक में भारत सरकार ने कुछ निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के बलबूते पर भारत के व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए कुछ प्रयास किए । भारत के परंपरागत निर्यात में जहां एक तरफ तीव्र वृद्धि हुई वहां दूसरी तरफ गैर परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में भी तेजी से वृद्धि हुई । लेकिन इस दशक में मुख्य समस्या यह थी कि नवीन अवसरों के कारण उद्योग जगत द्वारा नई-नई माँगें की जा रही थीं तथा संस्थागत **साख**, बीमा तथा गारंटी जैसी सुविधाओं का अभाव था । अतः इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि एक उपयुक्त समन्वित संस्था के जरिए साख, बीमा तथा गारंटी सुविधाओं में समन्वय स्थापित किया जाए ताकि औद्योगिक जगत द्वारा माँगी जानेवाली समस्त सुविधाओं को एक ही छत के नीचे प्रदान किया जा सके ।

1970 के दशक में भारतीय निर्यातकों को व्यापारिक साख के रूप में अवधि के आधार पर ही वित्त सुविधाएँ प्रदान की जाती थीं । इसके बाद औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त की सुविधाएँ भी वे प्राप्त कर लेते थे । निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सुविधाओं में जोखिम का स्तर कम करने के लिए निर्यात साख बीमा निगम द्वारा व्यापारिक बैंकों को **वित्तीय प्रत्याभूति** देना प्रारम्भ कर दिया गया ताकि बैंकों का जोखिम कम किया जा सके तथा वे अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप अग्रिम प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाते रहें ।

इन समस्त सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए निर्यातकों को काफी कठिन प्रक्रियाएँ पूरी करनी होती थीं । कागजी कार्यवाही को पूरा करने के साथ-साथ विभिन्न साख संस्थाओं की तरफ हाथ पसारना पड़ता था । यह प्रक्रिया न केवल लम्बी होती थी बल्कि निर्यातकों को हतोत्साहित करने वाली भी होती थी । इन सुविधाओं को प्राप्त करने में न केवल अत्यधिक समय लगता था बल्कि निर्यातकों को इन सेवाओं पर अत्यधिक लागत भी वहन करनी पड़ती थी । ऐसी स्थिति में **निर्यात संभावनाओं** को धक्का पहुँचा तथा भारतीय निर्यातक प्रतियोगी बाजार में अपनी साख बनाए रखने में अपने को असमर्थ पाने लगे थे ।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के युग में भारतीय निर्यातकों का माल विदेशी बाजारों में अनबिका रहने लगा । ऐसी स्थिति से उबरने के लिए भारत में ऐसी वित्तीय संस्था के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गयी जो निर्यातकों को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान कर सके बल्कि तकनीकी परामर्श व सलाहकारी सेवाएँ भी प्रदान कर सके ।

उद्‌भव के कारण

एक्जिम बैंक का उद्‌भव जिन परिस्थितियों के कारण हुआ वे इस प्रकार हैं :-

- ❖ साख प्रदान करने वाली संस्थाएँ अपने आपको व्यापारिक जगत की मांग पूरी करने में असमर्थ पा रही थीं ।
- ❖ साख संस्थाओं, बीमा संस्थाओं, गारंटी प्रदान करने वाली संस्थाओं तथा वित्तीय संस्थानों में **आपसी तालमेल** व समन्वय का अभाव था ।
- ❖ **विलंबित भुगतान** की शर्तों पर किए जाने वाले निर्यातकों

के संबंध में पर्याप्त सुविधाओं का निरंतर अभाव महसूस किया जा रहा था ।

❖ बढ़ते हुए निर्यात व्यापार के लिए व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदत्त साख के विरुद्ध पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करने में भारत का एकमात्र भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपने आपको असमर्थ पा रहा था ।

❖ भारतीय आयात में वृद्धि के कारण भारतीय निर्यातों में आवश्यक रूप से वृद्धि करना अनिवार्य हो गया था ।

❖ निर्यातकों को गैर परम्परागत निर्यातों के लिए **अल्पकालीन ऋण** सुविधा प्रदान नहीं की जा रही थी । इस समय तक निर्यातकों को केवल परम्परागत निर्यातों के विरुद्ध ही वित्त सुविधा प्रदान की जा रही थी ।

❖ अधिकांश निर्यातकों को विलंबित भुगतान की शर्तों पर किए जाने वाले निर्यातों की सुविधाएँ प्रदान की जा सकें ।

❖ निर्यातकों को एक ही छत के नीचे साख, बीमा, गारंटी तथा सलाहकारी सेवाएँ प्रदान की जा सकें ।

1980 के शुरुआती दिनों में भारत सरकार को यह सुझाव दिया गया कि समय रहते एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए जो निर्यातकों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्त,साख तथा बीमा सुविधाएँ प्रदान कर सके । इस आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने 7 जनवरी, 1981 को एक निर्यात आयात बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया तथा 1 जनवरी, 1982 को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में एक्जिम बैंक ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था ।

निर्यात आयात बैंक एक पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जिसकी आरम्भ में **अधिकृत पूंजी** 200 करोड़ रुपये थी जिसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये तक किया जा सकता है । भारतीय निर्यात आयात बैंक को भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बाजारों तथा विदेशी बाजारों से ऋण प्राप्त करने का अधिकार है ।

कार्य

एक्जिम बैंक का कार्य आयात निर्यात कार्य में लगी संस्थाओं को विभिन्न प्रकार की अल्पकालीन, **मध्यकालीन** व **दीर्घकालीन** वित्तीय सहायता प्रदान करना है । इसके विभिन्न कार्यों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है :-

❖ व्यापारिक बैंकों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऋणों के विरुद्ध पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करना ।

❖ आयात निर्यात में संलग्न वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं में आपसी तालमेल व समन्वय स्थापित करना ।

❖ आयातकों तथा निर्यातकों की इकाइयों का विकास करने हेतु वाणिज्य व बैंकिंग क्रियाओं को सम्पन्न करना ।

❖ भारतीय कम्पनियाँ जो विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाना चाहती हैं उन्हें अंश पूँजी जुटाने में सहयोग देना तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

❖ आयातक तथा निर्यातक व्यापारियों, संस्थाओं तथा उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

उपर्युक्त कार्यों को पूरा करने के लिए एक्जिम बैंक निम्न प्रक्रियाएँ सम्पन्न करता है :-

❖ **पूर्व लदान** साख के रूप में एक्जिम बैंक निर्यातकों को निर्यातक वस्तुओं व सेवाओं के संबंध में 180 दिन से अधिक के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करता है ।

❖ एक्जिम बैंक विदेशों में स्थित क्रेताओं को विलंबित भुगतान की गारंटी जारी करता है ताकि वे भारत में इंजीनियरिंग सामान की पूर्ति सुनिश्चित कर सकें ।

❖ एक्जिम बैंक उन निर्यातों के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है जिसके अन्तर्गत मुक्त व्यापार क्षेत्रों व शत प्रतिशत निर्यातक इकाइयों को वित्तीय सुविधा प्रदान की गई है ।

❖ एक्जिम बैंक उन निर्यातकों को विलंबित भुगतान की शर्तों पर वित्त प्रदान करता है जो प्लान्ट, उपकरणों व सेवाओं के निर्यात में कार्यरत हैं । यह बैंक पूँजीगत वस्तुओं/उत्पादक वस्तुओं तथा रक्षक परियोजनाओं के निर्यात के लिए वित्त प्रदान करता है । इसके लिए आयातक की तरफ से वहाँ के बैंक/सरकार की तरफ से भुगतान की गारंटी को सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

❖ ऐसे निर्यातक जो विदेशों में परामर्श व तकनीकी सेवाओं के सौदे करते हैं उन्हें यह बैंक व्यापारिक बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्तपोषण करता है । इसके लिए आवश्यक है कि निर्यातक को सौदे का कम से कम 25% का अग्रिम भुगतान के रूप में अवश्य भुगतान किया जाए तथा ऋण के भुगतान की गारंटी आयातक के बैंक/सरकार की तरफ से अवश्य दी जाए ।

❖ भारतीय निर्यातक विदेशों में विदेशी अधिकारी तथा भारत सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करके संयुक्त उद्यमों की स्थापना कर सकता है । एक्जिम बैंक इन परियोजनाओं के लिए अधिकतम 10 वर्षों के लिए वित्त प्रदान कर सकता है ।

❖ एक्जिम बैंक मान्यता प्राप्त शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को वित्तपोषित करता है ताकि वे मुक्त व्यापार क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की स्थापना/विस्तार कर सकें । बैंक एक प्रतिशत गारंटी शुल्क लेकर विलंबित भुगतान की गारंटी जारी करता है ।

❖ यह बैंक अधिकृत व्यापारियों तथा उद्यमों द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए सावधि ऋणों पर शत प्रतिशत पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है ।

❖ एक्जिम बैंक विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों को साख प्रदान करता है ताकि विदेशी निर्यातकों को भारत में पूँजीगत वस्तुओं के निर्यात हेतु ऋण प्रदान किया जा सके ।

❖ एक्जिम बैंक व्यापारिक बैंकों व अधिकृत व्यापारियों के 180 दिनों से कम सावधि निर्यात बिलों की पुनर्कटौती करता है ।

❖ एक्जिम बैंक विदेशों में भारतीय निर्यातकों द्वारा प्राप्त की गई विभिन्न परियोजनाओं के लिए विदेशी सरकारों/आयातक को निर्यातक की तरफ से **दायित्व** वहन करने की गारंटी व्यापारिक बैंकों की तरफ से प्रदान करता है । यह बैंक बिड बाँड गारंटी, निष्पादकता गारंटी, मुडा अवरोधन गारंटी, अग्रिम भुगतान गारंटी प्रदान करता है ताकि भारतीय निर्यातकों का दायित्व वहन किया जा सके ।

एक्जिम बैंक के परिचालक घटक

निम्न प्रकार से ये घटक बैंक के संचालन में सहयोग करते हैं :-

❖ भारतीय निर्यातकों के लिए निर्यात की नई-नई संभावनाओं का पता लगाना तथा निर्यातकों को वित्तीय/**वैधानिक** मदद प्रदान करना ।

❖ निर्यातकों के उत्पादों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनका स्थान खोजना तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करना ।

❖ भारतीय निर्यातकों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना ताकि वे विश्वव्यापी प्रतियोगिता में स्वयं के प्रयासों द्वारा शामिल हो सकें ।

❖ भारतीय निर्यातकों को विश्व की अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा उन्हें इस बात की जानकारी देना कि किन देशों में निर्यात की प्रबल संभावनाएं हैं ।

❖ भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा में प्रभावी स्थान दिलाना ।

परामर्शदायी सेवाएं

एक्जिम बैंक निर्यातकों को अपने कुशल व अनुभवी सलाहकारों द्वारा परामर्श व सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है ।

❖ भारतीय निर्यातकों/आयातकों को विदेशों में वित्त के अनुकूल स्रोतों के सौदों के क्रियान्वयन में परामर्श देना ।

❖ भारतीय निर्यातक कंपनियों को **अभिकल्पन**/वित्तपोषण तथा **संवेष्ठन** में परामर्श व सलाह देना ।

❖ भारतीय निर्यातकों को विश्व साख के समस्त स्रोतों तक पहुंचाना ।

❖ ऐसे उद्योगों के वित्तपोषण के संवेष्ठन के लिए परामर्श देना व अभिकल्पन करना जिन्हें शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त हो ।

❖ तृतीय विश्व के देशों में विनिमय नियंत्रण व्यवहारों से भारतीय आयात निर्यात में संलग्न कंपनियों को अवगत कराना ।

प्रवर्तनकारी कार्य

आयात निर्यात क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए एक्जिम बैंक निम्न प्रवर्तनकारी कार्य करता है :-

❖ निर्यातक इकाइयों के विकास हेतु उन्हें वित्तीय सुविधा प्रदान करना ।

❖ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत से संबंधित बाजार संभावनाओं का पता लगाना, साख सूचनाओं को एकत्रित करना, संकलित करके उनका विश्लेषण करना तथा आयात निर्यात कंपनियों तक इनका प्रसार करना ।

❖ ऐसे भारतीय निर्यातक जो विदेशी उपक्रम स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए एक्जिम बैंक सूचनाएं व अन्य जानकारी प्राप्त करता है ।

❖ भारत का एक्जिम बैंक विदेश के एक्जिम बैंकों तथा विकास बैंकों के अंशों व ऋण पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों का क्रय करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है ।

❖ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए अनुसंधान शोध तथा सर्वेक्षण आदि के जरिए भारतीय निर्यातकों तथा आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

❖ जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं/इकाइयां आयात निर्यात कार्यों में संलग्न हैं उन्हें वित्तीय/तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता प्रदान करना ।

❖ भारतीय निर्यातकों तथा संस्थाओं के साथ "संयुक्त सहभागिता" के समझौते करना ताकि विदेशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की जा सके ।

अन्य कार्यक्रम

❖ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकिंग के अंतर्गत भारतीय कंपनियों को विदेशी परियोजनाओं के संबंध में उनके **ठेकों**/समझौतों के पैकेजों को तैयार करने में वित्तीय सलाह तथा वित्तीय सहायता के साथ-साथ सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान करता है ।

❖ **निर्यात विपणन निधि** के अंतर्गत एक्जिम बैंक भारत सरकार की तरफ से विपणन निधि का प्रबंध करता है । यह बैंक भारतीय निर्यातकों के उत्पादों के संबंध में विपणन क्रियाकलापों को सम्पन्न करता है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर भारतीय निर्यातकों के उत्पादों की विपणन संवृद्धि में वृद्धि करना है ताकि विदेशी बाजारों में भारतीय निर्यातक अपना दीर्घकालीन स्थान बना सकें ।

❖ उत्पाद बीमा कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्पाद का बीमा करने का कार्यक्रम एक्जिम बैंक की देन है । वर्तमान काल में उपभोक्ता अधिक जागरूक हो गया है । नए-नए नियमों के अंतर्गत वस्तु की किस्म, गुणवत्ता और मूल्य के संबंध में उत्पादक को बांधने का हर संभव प्रयास किया गया है । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्यातकों को विवश होकर अपने उत्पादों का बीमा कराना पड़ता है ताकि हानि की दशा में उनकी **क्षतिपूर्ति** की जा सके । यह बैंक उत्पाद दायित्व बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रीमियम लागत के बदले में निर्यातकों को उनके उत्पादों के संबंध में उत्पाद बीमा सुविधा प्रदान करता है ।

❖ एक्जिम बैंक इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा विक्रेता विकास को सहायता प्रदान करता है क्योंकि वे विक्रेताओं से निर्यात होने वाला माल प्राप्त करते हैं । इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यातकों को मीयादी ऋण उपलब्ध कराकर विक्रेता के साथ विपणन सुविधाओं की सुधार प्रक्रिया द्वारा निर्यातों की मात्रा में वृद्धि का प्रयास किया जाता है ।

अंतर्राष्ट्रीय पहचान

एक्जिम बैंक पूंजीगत माल, इंजीनियरिंग सामान की परियोजनाओं व सेवाओं के निर्यात में अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान स्थापित कर चुका है । विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने में एक्जिम बैंक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है ।

एक्जिम बैंक इंजीनियरिंग माल, पूंजीगत माल, उत्पाद और तकनीकी सेवाओं के साथ-साथ सहभागिता के आधार पर संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए निर्यातकों/संस्थाओं को वित्तीय सुविधा के साथ सलाहकारी/वैधानिक सेवाएं प्रदान करने वाली एक सर्वोच्च संस्था के रूप में पहचाना जाने लगा है ।

प्रयुक्त शब्दावली

उपक्रम	Undertaking
व्यापार संतुलन	Balance of trade
साख	Credit
वित्तीय प्रत्याभूति	Financial guarantee
निर्यात संभावनाएं	Export possibilities
आपसी तालमेल	Mutual understanding
विलंबित भुगतान	Delayed payment
अल्पकालीन ऋण	Short-term credit
अधिकृत पूंजी	Authorised capital
मध्यकालीन	Mid-term
दीर्घकालीन	Long-term
पूर्व लदान	Pre-shipment
दायित्व	Liability
परिचालक	Operative
वैधानिक	Legal / Statutory
अभिकल्पन	Designing
संवेष्ठन	Packing
ठेका	Contract
निर्यात विपणन निधि	Export Marketing Fund
क्षतिपूर्ति	Compensation

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दसवीं योजना के लिए 8 प्रतिशत के विकास दर को अनुमोदन

केन्द्र और राज्यों के फोरम राष्ट्रीय विकास परिषद ने दसवीं योजना के प्रस्तावित प्रारूप की सर्वसम्मति से पुष्टि करते हुए आगामी पांच वर्षों के लिए 8 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

राष्ट्रीय विकास परिषद की दिन-भर चली बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री के. सी. पंत ने कहा कि प्रस्तावित प्रारूप, नीतियों और उद्देश्यों के प्रति व्यापक सहमति थी । "इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा उभर कर आया वह था संसाधनों के व्यतिरिक्त संसाधन जुटाने की क्षमता और अच्छा प्रशासन महत्वपूर्ण है" । राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित प्रारूप की पुष्टि किये जाने के बाद योजना आयोग अब दसवीं योजना की तैयारी शुरू कर सकेगा । श्री पंत ने कहा कि दसवीं योजना में अच्छे प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । राष्ट्रीय विकास परिषद ने उत्तरांचल को विशेष श्रेणी का दर्जा दिये जाने को भी अनुमोदित किया ।

इससे पहले, दृष्टिकोण पत्र पेश करते समय श्री पंत ने कहा कि केन्द्र और राज्य दोनों की ही राजकोषीय स्थिति "परावलम्बित" थी और इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करना आवश्यक है ।

'राष्ट्रीय विकास परिषद' में प्रस्तुतीकरण के समय श्री पंत ने कहा कि पूरे देश में आज सरकारें केवल निवेश के लिए ही नहीं अपितु अपने राजस्व व्यय के बड़े हिस्से की आपूर्ति करने के लिए भी उधार लेती हैं । यह गंभीर स्थिति है और इससे अपेक्षित स्तर तक सार्वजनिक निवेश प्राप्त करने की हमारी क्षमता बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है ।

श्री पंत ने कहा कि राजकोषीय सुधार के लिए केवल कर - सकल देशी उत्पाद अनुपात में सुधार ही नहीं अपितु सार्वजनिक रूप में दी जानेवाली सेवाओं पर प्रयोगकर्ता प्रभार लगाना भी आवश्यक है । ऐसे उपायों में खाद्यान्न, मिट्टी के तेल, उर्वरक पर दिये जानेवाले उपदान और रेलवे पर दिये जानेवाले प्रति उपदान के युक्तिकरण के साथ ही बिजली, सिंचाई, पानी आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रयोगकर्ता प्रभार लगाना भी शामिल है ।

विकास के 8 प्रतिशत के उच्च लक्ष्य पर उन्होंने कहा कि "हम निःसंदेह रूप से अपनी क्षमता पर अधिक भार डाल रहे हैं" । तथापि उन्होंने यह दावा किया कि इसे प्राप्त किया जा सकता है । श्री पंत ने केन्द्र और राज्यों में राजकोषीय संतुलन पुनः लाने, विनिवेश की प्रक्रिया को बढ़ाने, प्रक्रियाधीन बाधाओं को दूर करने तथा अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए क्षेत्रीय सुधारों पर विशेष जोर दिया ।

केन्द्र और राज्यों की असन्तुलित राजकोषीय स्थिति के आंकड़े बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों को 90,000/- करोड़ रुपए के राजस्व घाटे को नियंत्रित करना होगा और उन्होंने चेतावनी दी कि दसवीं योजना में प्रस्तावित 8 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटाने में होनेवाली किसी भी चूक का अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम हो सकता है ।

(राशि करोड़ रुपयों में)

चयनित संकेतक*		20 अक्तूबर 2000	19 अक्तूबर 2001
1. कुल जमाराशियां	:	8,91,453	10,49,300
2. बैंक ऋण	:	4,79,478	5,44,125
3. ऋण-जमा अनुपात	:	53.79%	51.86%
4. नकद-जमा अनुपात	:	8.68%	7.50%
5. निवेश - जमा अनुपात	:	37.50%	39.60%

6. जनसंख्या समूह		रिपोर्ट करनेवाले कार्यालयों की संख्या	(कुल योग का प्रतिशत)	कुल जमाराशियां (करोड़ रुपयों में)	(कुल योग का प्रतिशत)	सकल बैंक ऋण (करोड़ रुपयों में)	(कुल योग का प्रतिशत)
ग्रामीण	जून 2000	32,694	(49.82)	1,21,954	(14.75)	48,390	(10.16)
	जून 2001	32,526	(49.19)	1,40,799	(14.53)	56,521	(10.32)
अर्धशहरी	जून 2000	14,341	(21.86)	1,62,960	(19.70)	55,045	(11.55)
	जून 2001	14,574	(22.04)	1,91,238	(19.73)	61,481	(11.22)
शहरी /	जून 2000	18,586	(28.32)	5,42,168	(65.55)	3,72,994	(78.29)
महानगरीय	जून 2001	19,019	(28.77)	6,37,202	(65.74)	4,29,744	(78.46)
योग	जून 2000	65,621	(100)	8,27,082	(100)	4,76,429	(100)
	जून 2001	66,119	(100)	9,69,239	(100)	5,47,746	(100)

टिप्पणी :

(1) मद संख्या 1 से 5 में दिये गये आंकड़े 20 अक्तूबर 2000 और 19 अक्तूबर 2001 की स्थिति दर्शाते हैं। ये आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के दिनांक 4 नवंबर 2000 और 3 नवंबर 2001 के "वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट" से लिये गये हैं तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं।

(2) मद सं. 6 में दिये गये आंकड़े जून 2000 और जून 2001 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति दर्शाते हैं। ये आंकड़े भी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित, बैंकिंग सांख्यिकी से संबंधित जून 2000 और जून 2001 की तिमाही पुस्तिकाओं पर आधारित हैं।

जमाराशियों / ऋण की मात्रा के अनुसार सर्वोच्च स्तर के पच्चीस केन्द्र
जून 2001

(राशि लाख रुपयों में)

जमाराशियाँ					ऋण				
दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)	दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुंबई	1,459	127244,89	16.9	1	मुंबई	1,459	119672,08	11.3
2	दिल्ली	1,354	104612,46	16.5	2	दिल्ली	1,354	87926,99	20.2
3	कोलकाता	988	36527,70	15.8	3	चेन्नई	771	31858,52	13.4
4	बंगलूर	754	27366,02	24.7	4	कोलकाता	988	22307,24	5.1
5	चेन्नई	771	26005,85	13.5	5	बंगलूर	754	16874,46	19.3
6	हैदराबाद	531	18417.48	16.2	6	हैदराबाद	531	12863,58	7.9
7	अहमदाबाद	488	11579,07	21.8	7	चंडीगढ़	157	9728,02	*
8	पुणे	322	10611,10	18.3	8	अहमदाबाद	488	9419,48	6.9
9	लखनऊ	236	9354,76	13.6	9	पुणे	322	5940,92	14.2
10	चंडीगढ़	157	7235,07	23.0	10	वड़ोदरा	192	4804,77	13.3
11	जयपुर	234	6306,70	17.0	11	कोयम्बतूर	181	4578,47	7.9
12	कानपुर	292	6148,76	15.2	12	जयपुर	234	4443,04	19.3
13	वड़ोदरा	192	6136,45	25.2	13	लुधियाना	202	4120,42	8.5
14	पटना	168	5354,43	8.9	14	लखनऊ	236	3703,48	18.7
15	जलंधर	151	5148,39	14.3	15	इन्दौर	179	3649,24	5.5
16	लुधियाना	202	5025,82	18.2	16	दोराहा	4	3337,24 (97,74)	53.9
17	कोची	217	5003,49	18.6	17	कोची	217	3242,76	10.3
18	तिरुवनन्तपुरम	152	4470,89	15.8	18	तिरुवनन्तपुरम	152	2333,99	35.3
19	इन्दौर	179	4069,96	18.8	19	श्रीनगर	89	2269,41	1.1
20	भोपाल	161	4035,53	29.0	20	विशाखापट्टणम	129	2011,13	23.1
21	कोयम्बतूर	181	3867,46	17.0	21	भोपाल	161	2010,66	5.4
22	नागपुर	168	3820,95	18.9	22	कानपुर	292	1950,04	11.3
23	अमृतसर	155	3819,90	17.7	23	तिरुपुर	51	1818,96	8.3
24	सूरत	169	3577,11	20.8	24	नागपुर	168	1752,15	9.7
25	नॉइडा	51	3122,28	78.9	25	सूरत	169	1555,74	8.2

(स्रोत : बैंकिंग सांख्यिकी तिमाही पुस्तिका जून 2001)

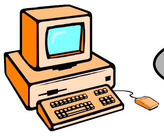

कंप्यूटर परिभाषा कोश*

Abandon - **परित्याग :** कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद विषय-वस्तु को स्मृति (मेमोरी) में रखे बिना उस कार्य को इस प्रकार साफ कर देना कि उसे दुबारा स्क्रीन पर न लाया जा सके ।

Abort - **विफलन :** जब कोई प्रक्रिया, किसी दोष / बाहरी हस्तक्षेप के कारण, पूरी होने से पहले ही समाप्त हो जाती है, तब उसे विफलन कहते हैं । कुंजी Esc, Ctrl+C के प्रयोग से भी विफलन किया जा सकता है ।

Active - **सक्रिय :** कंप्यूटर से संबंधित सामान्य शब्द, जो वर्तमान में उन केंद्र बिन्दुओं को दर्शाता है, जहां कार्य चल रहा हो ।

Active Area - **सक्रिय क्षेत्र :** विंडो / पटल का एक क्षेत्र, जो निविष्टि (इन्पुट) अथवा अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई को स्वीकार करता है ।

Active File - **सक्रिय फाइल :** किसी चालू आदेश (कमांड) से प्रभावित फाइल को सक्रिय फाइल कहते हैं । यह वर्तमान में उपयोग हो रही या उपयोग हेतु खोली गयी फाइल होती है ।

Active Window - **सक्रिय विंडो :** कतिपय विंडोज परिवेशों (environments) में स्क्रीन पर एक साथ अनेक विंडोज खोलने की सुविधा होती है । इन अनेक विंडोज में से जिस विंडो के विद्यमान प्रलेख पर कर्सर होता है या सक्रिय होता हो अथवा जिस पर आदेश दिये जा रहे हों या डाटा-प्रविष्टि हो रही हो, उसे सक्रिय विंडो कहते हैं । सक्रिय विंडो की शीर्षक पट्टिका (title bar) का रंग अन्य उपलब्ध विंडोज की शीर्षक पट्टिकाओं के रंगों से अलग रहता है । एक समय में सामान्यतया एक ही सक्रिय विंडो होती है ।

Add-on - **योज्य, योजित सुविधा :** क्षमता बढ़ाने अथवा संवर्धित करने के लिए जिस सुविधा को कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है उसे योज्य या योजित सुविधा कहते हैं ।

Alarm - **सूचक ध्वनि / संकेत :** 1. सुनायी देनेवाला अथवा दृश्यपटल (मॉनिटर) पर उभरता सावधानी संकेत, जिसका मतलब है कि जरूर कुछ गड़बड़ है । 2. कैलेंडर क्रमादेश (प्रोग्राम) में पाये जानेवाले अनुस्मारक ।

Algorithm - **कलन-विधि, एल्गॉरिथ्म :** किसी सामान्य क्रमादेशन (प्रोग्रामिंग) के लिए लिखे गये साधारण परंतु क्रमवार (सीढ़ी दर सीढ़ी) अनुदेश । यह किसी कार्य को करने के लिए पूर्व परिभाषित अनुदेशों का सेट होता है, जिनके संसाधित होने से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति होती है । नेटवर्क में इनका इस्तेमाल कई तरह से होता है - डायरेक्टरी में नाम ढूंढ़ने, नेटवर्क तक पहुंच के लिए प्रतीक्षा-काल तय करने आदि के लिए कलन-विधियां अपनायी जाती हैं ।

Alignment - **संरेखण :** 1. किसी भी हार्ड डिस्क ड्राइव के हेड की क्षमता, जिससे बिना त्रुटि के सूचना पढ़ी या लिखी जा सके । 2. पाठ की बायीं अथवा दायीं तरफ के मार्जिन से संबंधित संरेखण, ताकि उसे पृष्ठ के ठीक बीच में संरेखित किया जा सके । 3. ग्राफिक्स को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि वे एक के बाद एक कतारबद्ध हो जायें और उन्हें इच्छानुसार बीच में, बायें, दायें, ऊपर अथवा नीचे समायोजित किया जा सके ।

Allocate - **आबंटन :** कंप्यूटर के संसाधनों को विभाजित करने की प्रक्रिया ।

Alphanumeric Characters - **वर्णांकीय संप्रतीक :** ये ऐसे संप्रतीक (कैरेक्टर) होते हैं, जो वर्णों, अंकों अथवा उनके मेल से बनते हैं । ये वर्ण (अक्षर) एवं अंक होते हैं, संकेत नहीं, प्रतीक नहीं । एक ऐसा प्रदर्श, जो संप्रतीकों के रूप में होता है ।

Animation - **एनिमेशन :** चित्रित वस्तुओं / प्राणियों को हिलते-डुलते देखने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को सृजित करना (कार्टून आदि), जैसे कि स्प्रेडशीट एनिमेशन के प्रयोग से बिक्री के ढलान को देखने में सहायता मिलती है ।

Annotation - **टीका, व्याख्या :** किसी प्रलेख पर लिखी गयी टीका, जिसका उपयोग प्रायः उस स्थिति में होता है जब दो या अधिक लोग एक से अधिक विषयों पर कार्यरत हों और जब वे अपने विचारों का आदान-प्रदान करना चाहें । टीका बाकी पाठ के साथ-साथ मुद्रित नहीं होती और विशेष आदेशों के प्रयोग से ही देखी जा सकती है ।

---

* कंप्यूटर परिभाषा कोश भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, मुंबई - 400 005 द्वारा प्रकाशित कोश है । यहां पर उक्त कोश में से कतिपय चयनित शब्दों को लिया गया है ।

ANSI (American National Standard Institute) - **अन्सी** : यह अमेरिकन नेशनल स्टैण्डर्ड इंस्टीट्यूट का संक्षिप्त नाम है । 1. एक ऐसी संस्था, जो विभिन्न उद्योगों के मानक निर्धारित करती है । 2. क्रमादेशन (प्रोग्रामिंग) की भाषाओं को जिस ढंग से कार्य करना चाहिए, उसे नियंत्रित करनेवाले विशेष नियम । 3. कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होनेवाली सूचनाओं को नियंत्रित करनेवाले आदेश ।

Anti Virus - **एंटी / प्रति वायरस, वायरस-विरोधी प्रोग्राम** : एक किस्म का क्रमादेश (उपयोगिता सॉफ्टवेयर), जो कंप्यूटर स्मृति (मेमोरी), हार्ड डिस्क आदि को जांचता है और वायरस को खोज निकालता है । एंटी वायरस हार्ड डिस्क से वायरस को समूल नष्ट करते हुए वायरस को फैलने से भी रोकता है । यह पी सी को वायरस के कुप्रभाव से बचाता भी है । यदि पी सी पर ऐसे डिस्केट का प्रयोग किया जाये जिसका प्रयोग अन्य किसी ने भी किया हो, तो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर चलाना चाहिए । कुछ वायरस विरोधी प्रोग्राम ऐसे होते हैं, जो वायरस को समाप्त करते हैं और कंप्यूटर में विद्यमान रहकर कार्य करते रहते हैं और जैसे ही किसी संदिग्ध कार्य / गतिविधि की सूचना मिलती है, वे तुरंत सक्रिय होकर वायरस का सफाया कर देते हैं । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रोग्रामों को आवधिक रूप से चलाने की आवश्यकता होती है । एंटी वायरस प्रोग्राम संदिग्ध गतिविधियों या लक्षणों के आधार पर वायरस की पहचान करते हैं और वायरस कहां पर है, इसका पता लगाते हैं ।

Append - **अनुबंध** : किसी अन्य के साथ किसी को अंत में जोड़ना / मिलाना । 1. जब किसी फाइल का अनुबंध किया जाता है तो एक फाइल को दूसरी फाइल के अंतिम सिरे से जोड़ा जाता है और उसे एक बड़ी फाइल का आकार दिया जाता है । 2. किसी डाटाबेस फाइल के अंत में नये रिकॉर्ड को जोड़ना ।

Applet - **अनुप्रयोगक** : 1. एक लघु अनुप्रयोग (एप्लिकेशन), जो विंडोज में प्रयुक्त होता है, जैसे पेंट अथवा वर्ड पैड । 2. कोई भी छोटा क्रमादेश (प्रोग्राम), जिसे किसी विशिष्ट कार्य के लिए सृजित किया जाता है ।

Application - **अनुप्रयोग, एप्लिकेशन** : 1. क्रमादेश (प्रोग्राम) के लिए एक और नाम, जैसे शब्द संसाधन, स्प्रेडशीट आदि । अनुप्रयोग में यह सन्निहित है कि कार्य हो रहा है अथवा किसी प्रयोजन की पूर्ति की जा रही है । एक अनुप्रयोग में कई प्रोग्राम हो सकते हैं । 2. नेटवर्क परिचालन प्रणाली पर कार्य के लिए प्रोग्राम, जो अपने में स्वतंत्र, नेटवर्क पर आधारित या समेकित पैकेज का एक हिस्सा हो सकता है ।

Application Icon - **अनुप्रयोग का संकेत-चिह्न** : एक लघु निदर्श प्रतीक, जो किसी क्रमादेश (प्रोग्राम) को दर्शाता है । माउस के संकेतक को निदर्श प्रतीक पर क्लिक करने से क्रमादेश का निष्पादन प्रारंभ हो जाता है । विंडोज पर आधारित अनुप्रयोगों और कार्यों के लिए अलग-अलग संकेत-चिह्न होते हैं, जिन्हें क्लिक करने से उस आइकॉन (संकेत-चिह्न) का अनुप्रयोग या कार्य शुरू हो जाता है ।

Archive - **पूरा भंडार** : 1. एक ऐसा स्थान, जहां लम्बे समय तक सुरक्षित रखने हेतु महत्वपूर्ण फाइलों का भंडारण किया जाता है, जैसे कि उन्हें फ्लॉपी में रखना आदि । 2. फाइलों का संपीडन ।

Argument - **स्वतंत्र चर** : किसी क्रमादेश (प्रोग्राम) को दिया गया मान (value) । क्रमादेशन में प्रायः इसका प्रयोग किया जाता है । जहां स्वतंत्र चर (independent variable) का उपयोग किया गया हो, वहां प्रमुख क्रमादेश को उप क्रमादेश के सुगमतापूर्वक कार्य करने के लिए स्वतंत्र चर देने पड़ते हैं ।

Array - **सरणी, एरे** : एकसमान सूचनाओं का संग्रह, जैसे कि संख्याओं, कोड, पाठ आदि मदों की सूची । सरणी की प्रत्येक मद एक अवयव होती है तथा उसे सरणी के नाम और सरणी में उसकी स्थिति से दर्शाया जा सकता है। जैसे ABC (7) में ABC सरणी है तथा उसमें सातवें स्थान पर स्थित मान की बात की जा रही है ।

Artificial Intelligent - **कृत्रिम बुद्धि** : कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा, जिसका संबंध कंप्यूटर में ऐसी सुविधा निर्मित करने से है कि वह मानव-बुद्धि के कतिपय पहलुओं का अनुसरण कर सके । वाणी अभिज्ञान (स्पीच रिकग्निशन), निगमन (डिडक्शन), अनुमान/निष्कर्ष (इन्फीरेन्स), रचनात्मक प्रत्युत्तर (क्रिएटिव रिस्पॉन्स), अनुभव से सीखने की योग्यता, अपूर्ण जानकारी के आधार पर पूर्ण जानकारी का अनुमान लगाने की योग्यता आदि, मानव-बुद्धि के विशिष्ट गुण हैं, जिन्हें कंप्यूटर अभी नहीं कर पाता । परंतु मनुष्य कंप्यूटर में ये क्षमताएं / योग्यताएं निर्मित करने के लिए प्रयत्नशील है । वाणी अभिज्ञान जैसे गुण को कुछ सीमा तक कंप्यूटर में निर्मित करने में सफलता भी मिली है । वर्तमान में कृत्रिम बुद्धि संबंधी अनुसंधानों के दो क्षेत्र हैं - निपुण प्रणाली का विकास और प्राकृतिक भाषा संसाधन ।

Ascending Order - **आरोही क्रम** : सूचना को निम्नतम से उच्चतम स्तर के क्रम में व्यवस्थित करना ।

ASCII Codes - **आस्की कूट** : कूट चार प्रकार के होते हैं । लोअरकेस, अपरकेस, संकेतक, नियंत्रक कूट (कंट्रोल कैरेक्टर), इनमें से संप्रतीकों को दिये गये 0 से 127 तक के कूट आस्की कूट कहलाते हैं । ASCII भी देखें ।

ASCII File - **आस्की फाइल** : 1.एक ऐसी फाइल, जिसमें केवल आस्की कैरेक्टर ही हों । इसे सामान्य पाठ (plain text) फाइल भी कहते हैं । सामान्यतः जब दो शब्द संसाधक सूचना के आदान-प्रदान हेतु एक दूसरे के फार्मेट का उपयोग नहीं कर पाते तब आस्की फाइल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है । कुछ सिस्टम फाइलों (जैसे Config. Sys, Auto Exec. Bat आदि) को आस्की फार्मेट पर ही होना चाहिए । 2. निम्न फाइलों के लिए एक अतिरिक्त शब्द, जैसे पाठ फाइल (text file), डॉस पाठ फाइल (DOS text file), सामान्य पाठ फाइल (general text file), फार्मेट न किया हुआ प्रलेख (unformated document) इत्यादि ।

Assembler - **कोडांतरक** : असेम्बली भाषा में लिखे गये प्रोग्राम को मशीन कोड में परिवर्तित करने वाला एक विशेष प्रोग्राम ।

Assembly Language - **असेम्बली भाषा** : एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, जिसका प्रत्येक कथन करीब-करीब मशीन अनुदेश होता है । इस भाषा के प्रोग्राम बड़े तथा पढ़ने और समझने में मुश्किल होते हैं, जबकि 'सी', 'बेसिक' या अन्य भाषाओं की अपेक्षा असेम्बली भाषा के प्रोग्राम तेजी से निष्पादित होते हैं और डिस्क पर कम जगह घेरते हैं ।

Audit Trail File - **ऑडिट ट्रेल फाइल** : एक ऐसी फाइल, जो कंप्यूटर के प्रारंभ होने से बंद होने तक उसके द्वारा फाइलों में किये गये परिवर्तनों का रिकॉर्ड रखती है । बैंकों में इस्तेमाल होनेवाले सॉफ्टवेयर इस तरह की फाइलें जरूर बनाते हैं, ताकि किसी कारण डाटा फाइल के खराब हो जाने की दशा में इस फाइल (ऑडिट ट्रेल) की सहायता से फाइलें ठीक की जा सकें ।

Auto Save - **आटो सेव, स्वतः सुरक्षा** : कुछ प्रोग्रामों का एक गुण, जिससे वह प्रोग्राम किये गये कार्य को निर्धारित अंतराल पर डिस्क पर ***सेव*** (सुरक्षित) करता रहता है, ताकि किसी कारणवश (जैसे डॉस के फेल होने, गलत कमांड देने, बिजली की आपूर्ति बंद हो जाने आदि से) किया गया कार्य नष्ट न हो ।

Back Up - **बैकअप** : किसी प्रोग्राम, डाटा फाइल, डिस्क आदि को सुरक्षित रखने के मतलब से बनायी गयी उसकी प्रतिलिपि । बैक अप फ्लापी या टेप पर लिया जा सकता है ।

Bad Command Or File Name - **गलत अनुदेश या फाइल नाम** : यह एक सामान्य डॉस त्रुटि संदेश है जिसका अर्थ है कि आपके द्वारा दिया गया अंतिम अनुदेश कंप्यूटर समझ नहीं सका है । इसका कारण निष्पादनयोग्य फाइल का नाम गलत लिखना या उस फाइल का उपलब्ध न होना, निष्पादनयोग्य न होने वाली फाइल को निष्पादित करने की कोशिश करना आदि है ।

Bar Code - **बार कोड** : एक विशेष पहचान कोड । यह अलग-अलग मोटाई की विभिन्न पंक्तियों का एक समूह होता है, जिसे वस्तुओं पर उनकी पहचान, श्रेणी, कीमत आदि की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाया जाता है । बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर अपने सामान पर इसे लगाते हैं, ताकि सामान को बेचने तथा पहचानने में सुविधा रहे । बार कोड रीडर की सहायता से किसी वस्तु पर लगे बार कोड से उस वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे कंप्यूटर संसाधित कर पटल पर दिखाता है ।

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) - **बेसिक** : इस उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा का विकास साठ के दशक में डार्टमाउथ कालेज के जॉन कैमेनी तथा थामस कुर्ट्ज ने किया था । यह एक अत्यंत सरल तथा आसानी से समझ में आनेवाली भाषा है तथा प्रोग्रामिंग प्रारंभ करने वालों के लिए उपयोगी है । बहुत-सी अन्य कंपनियों ने भी अलग-अलग नामों से बेसिक भाषा के संस्करण निकाले हैं । वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित *विज़ुअल बेसिक* का चलन ज्यादा है ।

Batch File - **बैच फाइल** : एक आस्की टेक्स्ट फाइल, जिसमें परिचालन प्रणाली तथा बैच संसाधक (Batch Processor) द्वारा समर्थित अनुदेश रहते हैं । इन फाइलों की विस्तृति ***.BAT*** होती है । ऐसी फाइल निष्पादित किये जाने पर इसमें लिखे अनुदेश एक-एक पंक्ति कर निष्पादित होते हैं, जैसे कि उन्हें कमांड प्राम्प्ट पर दिया गया हो । इन फाइलों में स्वतंत्र चरों का इस्तेमाल भी हो सकता है । इन फाइलों के उपयोग से डॉस वातावरण में कुछ तरह के कार्यों का निष्पादन स्वतः हो सकता है । *AUTOEXEC.BAT* ऐसी ही एक बैच फाइल है ।

Beta Test - **बीटा टेस्ट** : किसी सॉफ्टवेयर के पूर्ण रूप से

विकसित होने से पूर्व संभावित प्रयोक्ताओं द्वारा उसकी जांच। इसके लिए सॉफ्टवेयर को प्रभावशाली प्रयोक्ताओं तथा संभावित ग्राहकों को, जिन्हें बीटा साइट कहते हैं, भेजा जाता है। ये लोग उस सॉफ्टवेयर को विभिन्न दृष्टियों से जांचते हैं तथा उसकी त्रुटियां बताते हैं, ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। बीटा टेस्ट सॉफ्टवेयर को बाजार में रिलीज करने से पहले किया जाता है।

Binary File - **बाइनरी फाइल** : वह फाइल, जिसमें आठ बिट वाला डाटा या निष्पादनयोग्य कूट रहता है। यह फाइल आसानी से पढ़ी जा सकने वाली साधारण आस्की फाइल से अलग होती है। इस तरह की फाइलों को केवल कुछ प्रोग्राम ही ठीक से पढ़ सकते हैं तथा कभी-कभी ये संपीडित भी होती हैं। इन फाइलों का संरूप भी सामान्य फाइलों से अलग होता है।

Black Box - **ब्लैक बॉक्स, काला बक्सा** : ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, जिसकी आंतरिक संरचना ज्ञात न हो, लेकिन यह ज्ञात हो कि उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है तथा वह प्रलेखित भी हो। इसका उपयोग सॉफ्टवेयर की जांच में भी होता है।

Boolean Algebra - **बूलियन बीजगणित** : अंग्रेज गणितज्ञ जार्ज बूले द्वारा उन्नीसवीं सदी में विकसित बीजगणित, जो वर्तमान कंप्यूटरों के संचालन का मूल आधार है। इसमें तार्किक साध्यों (logical propositions) के विभिन्न समूहों के मानों (values) का विवेचन किया गया था। यह सामान्य बीजगणित, जिसमें संख्यात्मक व्यंजकों (numerical expressions) के बारे में बात की जाती है, से अलग था। बूलियन बीजगणित में किसी चर के केवल दो ही मान संभव हैं - सत्य या असत्य। इनके आपसी संबंध को तार्किक प्रचालकों *AND*, *OR*, *NOT* से निरूपित किया जा सकता है। बूलियन तर्क इलेक्ट्रॉनिक परिपथों पर सीधा लागू होता है जो कि अंकीय गणना में काम में आते हैं। बाइनरी संख्याएं शून्य (0) तथा एक (1) किसी परिपथ की भौतिक परिस्थिति को दिखाती हैं। इनको मिलाकर तार्किक द्वार (logic gates) बनते हैं, जो विद्युत प्रवाह (डाटा के प्रवाह) को नियंत्रित करते हैं तथा अन्य बूलियन प्रचालकों को भी निरूपित करते हैं। कंप्यूटर में इस तरह के तार्किक द्वारों का संयोजन किया जाता है तथा एक का निर्गत दूसरे का आगत हो जाता है। इस तरह की क्रियाओं का अंतिम परिणाम कोई अर्थपूर्ण डाटा होता है। यही कंप्यूटर के कार्य करने का मुख्य सिद्धांत है।

Bootstrap - **बूटस्ट्रैप** : सिस्टम डिस्क का वह हिस्सा, जहां परिचालन प्रणाली को लोड करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी होती है। कंप्यूटर बूट होते वक्त बूटस्ट्रैप लोडर महत्वपूर्ण जानकारी लोड करके नियंत्रण अन्य लोडर प्रोग्राम को देता है जो परिचालन प्रणाली को लोड करता है।

Browse - **ब्राउज** : किसी डाटाबेस का, फाइलों की सूची का या इंटरनेट पर फाइलों का किसी विशेष जानकारी हेतु सूक्ष्म अवलोकन करना। सामान्यतया ब्राउज करते वक्त हम डाटा को केवल देखते हैं, किंतु परिवर्तन नहीं करते।

Buffer - **बफर** : स्मृति का वह हिस्सा जहां डाटा अंतरित होने से पूर्व रहता है। स्मृति का कुछ हिस्सा इस कार्य के लिए आरक्षित रहता है।

Bug - **बग** : एक ऐसी त्रुटि, जिसकी वजह से प्रोग्राम गलत परिणाम देते हैं। यह प्रोग्राम के कूटलेखन में त्रुटि हो सकती है या प्रोग्राम में तार्किक त्रुटि। कुछ गंभीर बग डाटा को नष्ट भी कर देते हैं, वह भी प्रयोक्ता की बिना जानकारी के। अतः प्रोग्रामों को क्रियान्वित करने से पहले उनकी पूर्ण जांच करनी चाहिए। बग के निवारण हेतु डीबगिंग टूल उपलब्ध हैं।

Bundled Software - **बंडल्ड सॉफ्टवेयर** : 1. वह प्रोग्राम, जो कंप्यूटर के साथ एक पैकेज के रूप में बेचे जाते हैं। 2. वे छोटे प्रोग्राम, जो बड़े प्रोग्रामों के साथ बेचे जाते हैं, ताकि उन बड़े प्रोग्रामों की पूर्ण क्षमता का उपयोग हो सके।

Burst Speed - **अधिकतम गति** : 1. किसी युक्ति की अधिकतम गति, जिस पर उसे बिना तकलीफ के चलाया जा सके। 2. प्रिंटर द्वारा प्रति सेकंड एक पंक्ति में प्रिंट किये जानेवाले कैरेक्टरों की संख्या।

C - **सी** : 1. किसी कंप्यूटर की पहली हार्ड डिस्क को दिया गया नाम। 2. 1972 में बेल प्रयोगशाला (Bell Laboratory) में विकसित महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग भाषा। यह करीब-करीब मशीन अनाश्रित उच्च स्तरीय संरचित प्रोग्रामिंग भाषा है।

C+ - **सी +** : सी भाषा का अभिलक्ष्य उन्मुख संस्करण। वर्तमान में विजुअल सी (वी सी) और सी ++ उपलब्ध हैं, जिनमें ग्राफिकल यूजर इण्टरफेस भी हैं।

(अगले अंक में जारी)

वर्ष 2001-2002 के लिए मौद्रिक तथा ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा

गवर्नर डॉ. विमल जालान ने प्रमुख वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की बैठक में वर्ष 2001-2002 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा प्रस्तुत की । घरेलू और बाह्य गतिविधियों की समीक्षा के बाद गवर्नर ने कहा कि अनेक अनिश्चितताओं के बावजूद अर्थव्यवस्था के बुनियादी तत्व जो कि मामूली मुद्रास्फीति में प्रतिबिंबित हुए हैं, स्थिर और निम्न ब्याज दरें, उच्च विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां, बड़े पैमाने पर अनाज का स्टॉक और सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध उद्योगों का प्रतियोगात्मक लाभ प्रभावशाली है । उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा संकेतकों के अनुसार प्रणाली की चलनिधि, ऋण के लिए सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी । उन्होंने कहा कि जब तक वातावरण में अनपेक्षित रूप से बदलाव नहीं आता है, भारतीय रिज़र्व बैंक चालू ब्याज दर परिवेश बनाये रखने का प्रयास करेगा ।

घरेलू गतिविधियां

घरेलू गतिविधियों के मामले में भारत के मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय से प्राप्त सूचना का उल्लेख करते हुए गवर्नर ने कहा कि वर्ष 2001-2002 की कृषि संबंधी वृद्धि पिछले वर्ष से लक्षणीय रूप से उच्चतर होने की संभावना है । दूसरी ओर चालू वर्ष की पहली छमाही में औद्योगिक क्षेत्र और निर्यात वृद्धि में पुनरुत्थान की स्थिति अनुकूल नहीं थी । चालू वर्ष के दौरान कृषि में संभाव्य वृद्धि दर का विचार करते हुए, औद्योगिक और निर्यात क्षेत्रों की प्रतिकूल प्रवृत्ति, वैश्विक अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए गवर्नर ने बताया कि पूरे वर्ष के लिए संशोधित वृद्धि दर का एक निश्चित अनुमान लगाना कठिन है ।

गवर्नर ने कहा कि वर्ष के लिए मुद्रास्फीति दृष्टिकोण उत्साहवर्धक प्रतीत हो रहा है क्योंकि कृषि वृद्धि के आसार सकारात्मक हैं और अनाज के स्टॉक बहुत अधिक हैं ।

गवर्नर ने सूचित किया कि चालू वित्तीय वर्ष में मुद्रा आपूर्ति और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां एक वर्ष पूर्व की वृद्धि दरों से थोड़ी सी उच्चतर पायी गयीं । उन्होंने यह कहा कि बैंक जमाराशियों के सापेक्ष आकर्षण में सुधार हुआ है और यदि जमाराशि में वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा तो संसाधनों के अभिनियोजन में विशेषतः ऋण और निवेश मांग की सुस्ती के संदर्भ में बैंकिंग प्रणाली के लिए एक आह्वान करेगा । गवर्नर ने यह भी कहा कि सितंबर के अंत में और अक्तूबर के प्रारंभ में वाणिज्य क्षेत्र के लिए बैंकिंग प्रणाली से अनाज से इतर बैंक ऋण और अन्य संसाधन प्रवाहों में कुछ वृद्धि दिखायी दी । प्रारक्षित नकदी निधि विस्तार में अंशदान करनेवाले स्रोतों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यद्यपि केंद्र सरकार के पास जमा होनेवाले भारतीय रिज़र्व बैंक के निवल ऋण सन्तुलित वृद्धि दर्शाते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । उन्होंने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2001-02 के दौरान प्रारक्षित मुद्रा विस्तार धीमा रहेगा ।

उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में समग्र ब्याज दर ढांचे में धीरे-धीरे गिरावट आयी और उसका-ह्रासमान प्रवृत्ति दिखाना जारी रहा । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मूल उधार दरों में ह्रास हुआ । चूंकि बैंकों को निर्यातकों और उनके मुख्य ग्राहकों को उप-मूल उधार दरों पर उधार देने की अनुमति दी गयी थी, ऐसी कंपनियों के लिए बैंक उधारों की लागत और कम हो गयी । सरकारी क्षेत्र के बैंकों की दीर्घावधि घरेलू जमाराशियों की दर मार्च 2001 के 10.50 प्रतिशत से कम होकर अक्तूबर 2001 में 9.25 प्रतिशत हुई ।

जैसा कि अप्रैल 2001 के वार्षिक नीति विवरण में घोषित किया गया, राजकोषीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपने पुनर्खरीद परिचालनों के माध्यम से यथोचित चलनिधि की व्यवस्था करना जारी रखा । परिपक्वताओं तथा विभिन्न लिखतों के लिए ब्याज दर परिवेश काफी नरम रहा और अप्रैल और अक्तूबर 2001 के मध्य में 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में करीब 100 आधार अंकों से गिरावट आयी ।

बाह्य गतिविधियां

इससे पूर्व निर्यातकों को उचित दर पर ऋण की समय पर सुपुर्दगी के लिए तथा क्रियाविधि संबंधी अड़चनों को हटाने के लिए कई उपायों की घोषणा की गयी थी । उन्होंने उल्लेख किया कि निर्यातकों की संतुष्टि के सर्वेक्षण का कार्य नेशनल काउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है ।

गवर्नर ने कहा कि कई बार निगमित विदेशी मुद्रा वचनबद्धताओं का बहुत बड़ा हिस्सा बाज़ार के उनके अनुमानों के आधार पर निगमों द्वारा अरक्षित ही बना रह जाता है और इससे अत्यधिक अनिश्चितता की परिस्थितियों में निगमों की समग्र वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। अतएव, गवर्नर महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि जिन बैंकों के इस तरह के निगमों में बहुत अधिक ऋण हैं वे इस तरह के बाहरी अरक्षित ऋणों की निगरानी के लिए प्रणाली विकसित करें।

रिज़र्व बैंक प्रलेखन अपेक्षाओं को कम करने के लिए और अनिवासी भारतीयों द्वारा तथा अन्यों द्वारा एवं विदेश में भारतीय निगमों/निकायों द्वारा भारत में उत्पादक निवेश के लिए अवसरों को और अधिक उदार बनाने के लिए क्रियाविधियों को सरल बनाने के अपने प्रयास जारी रखेगा। गवर्नर महोदय ने इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों, निगमों तथा बाज़ार सहभागियों का ई-मेल के जरिए helpnri@rbi.org.in पर और सुझाव भेजने के लिए उनका स्वागत किया।

2001-2002 की दूसरी छमाही के लिए मौद्रिक नीति की अवस्थिति

गवर्नर महोदय ने कहा कि चालू वर्ष की शेष छमाही के लिए अप्रैल के वक्तव्य में घोषित मौद्रिक नीति का समग्र उद्देश्य जारी रखा जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि ऋण के लिए सभी न्यायोचित आवश्यकताओं की पूर्ति मूल्य-स्थिरता के अनुरूप की जाए। जब तक कि परिस्थितियों में अप्रत्याशित रूप से कोई परिवर्तन न हो, भारतीय रिज़र्व बैंक वर्तमान ब्याज दर परिवेश को बनाए रखने के लिए भी प्रयास करेगा।

तथापि, गवर्नर महोदय ने सूचित किया कि एक ओर जहां मौद्रिक नीति के वर्तमान उद्देश्य को जारी रखने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक और बाज़ार के सहभागी वर्तमान मौद्रिक और ब्याज दर परिवेश के प्रति अधिक संतोषजनक दृष्टिकोण न अपनाएं, इसके लिए दो सूत्र वाक्य रखे जाएँ। पहला, बैंक, प्राथमिक व्यापारी और अन्य बाज़ार सहभागियों को यह बहुत ही स्पष्ट रूप में ध्यान रखना चाहिए कि ब्याज दर वातावरण में अल्पावधि में बड़े नाटकीय तरीके से परिवर्तन हो सकता है। पिछले कुछ एक वर्ष के दौरान ब्याज दरों में आई पर्याप्त गिरावट से मध्यावधि और दीर्घावधि प्रतिभूतियों के धारकों को वसूल की गई और वसूली न की गई ब्याज दरों से भारी लाभ हुआ। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये लाभ बेकार न जाए या चलनिधि बाजार कार्यकलापों के लिए इनका उपयोग न किया जाए। दूसरा यह कि हमारी वित्तीय प्रणाली के कतिपय संरचनात्मक गुणों को देखते हुए यह स्वीकार करने की जरूरत है कि बैंकों और अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा ऋण दरों को और नरम बनाने की गुंजाइश सीमित ही है। अन्य घटकों के रूप में गवर्नर महोदय ने बताया :

❖ बैंकों के सावधि जमा धारक सामान्यतः निश्चित आय समूहों से संबंधित हैं और वे मुद्रास्फीति की दीर्घावधि दर के अतिरिक्त युक्तिसंगत सामान्य ब्याज दर की अपेक्षा करते हैं। इससे बैंकों के जमा संग्रहण पर असर डाले बिना उनकी उधार दरों को और कम करने और मध्यावधिक वित्तीय बचतों की बढ़ोतरी को प्रभावित करने की उनकी क्षमता अवरुद्ध होती है।

❖ सावधि जमाराशियों पर निश्चित ब्याज दरों को तरजीह देने के कारण बैंक अल्प समय में अपनी ऋण दरों को कम करने में अधिक सक्षम नहीं रहे।

❖ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए, निधियों की औसत लागत 7.0 प्रतिशत से अधिक है। इसके साथ ब्याजेतर परिचालनगत व्यय सामान्यतः कुल परिसंपत्तियों के 2.5 से 3.0 प्रतिशत है, इनसे निधियों की अपेक्षित अंतर-लागत पर दबाव की स्थिति बनी। अनर्जक परिसंपत्तियों के अपेक्षाकृत अधिक होने से उधार दरें और बढ़ी हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि तथापि यह आवश्यक है कि ब्याज दर ढांचे के लचीलेपन पर इन विन्यासात्मक अड़चनों का प्रभाव कम करने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है।

हाल ही में, सरकार ने भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत योजनाओं-जैसी संविदागत बचतों पर विद्यमान ब्याज दरों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : डॉ. वाई. वी. रेड्डी)(इस समिति की रिपोर्ट के लिए कृपया www.finmin.nic.in देखें) ने भी संविदागत बचतों के लिए एक अधिक स्थायी और लचीले ब्याज दर स्वरूप की सिफारिश की है। बैंकों के लिए यह बहुत अधिक वांछनीय है कि वे दीर्घावधि जमाराशियों के संदर्भ में यथाशीघ्र विविध ब्याज दर विन्यास बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। चूंकि दोनों ही स्थितियों में ब्याज दरों में अंतर होगा, जो कारोबार चक्र और मुद्रास्फीति स्थिति पर आधारित है, अतः दीर्घावधि जमाराशियों पर विविध ब्याज दर से यह आवश्यक नहीं है कि एक निश्चित अवधि में जमाकर्ता द्वारा अर्जित औसत ब्याज दर कम हो जाए (विशेष रूप से निश्चित दर ढांचा की तुलना में जो कि पुरानी जमाराशियों के अधिक अनुकूल है जबकि नई जमाराशियों की ब्याज दर घट रही है और उसके ठीक विपरीत, जबकि दरें उलटी दिशा में चलती हैं)। इसके अतिरिक्त, बैंकों को अपनी उत्पादकता में सुधार लाने और उधार की मात्रा में वृद्धि करने के लिए अपनी परिचालनगत लागत को कम करने की दिशा में सर्वोत्तम प्रयास करने हैं।

वित्तीय क्षेत्र के सुधार और मौद्रिक नीति उपाय

वित्तीय बाज़ार में नवीनतम गतिविधियां

गवर्नर महोदय ने कहा कि हाल की घटनाओं से यह बात सामने आई है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बोर्ड, वाणिज्य बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के कार्यों पर सूचित सतर्कतापूर्ण नज़र और पर्यवेक्षण रखें। भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रस्ताव है कि चुनिंदा वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों को मिलाकर एक परामर्शदाता समूह गठित किया जाए, जो यह सुझाव देगा कि बोर्डों की आंतरिक पर्यवेक्षी भूमिका को मजबूत बनाने के उपाय क्या हैं, जिन पर सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा।

मौद्रिक उपाय

(क) बैंक दर

मैक्रो इकॉनॉमिक तथा मौद्रिक गतिविधियों की समीक्षा के आधार पर बैंक दर 22 अक्तूबर 2001 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी करते हुए 7.0 प्रतिशत से 0.50 प्रतिशत घटाकर 6.50 प्रतिशत की जा रही है। इस स्तर पर यह दर मई 1973 के बाद सबसे कम है।

(ख) नकदी प्रारक्षित अनुपात

❖ नकदी चलनिधि अनुपात को शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के 7.50 प्रतिशत से 200 आधार पॉइंट घटाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया जाये। 3 नवंबर 2001 को शुरू होनेवाले पखवाड़े से नकदी चलनिधि अनुपात घटाकर 5.75 प्रतिशत कर दिया गया है। 29 दिसंबर 2001 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से नकदी सांविधिक अनुपात को और घटाकर शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के 5.50 प्रतिशत पर ले आया जाएगा।

❖ साथ ही, 3 नवंबर 2001 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं की गणना (नकदी सांविधिक अनुपात बनाये रखने की अपेक्षा के लिए) अंतर-बैंक देयताओं को छोड़कर सभी रियायतें समाप्त कर दी जायेंगी।

❖ यह अपेक्षा की जाती है कि इन सुविधाओं से अल्पकालिक आय वक्र विकसित होगा, मुद्रा बाज़ार विकसित होगा, बैंकों तथा गैर-बैंकों के बीच विनियामक दलाली कम होगी, बैंकों के पास ऋण योग्य संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि होगी तथा मौद्रिक नीति के संचालनों में अप्रत्यक्ष विलेखों की कुशलता में सुधार होगा।

❖ शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के मौजूदा स्तर पर उपर्युक्त दो उपायों का मिलाजुला प्रभाव बैंकिंग प्रणाली के पास कुल ऋण योग्य संसाधनों में लगभग 8,000 करोड़ रुपये की वृद्धि करेगा। (3 नवंबर 2001 से प्रभावी लगभग 6,000 करोड़ रुपये)

❖ रिज़र्व बैंक अन्य विलेखों के अलावा नकदी प्रबंध के लिए दोनों दिशाओं में नकदी चलनिधि अनुपात विलेख का प्रयोग जारी रखेगा। (उदाहरण के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा)

(ग) रिज़र्व बैंक के पास रखी जानेवाली नकदी शेष राशियों पर ब्याज

❖ 3 नवंबर 2001 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से पात्र नकदी शेष राशियों पर अदा किया जानेवाला ब्याज, बैंक दर (अर्थात 6.5 प्रतिशत) पर होगा।

चलनिधि समायोजन सुविधा - प्रगति

❖ ओवरनाइट रेपो के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेकानुसार जब भी जरूरी हो तो 14 दिवसीय अवधि के दीर्घावधिक रेपो भी शुरू कर सकता है।

सरकारी प्रतिभूति बाज़ार का विकास

❖ 91 दिवसीय खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया। यह भी सुनिश्चित किया गया कि 91 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की परिपक्वता अवधि एक ही हो ताकि गौण बाज़ार में विभिन्न परिपक्वता अवधि के खज़ाना बिलों के पर्याप्त मूर्त स्टॉक भी उपलब्ध रहें।

❖ सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बोली लगाने और गौण बाज़ार लेनदेन में इलेक्ट्रानिक सुविधाएँ देने के लिए नेगोशियेटेड डीलिंग सिस्टम की शुरुआत की जा रही है, इससे व्यवसाय के बारे में सूचनाएँ भी तुरंत प्रसारित हो जाएँगी।

❖ कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, 30 अप्रैल 2001 को भारतीय स्टेट बैंक को मुख्य प्रवर्तक के रूप में लेकर क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआइएल) पंजीकृत की गयी। सीसीआइएल का परिचालन परीक्षण जांच (टेस्ट रन) के साथ नवम्बर 2001 में शुरू होने की संभावना है।

❖ सरकार के अनुमोदन से, प्रायोगिक आधार पर नये एक समान मूल्य नीलामी फॉर्मेट का प्रारंभ किया जायेगा।

❖ गैर-प्रतियोगात्मक आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों के खुदरा सहभागिता की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

❖ रिज़र्व बैंक ने 'सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिन्सिपल ऑफ सिक्युरिटिज़' (एसटीआरआइपीएस) का

विकास करने के लिए रूपरेखा दर्शानेवाला परामर्शदात्री पत्र तैयार किया है ।

सैटलाइट डीलर प्रणाली की समीक्षा

❖ रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों और सैटेलाइट डीलरों के बीच बेहतर लिंकेज प्रस्थापित करने की व्याप्ति की जांच करने के लिए सैटेलाइट डीलर प्रणाली की समीक्षा करने का निर्णय लिया, जिससे सरकारी प्रतिभूतियों के लिए खुदरे स्तर पर एक प्रभावी वितरण माध्यम बन सके ।

विवेकशील मानदंड

(क) ऋण सूचना ब्यूरो

❖ ऋण सूचना ब्यूरो द्वारा ऋण संबंधी आंकड़ों/सूचना के संग्रहण और प्रसार की प्रक्रिया को परिचालित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक एक समूह बनाएगा जिसमें ऋण सूचना केंद्र, भारतीय बैंक संघ, चुनिंदा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे । यह समूह ऋण सूचना ब्यूरो द्वारा वाद दाखिल खातों की सूची और चूककर्ताओं, जिनमें जानबूझकर ऋण न चुकानेवाले चूककर्ता भी शामिल हैं, की सूची के संबंध में सूचना का संग्रहण और उसका प्रसार करने की भूमिका अदा करने की संभावना की जांच करेगा जो कार्य वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जा रहा है ।

(ख) बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-एसएलआर निवेश

❖ बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के गैर-एसएलआर निवेश संविभागों, विशेष रूप से निजी प्लेसमेंट मार्क के जरिए, से उभरने वाले जोखिमों को नियंत्रण में रखने के लिए यह प्रस्ताव है कि बैंकों द्वारा अपनाये जानेवाले और अधिक विवेकशील दिशानिर्देशों को जारी किया जाए । इन्हें बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ और परामर्श करके अंतिम रूप दिया जायेगा ।

❖ बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया है कि 31 अक्तूबर 2001 से प्रभावी, उन्हें निजी रूप से अथवा अन्यथा केवल नये निवेश करने, बांड तथा डिबेंचर डिमैट रूप में ही रखने की अनुमति दी जायेगी ।

❖ व्यापार में पारदर्शिता जिसमें बांडों का नाम, कारोबार की राशि तथा मूल्य जिस पर कारोबार किया गया शामिल है, की सुविधा के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को एक रिपोर्टिंग तंत्र विकसित करने की सुविधा होगी और एनएसडीएल/सीडीएसएल बाद में इस तरह की सूचना को बाज़ार में दे सकते हैं । इस तरह की व्यवस्थाएं निगमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, राज्य तथा केंद्रीय सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष अथवा विशेष प्रयोजन वाहक के रूप में जारी सभी बांडों पर एक समान रूप में लागू होंगी ।

❖ समग्र रूप से सरकारी बजटों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष वित्तपोषण के प्रस्ताव प्रत्यक्ष अथवा विशेष प्रयोजन वाहक के रूप में तैयार किये जाने चाहिए और इस तरह के प्रस्ताव विशिष्ट निगरानी योग्य परियोजनाओं,विशेष रूप से पूंजी सघन तथा उच्च लागत क्षेत्रों के प्रस्तावों के लिए होने चाहिए । इनमें आधारभूत ढांचा, परियोजनाएं शामिल होंगी । वित्तपोषण तथा प्रतिफल के घटक सुपरिभाषित होने चाहिए तथा इनका आकलन कर लिया जाना चाहिए ।

(ग) पारदर्शिता तथा लेखाकरण मानक

उनकी वित्तीय स्थितियों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए एक और उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि बैंक मार्च 2002 को समाप्त होनेवाले वर्ष से अपने तुलन-पत्रों में लेखों पर टिप्पणी में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी देंगे ।

❖ अनर्जक आस्तियों की ओर किये गये प्रावधानों में लेनदेन तथा निवेशों में मूल्यह्रास के लिए किये गये प्रावधानों में लेनदेन

❖ यह निर्णय लिया गया है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटंट ऑफ इंडिया, बैंकों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रतिनिधियों को लेते हुए एक कार्यदल बनाया जाए जो लेखाकरण मानकों के अनुपालन में खामियों का पता लगायेगा और इन अंतरालों को दूर करने/कम करने के लिए उपाय सुझायेगा ।

अनुत्पादक परिसंपत्तियों का निपटान

इस बात को देखते हुए कि इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य निर्दिष्ट समयावधि के भीतर 'एक-बार निपटान' का अवसर प्रदान करना था और पहले ही पर्याप्त समय दिया गया है, इस योजना को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है । तथापि, 1995 के दिशा-निर्देशों में निपटान के लिए निर्धारित व्यापक ढांचा प्रचलन में जारी रहेगा और बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से समझौते तथा बातचीत के जरिए निपटानों को शामिल करते हुए वसूली और बट्टे खाते डालने के लिए विशेषकर अनुत्पादक परिसंपत्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पुराने और सुलझाए न गए मामलों के लिए अपनी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र होंगे ।

शहरी सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंकों के एलएलआर निवेश : संशोधित समय - सीमा

शहरी सहकारी बैंकों के फेडरेशन से प्राप्त प्रतिवेदनों के

प्रति उत्तर में यह प्रस्ताव है कि सांविधिक चलनिधि अनुपात के निर्धारित स्तर प्राप्त करने के लिए संबंधित समय सीमा संशोधित की जाए। संशोधित समय सीमा निम्नानुसार है :-

शहरी सहकारी बैंकों की श्रेणी	निवल मांग और मीयादी देयताओं के प्रतिशत के रूप में सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में न्यूनतम सांविधिक चलनिधि अनुपात			
	वर्तमान	31 मार्च 2002 के लिए पूर्व प्रस्तावित	31 मार्च 2002 के लिए अब प्रस्तावित	30सितंबर 2002 के लिए अब प्रस्तावित
गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक				
1. 25 करोड़ रुपए और उससे अधिक की निवल मांग और मीयादी देयताओं वाले शहरी सहकारी बैंक	10.0	15.0	12.5	15.0
2. 25 करोड़ रुपए से कम की निवल मांग और मीयादी देयताओं वाले शहरी सहकारी बैंक	कुछ नहीं	10.0	7.5	10.0
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	15.0	20.0	17.5	20.0

यह संभव है कि किसी भी श्रेणी के कुछ शहरी सहकारी बैंकों ने पहले ही 20 अक्तूबर 2001 को मार्च या सितंबर 2002 की समाप्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा किया होगा या वे लक्ष्य के नजदीक होंगे। ऐसे शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की सांविधिक चलनिधि अनुपात की धारित राशि अपने निवल मांग और मीयादी देयताओं के अनुपात के भाग के रूप में कम न करें।

शेयरों पर ऋण

शहरी सहकारी बैंकों और उनके फेडरेशनों से प्राप्त अभ्यावेदनों के प्रति उत्तर में यह प्रस्तावित है कि शहरी सहकारी बैंकों को यह अनुमति दी जाए कि वे किसी भी व्यक्ति को कतिपय पैरामीटरों के तहत शेयरों की जमानत पर ऋण स्वीकृत कर सकते हैं :-

(i) शेयरों की जमानत पर व्यक्तियों को ऋण उनकी आकस्मिकता पूर्ति और वैयक्तिक आवश्यकता एवं शेयरों/डिबेंचरों के नए निर्गमों अथवा राइट शेयर में अभिदान अथवा सेकेंडरी बाज़ार से खरीद के लिए स्वीकृत किए जा सकते हैं। शेयरों/डिबेंचरों के प्राथमिक/संपार्श्विक जमानत पर ऐसे ऋण की सीमा, अगर जमानत प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत है, 5 लाख रुपए तक होगी और अगर जमानत डीमैट रूप में है तो उक्त सीमा 10 लाख रुपए तक होगी। ऐसे सभी ऋणों की कुल राशि बैंक की स्वामित्ववाली निधियों के 20 प्रतिशत की समग्र अधिकतम सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए और ऐसे ऋणों के सभी मामलों में 40.0 प्रतिशत मार्जिन रखा जाना चाहिए।

(ii) यह अनिवार्य है कि शेयर को जमानत के तौर पर स्वीकार करने के पहले शहरी सहकारी बैंकों को जोखिम प्रबंध प्रणाली को सुव्यवस्थित कर लेना चाहिए। शहरी सहकारी बैंकों की अपने निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति होनी चाहिए और सभी अनुमोदित ऋण आवेदन कम-से-कम दो महीने में एक बार उक्त लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखे जाने चाहिए। स्वीकृत ऋणों के ब्यौरे बोर्ड के समक्ष अगली बैठक में रखे जाने चाहिए। प्रबंध तंत्र और लेखा-परीक्षा समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेयरों की जमानत पर सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को ऋण दिए जाएं जो शेयरों की दलाली के कारोबार से या शेयरों की दलाली करनेवाली संस्था से किसी भी तरह नहीं जुड़े हैं।

(iii) ऐसे शहरी सहकारी बैंक, जिनका व्यक्तियों के पास ऋण बकाया है, उपर्युक्त शर्तों के अधीन, संविदा में निर्दिष्ट तारीख के बाद अनुमति योग्य राशि, मामले के गुण-दोष के आधार पर, नवीकृत कर सकते हैं।

(iv) पहले की तरह, शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक अथवा द्वितीयक बाजार में उनका कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं है।

क्रेडिट संवितरण प्रणाली

बैंक क्रेडिट संवितरण के लिए 'ऋण प्रणाली'

कंपनियों और बैंकों दोनों को उपलब्ध अल्पावधि निवेश अवसरों के वर्तमान माहौल में, अब से आगे बैंक चाहे तो, 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक की कार्यशील पूंजीगत सीमाओं के लिए 20 प्रतिशत से अधिक नकदी ऋण घटक बढ़ाकर कार्यशील पूंजी की संरचना बदल सकते हैं।

(स्रोत : क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के अक्तूबर 2001 अंक से साभार)

बैंक क्रेडिट की सुपुर्दगी के लिए ऋण-व्यवस्था

रिज़र्व बैंक ने कंपनियों और बैंकों - दोनों को ही उपलब्ध अल्पावधिक निवेश संबंधी अवसरों के वर्तमान वातावरण की पृष्ठभूमि में 'ऋण व्यवस्था' से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा की है। बैंक ने यह निश्चय किया है कि बैंकों को अब इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे यदि चाहें तो 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की कार्यशील पूंजी वाले मामलों में नकदी ऋण अंश को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर या ऋण अंश को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर कार्यशील पूंजी के संघटन को बदल सकते हैं। अलबत्ता, बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे ऐसे निर्णयों के कारण अपने नकदी और चलनिधि प्रबंध पर पड़ने वाले प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यशील पूंजी वित्त के दोनों घटकों का उपयुक्त प्रकार मूल्य निश्चित करेंगे।

ऋण-व्यवस्था के लिए दिशा-निर्देश

1. ऋण और कैश क्रेडिट : क) बैंकिंग प्रणाली से 10 करोड़ रुपए या अधिक का कार्यशील पूंजी ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं के मामले में ऋण अंश सामान्यतः 80 प्रतिशत होना चाहिए। तथापि बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि यदि वे चाहें तो नकदी ऋण अंश को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर या 'ऋण अंश' को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर कार्यशील पूंजी के संघटन को बदल सकें। बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे अपने नकदी और चलनिधि प्रबंध पर ऐसे निर्णयों के कारण पड़ने वाले प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यशील पूंजी वित्त के दोनों घटकों का उपयुक्त प्रकार से मूल्य निश्चित करें। ख) 10 करोड़ रुपए से कम का कार्यशील पूंजी ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं को बैंक नकदी ऋण अंश की तुलना में ऋण अंश पर कम ब्याज दर लगाकर प्रोत्साहन प्रदान करके उन्हें 'ऋण व्यवस्था' अपनाने के लिए राजी करें। ऐसे मामलों में बैंक अपने उधारकर्ता ग्राहकों से बातचीत करके 'ऋण अंश' का वास्तविक प्रतिशत तय कर सकते हैं। ग) चक्रीय और मौसमी प्रकृति के या स्वाभाविक रूप से ऐसी गतिविधियों में जहां उतार-चढ़ाव होता है, से संबंधित कुछ गतिविधियों के मामले में ऋण व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने पर उधारकर्ताओं को कठिनाई हो सकती है। बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कारोबार संबंधी उन गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें ऋण व्यवस्था से छूट दी जा सकती है।

2. तदर्थ ऋण सीमा : वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप, उधारकर्ता द्वारा वर्तमान सीमा का पूरी तरह उपयोग कर लेने/वर्तमान सीमा को पूरी तरह खर्च कर लेने के बाद ही, वित्त प्रदान करने वाला बैंक अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तदर्थ / अतिरिक्त ऋण देने पर विचार कर सकता है।

3. कार्यशील पूंजी में हिस्सेदारी : जिन मामलों में सहायता-संघ का निर्माण किया गया हो उनमें नकदी ऋण और ऋण अंश में हिस्सेदारी के लिए आधारभूत नियम बनाए जा सकते हैं लेकिन इस मामले में ऋण तथा कैश क्रेडिट घटक के बीच दो भागों में विभाजित किए जाने संबंधी दिशानिर्देश लागू होंगे। अलग-अलग बैंक के हिस्से के स्तर के संबंध में एकल उधारकर्ता/समूह को ऋण दिए जाने संबंधी मानदंड लागू रहेंगे।

4. ब्याज दर : 'ऋण अंश' और 'नकदी ऋण अंश' के लिए अलग-अलग मूल उधार दर तथा उससे ऊपर अंतर की दर निश्चित करने के मामले में बैंकों को छूट होगी।

5. ऋण की अवधि : कार्यशील पूंजी के प्रयोजन हेतु दिए जाने वाले ऋण की न्यूनतम अवधि बैंक उधारकर्ताओं से विचार-विमर्श करके निश्चित कर सकते हैं। उधारकर्ता की आवश्यकता के अनुसार बैंक ऋण को प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग परिपक्वता आधारों पर विभाजित करने का निर्णय ले सकते हैं तथा उसके रोल ओवर की भी अनुमति दे सकते हैं।

6. जमानत : आवश्यकता पड़ने पर बैंक प्रतिभूति प्रभार में हिस्सेदारी, प्रलेखीकरण इत्यादि के मामले में अन्य भागीदार बैंकों के साथ विचार-विमर्श करके स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

7. निर्यात ऋण : निर्यात-ऋण सीमाओं (पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर) को अलग करने के बाद, कार्यशील पूंजी सीमा को ऋण तथा नकदी ऋण अंश में विभाजित किया जाएगा। निर्यात ऋण सीमा के मामले में जिस प्रकार अभी तक अनुमति दी जाती रही है, उसी प्रकार बाद में भी अनुमति दी जाती रहेगी।

8. बिल : देशी बिक्री संबंधी बिल-सीमा पूरी तरह से 'ऋण अंश' के अंतर्गत ही होगी। बिल की सीमा के अंतर्गत तीसरे पक्ष (मुख्यालय से बाहर) के चेकों/बैंक ड्राफ्टों के क्रय के लिए सीमाएँ भी शामिल हैं। बैंकों को इस मामले में पूर्णतः आश्वस्त हो लेना चाहिए कि बिल संबंधी सीमा का दुरुपयोग न हो।

9. नवीकरण : उधारकर्ता के अनुरोध पर ऋण अंश का नवीकरण/रोलओवर किया जा सकता है।

10. अल्पावधिक अतिरिक्त निधि के निवेश : बैंक अपने विवेक से उधारकर्ताओं को इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि वे अपनी अल्पावधिक/अस्थायी अतिरिक्त निधि का निवेश अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों, जैसे वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्रों और बैंकों के पास मीयादी जमा के रूप में कर सकें।

11. प्रयोज्यता : ऋण व्यवस्था मानक या अवमानक के रूप में वर्गीकृत उधार खातों पर लागू होगी।

(स्रोतः क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के नवंबर 2001 अंक से साभार)

पुरस्कृत निबंध

बैंकिंग उद्योग में अनर्जक परिसंपत्तियों (एन पी ए) की समस्या*

श्री राजेन्द्र सिंह
उप मुख्य अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय
तीसरी मंज़िल, नवचेतना केंद्र
10, अशोक मार्ग
लखनऊ 226 001(उत्तर प्रदेश)

आज बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अनर्जक परिसंपत्तियाँ (एन पी ए) है । एन पी ए बैंकों की लाभप्रदता को ही प्रभावित नहीं कर रहे हैं अपितु स्टाफ को मनोवैज्ञानिक रूप से भी क्षति पहुंचा रहे हैं । एन पी ए ने बैंकरों को तनावग्रस्त कर दिया है ।

वर्ष 1997 में जब देश को समष्टिगत अर्थव्यवस्था का संकट झेलना पड़ा तब भारत सरकार ने अपना ध्यान बैंकिंग प्रणाली के गहराते संकट की ओर मोड़ा । इसी बीच कई बैंकों ने घाटे दर्ज किए और उनकी पूंजी में भारी कमी आई । एन पी ए में भारी वृद्धि देखी गयी ।

इन सब समस्याओं का हल ढूंढने और सामयिक निदान प्रस्तावित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गर्वनर श्री एम. नरसिम्हम की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया ।

नरसिम्हम समिति (प्रथम) की सिफारिशों को 1992 में लागू किया गया । इन संस्तुतियों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण मानदण्ड जैसे आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण एवं पूंजी पर्याप्तता नियम लागू किए गए । इस तरह इस समिति ने भारतीय बैंकिंग को अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के समकक्ष लाने के लिए एक मार्गदर्शिका पेश की । इन सुधारों के फलस्वरूप बैंकों के दृष्टिकोण और अभिगम में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । यह परिवर्तन कोई आसान नहीं था । शुरू में बैंकों पर दबाव काफी बढ़ा । तुलन पत्र में घाटे दिखाए गए । फिर भी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इन मानदण्डों को अपनाने से और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में कार्य करने से बैंकों की क्षमता में सुधार देखा जा रहा है जो एक शुभ संकेत है ।

विवेकपूर्ण मानदण्ड लागू होने के पहले बैंक कर्मचारी ऋणों की गुणवत्ता के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थे । इसका कारण था कि उस समय एन पी ए के लिए उनका उत्तरदायित्व बहुत कम था और लेखा प्रणाली ऐसी थी जिसमें हानि छिपी रहती थी । ऋणों पर उपार्जित ब्याज वसूल किए बिना ही आस्तियों में कल्पित ब्याज (नोशनल आय) मानकर दर्शा दिया जाता था । नई लेखा प्रणाली लागू होने से ब्याज को आय में तब तक शामिल नहीं किया जा सकता जब तक उसकी वसूली न हो जाए । आज की बदली हुई परिस्थिति में जब एक खाता ऋण देने के छः माह बाद ही एन पी ए हो जाता है तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाता है ।

आय निर्धारण

एन पी ए खातों में आय का निर्धारण तब तक उपार्जित आधार पर नहीं करना चाहिए जब तक कि वास्तविक रूप में यह आय खाते में न आ जाए ।

आस्ति वर्गीकरण

एक आस्ति को एन पी ए तब कहा जाता है जहां ब्याज या मूल रकम की किस्तों की चुकौती या दोनों दो त्रैमास से अधिक समय में और देय तिथि से 30 दिनों के बाद विगत देय हो गया हो ।

अवमानक

एक ऋण को अवमानक तब कहा जाता है जब यह दो वर्षों तक एन पी ए रहता है ।

संदिग्ध

जब यह दो वर्षों से अधिक एन पी ए रहता है तो इसे

* भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अंतर-बैंक निबंध प्रतियोगिता, वर्ष 2000-01 में क्षेत्र 'क' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त निबंध ।

संदिग्ध श्रेणी में डाला जाता है । अब नए मानदण्ड के अनुसार इसे 18 महीने किया गया है । (मार्च 2001 से)

लोप

जब यह निश्चित हो जाता है कि अब इस खाते से वसूली की कोई गुंजाइश नही है ।

प्रावधानीकरण

आस्ति वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए लोप आस्तियों के लिए 100 प्रतिशत, संदिग्ध ऋणों में 100 प्रतिशत प्रतिभूति रहित अंश के लिए और 20 से 50 प्रतिशत प्रतिभूतियुक्त अंश के लिए । यह निर्भर करेगा कि संदिग्ध वर्ग में खाता कितने वर्ष रहा है । अवमानक वर्ग के ऋणों में 10 प्रतिशत सामान्य की दर से प्रावधानीकरण करना पड़ता है बैंक को उन ऋणों पर भी प्रावधानीकरण करना पड़ता है जो लघु ऋण हैं जहां बकाया राशि रु. 25000 या इससे कम है । यदि यह संभव नहीं है तो 15 प्रतिशत की दर से निष्पादक आस्तियों को शामिल करते हुए प्रावधानीकरण करना पड़ता है ।

तालिका 1

प्रावधानीकरण नियम

वर्ग	**प्रावधान**
अवमानक	10 प्रतिशत बकाया राशि पर
संदिग्ध डी-1	100 प्रतिशत प्रतिभूति रहित अंश के लिए + 20 प्रतिशत प्रतिभूति युक्त अंश के लिए
डी-2	100 प्रतिशत प्रतिभूति रहित अंश के लिए + 30 प्रतिशत प्रतिभूति युक्त अंश के लिए
डी-3	100 प्रतिशत प्रतिभूति रहित अंश के लिए + 50 प्रतिशत प्रतिभूति युक्त अंश के लिए
लोप	100 प्रतिशत बकाया राशि पर

भारत के बैंकों में एन पी ए की स्थिति

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वर्ष 1997-98 में रु. 45653 करोड़ के एन पी ए थे जो कुल ऋणों का 16 प्रतिशत है । अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लें तो समग्र रूप में एन पी ए 1992-1993 के रु. 39253 करोड़ से 1997-98 में रु. 45653 करोड़ पर पहुंच गया । मार्च 2000 में एन पी ए की राशि को रु. 53246.41 रिपोर्ट किया जा रहा है जो कुल अग्रिमों का 14.01 प्रतिशत है ।

एन पी ए और लघु ऋण

आम लोगों में यह धारणा है कि छोटे उधारकर्ताओं (रु. 25000 तक), जो प्राथमिकता क्षेत्र के हैं, के विशेषकर निर्देशित योजनाओं के अन्तर्गत एन पी ए अधिक हैं । परन्तु यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है । रु. 25000 तक के लघु उधारकर्ता जिन्हें कमजोर वर्ग भी कहा जाता है कुल एन पी ए के मात्र 2.7 प्रतिशत है ।

एन पी ए और ऋणों का आकार

अगर हम ऋणों के आकार में एन पी ए की राशि और उनका प्रतिशत देखें तो रु. 25000 से कम ऋणों में एन पी ए रु. 5143 करोड़ है जो मात्र 9.95 प्रतिशत है । रु. 25000 से रु. 10 लाख तक एन पी ए रु. 10623 करोड़ है जो 20.54 प्रतिशत है । यदि हम रु. 10 लाख तक के ऋणों को ले लें तो यहां कुल एन पी ए रु. 15766 करोड़ है जो 30.45 प्रतिशत है, अर्थात 60 प्रतिशत से अधिक एन पी ए बड़े उधारकर्ताओं में हैं । एन पी ए की मूल समस्या बड़े ऋणों से है और इसको कम करने की जो भी योजनाएं बनाई जाएं उन्हें इस तथ्य का ध्यान रखना होगा ।

एन पी ए और प्राथमिकता क्षेत्र

मार्च, 1998 के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि एन पी ए में प्राथमिकता क्षेत्र का प्रतिशत 46.4 है । चूंकि कुल ऋणों में प्राथमिकता क्षेत्र की भागीदारी 30.32 प्रतिशत है अतएव इस तुलना में यह अधिक है । यहां एक और बात है कि निर्देशित ऋण प्रवाह, राज्य पुरोनिधानित ऋण, योजनाओं में प्रतिभूतियों का न लिया जाना, पर्यवेक्षण, अनुवर्तन और अनुश्रवण में शिथिलता आदि । इसके साथ ही खातों की संख्या में वृद्धि और वसूली के लिए अप्रभावकारी कानूनी उपाय आदि । नरसिम्हम समिति ने भी इस बात की संस्तुति की है कि प्राथमिकता क्षेत्र में एन पी ए बढ़ने का कारण निदेशित ऋण प्रवाह है ।

एन पी ए और उधारकर्ताओं की बढ़ती अनुशासनहीनता

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अभी हाल में बैंकों के शीर्ष कार्यपालकों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार इरादतन चूक करने वालों से सख्ती से निपटेगी । इससे पहले भी भारतीय बैंक संघ के एक समारोह में उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे इरादतन चूक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ।

अब प्रश्न उठता है कि बैंक इन चूककर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दायर करने के अलावा क्या कार्रवाई कर सकते हैं ? उत्तर स्पष्ट है कि बैंकों के पास वसूली का कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है । उनको केवल समझाने-बुझाने का ही अधिकार है । यद्यपि समझाने-बुझाने से इरादतन चूककर्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

मुकदमा दायर करने से इन चूककर्ताओं को पर्याप्त समय मिल जाता है जो इन्हें सबसे बड़ा बल प्रदान करता है । यदि ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की बात अलग कर दें तो ऐसे उधारकर्ता बैंकों को चुनौती देते हैं और मुकदमा दायर करने के लिए उकसाते भी हैं, क्योंकि इनका मकसद मामले को लम्बा खींचना है और बाद में कोर्ट से बाहर सुलह-समझौता करने का । इन प्रयत्नों में वे काफी सफल भी हो रहे हैं ।

क्या एन पी ए केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समस्या है ?

कुछ लोगों का विचार है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एन पी ए इसलिए अधिक है क्योंकि वे भारत सरकार के उपक्रम हैं । परन्तु उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि निजी क्षेत्र के बैंकों में भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है । निजी क्षेत्र के बैंकों का मार्च 1996 में एन पी ए रु. 1474.34 करोड़ था जो मार्च 1998 में रु. 2794.13 करोड़ हो गया । सकल ऋणों के प्रतिशत के तौर पर यह 7.99 प्रतिशत (मार्च 1996) और 10.92 प्रतिशत (मार्च 1998) था । इसमें सत्रह पुराने ऐसे बैंक थे जिनमें सकल एन पी ए मार्च 1998 में 10 प्रतिशत से अधिक था ।

एक और चौकाने वाली बात है कि निजी क्षेत्र के नए बैंकों में भी एन पी ए की स्थिति कोई संतोषजनक नहीं है । मार्च 1997 में एन पी ए की राशि रु. 218.90 करोड़ (2.30 प्रतिशत) थी जो मार्च 1998 में बढ़कर रु. 405.63 करोड़ (3.21 प्रतिशत) हो गई । अतएव नए बैंक भी एन पी ए की चपेट में हैं ।

ज्ञातव्य रहे कि निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नहीं होतीं और प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों का बोझ भी इन पर नहीं होता । फिर भी एन पी ए का बढ़ना इस बात का संकेत करता है कि बड़े उधारकर्ता ही एन पी ए के लिए जिम्मेदार हैं और जीर्ण-शीर्ण विधिक व्यवस्था का ये लोग लाभ उठा रहे हैं ।

एन पी ए की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति

यदि हम अपने देश की तुलना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर करें तो स्थिति इण्डोनेशिया, चीन, थाईलैण्ड, कोरिया, मलेशिया, फिलीपीन्स से तो अच्छी है परन्तु जापान, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग की स्थिति से नहीं । हां इस बात से यह संकेत मिलता है कि हमारे देश में एन पी ए की स्थिति में सुधार की अपार संभावनायें हैं । परन्तु यह तभी संभव है जब हम विधिक व्यवस्था में सुधार कर इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष करें ।

तालिका एशिया के बैंकों में एन पी ए की स्थिति

देश	रेंज (%)
इण्डोनेशिया	50-70
चीन	25-40
थाईलैण्ड	35
कोरिया	25-30
मलेशिया	20-25
फिलीपीन्स	15-20
भारत	17
जापान	15
ताइवान	15
सिंगापुर	5-10
हांग कांग	6

स्रोत : मैकिंजी स्टडी

एशिया स्थित बैंकों की रेटिंग प्रणाली में स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर ने भारत, चीन और इण्डोनेशिया को उच्च-जोखिम वर्ग में शामिल किया है । एजेन्सी के अनुसार सिंगापुर सबसे कम जोखिम वर्ग में है । सिंगापुर की विधिक व्यवस्था सबसे सफल है । सिंगापुर में सम्पत्ति की कुर्की 30 दिनों के भीतर हो जाती है जब कि भारत में इस बात की कोई गारण्टी नहीं है कि यह 30 वर्षों में पूरी हो जाये । इस पर बहस की आवश्यकता है ।

क्या भारतीय बैंकों में एन पी ए खतरे की घंटी है ?

भारतीय बैंकों में एन पी ए घटाने का काफी जोर-शोर है । यहां एक बात नोट करने लायक है कि हमारे देश में एन पी ए का अनुपात ऋणों से निकाला जाता है आस्तियों से नहीं । जो अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड है वह आस्तियों से जुड़ा है । हमारे देश में ऋण कुल आस्तियों का लगभग 50 प्रतिशत है । जो अवशेष

राशि है वह कैश रिजर्व अनुपात (जो वर्तमान में 8 से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत) कर दिया गया है। सांविधिक तरलता अनुपात और अन्य आस्तियां 38 प्रतिशत हैं। इस तरह 46.5 प्रतिशत आस्तियां जोखिम से परे हैं।

यदि हम कुल आस्तियों को आधार मानकर एन पी ए का अनुपात देखते हैं तो भारतीय बैंकों में मात्र 2.9 प्रतिशत है जबकि कुल ऋणों से अनुपात लगाने पर 7.5 प्रतिशत आता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने से भारत में बैंकों का एन पी ए प्रतिशत अधिक है फिर भी यह खतरे की कोई घंटी नहीं है। अन्य देशों में बैंक वसूली के लिए विधिक व्यवस्था सरल, सहज, सस्ती और कम समय लेने वाली है, इसका भी अनुसरण करके विधिक व्यवस्था में आमूल-चूल सुधार की आवश्यकता है।

क्या एन पी ए की जगह एन आर ए की अवधारणा लागू होनी चाहिए ?

एक वरिष्ठ बैंकर डॉ. बी. रामचन्द्र राव (दि बैंकर, नवम्बर 1997) के अनुसार एन पी ए विदेशों से उधार ली गयी अवधारणा है। भारत जैसे विकासशील देश जहां जन बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था है, जहां बैंक लोगों को उत्पादन और रोजगार बढ़ाने में योगदान कर रहे हों, जहां लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने के लिए बैंक सतत प्रयत्न कर रहे हों वहां एन पी ए की बात करना युक्तिसंगत नहीं है। उनका विचार है कि एन पी ए के बढ़ते दबाव से बैंकों के जमा संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और बैंकर अपना आत्मविश्वास भी खोते जा रहे हैं। इनका सुझाव है कि एन पी ए की जगह एन आर ए (नान रिकवरेबल एसेट-वसूल न होने वाली आस्तियां) होना चाहिए।

क्या बैंकों को प्रतिभूतियों को अधिकार में लेने और बेचने का वैधानिक अधिकार मिलना चाहिए ?

यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। इसका हल तलाशने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्ध्यारुजिना कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने संस्तुति दी है कि बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के प्रतिभूतियों को अधिकार में लेने और इन्हें बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि जहां उधारकर्ता प्रतिभूतियों को बैंक के सुपुर्द न करें वहां इसे अपराध घोषित किया जाए।

एन पी ए का बैंक कर्मियों पर दुष्प्रभाव

आज एन पी ए बैंकों की सबसे बड़ी समस्या है। बैंक सुधार का सबसे बड़ा पहलू एन पी ए की वसूली और उसको न्यूनतम स्तर पर रखने का है। इससे ग्रास रूट लेवल पर कार्य करने वाले बैंकरों में एक हड़कम्प सा मच गया है। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव शाखा प्रबन्धकों पर पड़ा है जिनको एन पी ए होने की स्थिति में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कतिपय मामलों में यह देखा गया है कि एन पी ए होने के कारणों का पूरा विश्लेषण किए बिना शाखा प्रबन्धकों को उत्तरदायी ठहराते हुए इनके खिलाफ बैंक के सतर्कता विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इससे शाखा प्रबन्धकों का मनोबल काफी गिर जाता है। ये ऋण देने के प्रति उदासीन हो जाते हैं और अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना बन्द कर देते हैं। यह एक बड़ा गंभीर मामला है।

एन पी ए के आन्तरिक कारण

(i) कमजोर प्रबन्धन गुणवत्ता :- बहुत से एन पी ए खातों को देखने से पता चलता है कि उधारकर्ताओं में प्रबन्धकीय गुणवत्ता से खाते एन पी ए हो जाते हैं। परन्तु उदाहरण ऐसे भी हैं जहां प्रबन्धकीय निपुणता तो है लेकिन चुकौती की संस्कृति नहीं है। ऐसे लोग किसी न किसी बहाने की तलाश में रहते हैं जिससे चुनौती से बचा जा सके। जहां तक प्रबन्धकीय कुशलता की बात है, यह अतिरिक्त प्रयास से संभव है लेकिन "चुकौती की अनिच्छा" एक परेशानी का कारण है। चूंकि चुकौती का वातावरण पहले ही दूषित हो चुका है अतएव ऐसे उधारकर्ताओं को अपने काम में और शक्ति मिलती है। इसके लिए काफी हद तक विधिक प्रणाली जिम्मेदार है।

(ii) गलत प्रोजेक्ट का निर्णय :- बहुत से प्रमोटर्स या तो अनुभवहीन होते हैं या थोड़ा बहुत ही अनुभव रखते हैं। अनुभव की कमी से इनकी योजनायें अस्त-व्यस्त हो जाती हैं। कहावत "नीम हकीम खतरे जान" पूरी तरह चरितार्थ होती है।

(iii) उत्पाद की मांग का गलत निर्धारण :- एक उद्यमी का आशावादी होना स्वाभाविक है। लेकिन अति उत्साह में मांग का गलत निर्धारण करना यूनिट के निष्पादन को प्रभावित करता है। एक वरिष्ठ बैंकर के अनुसार "ऋणकर्ता की आशावादिता और बाजार में संबंध नहीं है।"

(iv) व्यवसाय के अन्दर और बाहर कोष का विचलन :- भारतीय रिज़र्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार व्यावसायिक बैंकों में कोष का विचलन अधिकतर व्यवसाय के विस्तार, विविधता, नए प्रोजेक्ट लेने और सहयोगी यूनिटों को सहायता और बढ़ावा देने में किया जाता है। कहीं-कहीं कोष का विचलन वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चूंकि विचलन किसी पूर्व नियोजित योजना और उपयुक्त समय पर आधारित नहीं होता अतएव यह असफल हो जाता है। और यह देखा गया है कि लम्बी अवधि के प्रयोजन में अल्पकालीन स्रोतों का उपयोग कर लिया जाता है।

बाह्य विचलन में प्रमोटर्स बैंक से प्राप्त ऋणों को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हस्तान्तरित कर देते हैं। प्रमोटर्स इसका लाभ उठाते हैं और तरह-तरह की छूट/रियायतों की मांग करते हैं। संकट में फंस जाता है बैंकर।

(V) प्रमोटर्स में आपसी विवाद एवं पारिवारिक विभाजन :- साझेदारों/संचालक गणों में आपसी गलतफहमी हो जाने से मानक खाते भी अवमानक हो जाते हैं। यद्यपि इन विवादों के पीछे कोई बड़ा कारण नहीं होता फिर भी अहम् के टकराव के कारण व्यवसाय में फूट पड़ जाती है जो यूनिट को बन्दी के कगार पर लाकर खड़ा कर देती है।

यहां बैंकर की भूमिका बड़ी अहम् होती है। एक बैंकर को चौकस और जिज्ञासु होना चाहिए जिससे इन समस्याओं को प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान लें और तदनुसार कार्रवाई करें।

बाह्य कारण

(i) ऋणी द्वारा मार्जिन लगाने में अयोग्यता।

(ii) स्वीकार्य राशि प्राप्त करने में विलम्ब। उदाहरण के तौर पर लघु उद्योग क्षेत्रों को बड़ी औद्योगिक इकाइयों, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान विलम्ब से मिलता है।

(iii) विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से आयातक/निर्यातक पर प्रतिकूल प्रभाव।

(iv) आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव से घरेलू उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रतिस्पर्धा से निपटने के कारण एन पी ए में वृद्धि हो रही है।

(v) एन पी ए का स्तर 'वास्तविक क्षेत्र' के निष्पादन को परिलक्षित करता है। यदि औद्योगिक प्रगति धीमी होगी और पूंजी बाजार कमजोर होगा तो एन पी ए का स्तर बढ़ेगा।

बैंक से सम्बन्धित कारण

(अ) आन्तरिक कारण

(1) ऋणकर्ता का चुनाव

एक कहावत है कि "यदि एक प्रथम श्रेणी का प्रोजेक्ट द्वितीय श्रेणी के प्रमोटर को दे दिया जाए तो असफलता निश्चित है।" किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता उसके पीछे लगे व्यक्ति पर निर्भर करती है। इसमें बैंकर को काफी सतर्क होने की आवश्यकता है।

(2) ऋण मूल्यांकन में गुणवत्ता का अभाव

बैंकर ऋणकर्ता के दबाव, पर्याप्त समय का अभाव, प्रस्तावित क्रिया-कलापों के तकनीकी औचित्य और आर्थिक व्यवहार्यता न लगा पाने के कारण खाता एन पी ए हो जाता है।

बड़े खातों में एन पी ए के अध्ययन के दौरान पाया कि जब भी कोई नयी योजना लेकर कोई ऋणकर्ता आता है तो अनुभव के अभाव में ऐसे प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाते और खाता एन पी ए हो जाता है। यह भी बात सामने आई है कि उधार देने के बुनियादी सिद्धान्तों को जब तिलांजलि दे दी जाती है तब भी खाते एन पी ए हो जाते हैं।

अध्ययन के दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि जिन ऋणकर्ताओं की मंशा संदेहास्पद होती है वे ऋणों की चुकौती अवधि को कम से कम चाहते हैं और ऋण लेते समय आश्वासन देते हैं कि वे ऋण की चुकौती जल्द से जल्द कर देंगे परन्तु वास्तविकता कुछ और होती है, ऐसे खाते आगे चलकर एन पी ए हो जाते हैं।

(3) विलम्ब से और अपर्याप्त ऋण की आपूर्ति

यह एक व्यावहारिक सत्य है कि बैंकर कभी-कभी अति व्यस्तता और कार्य के दबाव के कारण ऋणकर्ताओं को समय से वित्तपोषित नहीं कर पाते। वे ऋणकर्ता को औपचारिकतायें पूरा करने के नाम पर बार-बार दौड़ाते हैं। ऋणकर्ता बार-बार बैंक आता है परन्तु बैंकर ऋण पूर्व निरीक्षण नहीं करता। जब ऋणकर्ता दौड़-दौड़ कर थक जाता है तो मन ही मन दुखी होकर

यह विचार बना लेता है 'आज मुझे दौड़ा रहे हो, कल मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा'। समय से ऋण न मिलने पर ऋणकर्ता ग्राहकों को दी गयी वचनबद्धता पूरी नहीं कर पाते जिससे व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और खाता एन पी ए हो जाता है।

प्रोजेक्ट कास्ट के सापेक्ष ऋण की राशि पर्याप्त न होने से प्रोजेक्ट लग नहीं पाते जिससे ऋण का दुरूपयोग होना निश्चित हो जाता है और खाता एन पी ए हो जाता है।

कतिपय बैंकर बैंक के हित को ध्यान में रखते हुए ऋण की संस्तुति कम करते हैं जो आगे चलकर बैंक के अहित में बदल जाता है। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि उत्पादन ही नहीं होगा तो ऋण की चुकौती कहां से होगी।

(4) ऋणकर्ता की आवश्यकताओं के प्रति उदासीनता

बैंकरों को ऋणी की यथार्थ आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इसमें व्यावहारिक कठिनाई नियमों के कडाई से पालन करने के कारण होती है। जबकि बैंकर को वस्तुस्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और प्रोजेक्ट की सफलता के लिए लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि इसी में दोनों का हित है।

(5) ऋण पूर्व स्वीकृति एवं ऋण पश्चात स्वीकृति का कमजोर दस्तावेज

ऋण पूर्व स्वीकृति एवं ऋण पश्चात स्वीकृति का लेखा-जोखा रखना चाहिए। आवश्यक कागजात उपलब्ध न होने से कुछ ऋणकर्ता इसका फायदा उठाकर खाते को एन पी ए करार दे देते हैं। अनुशासनहीन ऋणकर्ता तुलन पत्र नहीं देते हैं। कभी-कभी वे दूसरे बैंक के बकायादार होते हुए भी तथ्य को छुपा लेते हैं। कभी-कभी ऋणकर्ता आडिटेड तुलन पत्र न देकर भी अतिरिक्त ऋण सुविधा प्राप्त कर लेते हैं।

(6) बैंकरों का उत्साही रवैया

क्रियाशीलता एवं प्रतिस्पर्धात्मक रवैये से ओत-प्रोत कभी-कभी बैंकर सारे नियम-कानून ताक में रखकर ऋण देते हैं। इन असावधानियों के कारण खाते एन पी ए हो जाते हैं। यहां आवश्यकतानुसार ऋण की उपलब्धता एवं प्रोजेक्ट की आर्थिक व्यवहार्यता पर ध्यान नहीं दिया जाता। कभी-कभी प्रदत्त अधिकारों का दुरूपयोग भी होता है।

(7) बाजार सूचना और पूर्व चेतावनी की तरफ ध्यान न देना

ऋणकर्ता के बारे में बाजार से सूचना प्राप्त करना सबसे अच्छा स्रोत है। यदि समय रहते बाजार सूचना पर चौकसी बरती जाये तो खाते एन पी ए होने से बचाए जा सकते हैं। ज्ञातव्य रहे कि कोई भी खाता रातों-रात एन पी ए नहीं होता। एन पी ए होने से पहले ऋणकर्ता के क्रिया-कलापों से काफी संकेत मिलते हैं जिन्हें बड़ी सावधानी से बैंकों को समझना चाहिए।

बाह्य कारण

(1) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण और बिक्री के अधिकार न होना

एक इरादतन चूक करने वाले ऋणकर्ता के आधिपत्य से प्रतिभूतियों को छुड़ाना और उन्हें बिक्री करने का अधिकार बैंकों के पास नहीं है जबकि प्रादेशिक वित्तीय निगमों के पास यह अधिकार है। इस अधिकार से वंचित रहने के कारण बैंकर की स्थिति एक विकलांग की तरह है। एन पी ए बढ़ाने में यह सबसे बड़ा कारण है।

(2) चूककर्ता उन्मुख अप्रभावकारी विधिक प्रणाली

भारतीय रिज़र्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार मुकदमे 15-20 वर्ष से लम्बित पड़े हुए हैं और उनमें कोई भी प्रगति नहीं हुई है। रु. 1 करोड़ से अधिक मुकदमे (15 बैंकों में) जिनका अध्ययन किया गया उसमें केवल एक मामला ऐसा मिला जिसमें डिक्री निष्पादन हुआ और खाता बन्द हुआ। इससे विधिक प्रणाली की कमजोरी साफ नजर आती है।

(3) बाइफर पैकेज निर्धारण में विलम्ब और इसकी शर्तों का चूककर्ताओं द्वारा अनुपालन न करना

आजकल जान-बूझकर चूक करने वालों के लिए बाइफर एक वरदान हो गया है क्योंकि बाइफर में जब मामले दर्ज हो जाते हैं और जब तक उनका निपटारा नहीं हो जाता तब तक उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही नहीं हो सकती। इरादतन चूक करने वाले ऋणकर्ता इस प्रक्रिया का पूरी तरह दोहन करते हैं।

आजकल ऐसे ऋणकर्ता जान-बूझकर खाते को तोड़-मरोड़ कर बीमार औद्योगिक इकाई कम्पनीज अधिनियम/बाइफर के प्रावधानों के अन्तर्गत ला देते हैं जिससे बैंकों द्वारा वसूली की प्रक्रिया रूक जाती है।

(4) वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान न होना एवं समन्वय की कमी

कभी-कभी ऋणकर्ता पहले वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले लेते हैं, ऋण अतिदेय और फिर एन पी ए हो जाता है। फिर वे बैंकों के पास पहुंच जाते हैं और वित्तीय सुविधाएं हासिल कर लेते हैं।

वे कारण जो ऋणकर्ता एवं बैंक के नियंत्रण के बाहर हैं इस प्रकार हैं-

1. अर्थ व्यवस्था में मन्द गति एवं कुछ क्षेत्रों में मन्दी।
2. निराशाजनक पूंजी बाजार जिससे प्रोजेक्ट पूरा होने में, विस्तार में विलम्ब।
3. आयात/निर्यात एवं सीमा शुल्क की नीतियों में बार-बार परिवर्तन से औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव।
4. उत्पाद आरक्षण, लघु उद्योग इकाइयों के लिए मूल्य की प्राथमिकता, आयात शुल्क में वृद्धि, उच्च कैश प्रोत्साहन, ड्यूटी ड्रा बैक एवं कोटा प्रणाली का वापस लिया जाना।
5. प्रदूषण नियंत्रण योजना के अन्तर्गत एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अनेक औद्योगिक इकाइयों का बन्द हो जाना।
6. देश के विभिन्न कोने में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति जिससे व्यावसायिक और औद्योगिक कारोबार में रूकावट पड़ी है।
7. कुछ राज्यों द्वारा ऋण राहत योजना लागू करने से आने वाले वर्षो में इसका प्रभाव।
8. ऊर्जा, सड़क, परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं, कच्चा माल, तेल, विपणन एवं तकनीकी सहायता की कमी।
9. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदान की अस्वीकृति/विलम्ब से स्वीकृति जिससे प्रोजेक्ट के प्रारम्भ होने में कठिनाई।
10. बाइफर/ऋण वसूली न्यायाधिकरण का अप्रभावकारी कार्य।
11. प्राकृतिक प्रकोप - बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूचाल, समुद्री तूफान, तूफानी हवायें जो चुकौती योजना को अनिश्चित बना देते हैं।

इरादतन चूक

यह बैंकों के लिए एक असाधारण स्थिति है। ऋणकर्ता को पर्याप्त आय भी मिल रही है, आधिक्य भी उपलब्ध है परन्तु इरादतन बैंक का बकाया अदा न करके अन्य प्रयोजनों में व्यय करता है।

इरादतन चूक करने के कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत हैं :-

- साहूकार, मित्र और सम्बन्धियों को भुगतान
- अचल सम्पत्ति और बहुमूल्य आभूषणों की खरीद
- उपभोक्ता टिकाऊ सामान जैसे कार, स्कूटर, टेलीवीजन, एयरकण्डीशनर आदि की खरीद
- बहन/पुत्री की शादी में व्यय
- पुत्र/पुत्रियों की व्यावसायिक शिक्षा हेतु व्यय

ऐसे ऋणकर्ता ऋण लेने के पश्चात व्यवसाय को अच्छी तरह चलाते हैं। समय से किस्तों की चुकौती भी करते हैं और बैंकर का विश्वास प्राप्त करते हैं परन्तु कुछ ही महीनों बाद व्यवसाय बन्द कर देते हैं, चल सम्पत्ति या तो बेच देते हैं या दूसरी जगह ले जाते हैं। इसकी कोई सूचना वे बैंक को नहीं देते।

ये अड़ियल और चूक करने वाले ऋणकर्ता अपने प्रभाव और चालबाजी से अन्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह सार्वजनिक धन का भरपूर दुरूपयोग करते हैं। इन अतिदेय ऋणों को नियमित करने या पूरी तरह चुकौती करने में ऐसे ऋणकर्ता अनुचित छूट भी ले लेते हैं। ये आगे चलकर एकमुश्त समझौता/कोर्ट से बाहर समझौता भी करते हैं।

इरादतन चूक करने का कारण

अब प्रश्न उठता है कि इरादतन चूक करने वालों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है ? इसका सबसे बड़ा कारण है वसूली वातावरण का खराब होना। इस वातावरण को खराब करने में ऋण माफी योजना ने आग में घी की तरह काम किया है। वोट बैंक की राजनीति ने इसे समय-समय पर चुनावी मुद्दा भी बना दिया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋणकर्ता चाहे बड़ा हो या छोटा हो सभी इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि चुनाव आने पर बैंक के बकाया की माफी की घोषणा की जायेगी। ऐसी परिस्थिति ग्रामीण इलाकों में काफी व्यापक है। लेखक ने एक सर्वेक्षण के दौरान पाया कि जहां कहीं प्राकृतिक प्रकोप होता है वहां सारे कृषक चाहे वे प्रभावित हुए हों या न हों ऋण माफी और छूट की मांग उठाते हैं। स्थानीय राजनैतिक लोग इसका समर्थन कर शीर्ष नेताओं से इसकी पैरवी करवाते हैं। इससे जो चुकौती करना भी चाहते हैं वे नहीं करते।

उत्तम चुकौती के लिए केवल आमदनी का आकार ही पर्याप्त नहीं है परन्तु ऋण चुकौती की इच्छा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इरादतन चूक करने वाले लोग कानूनी कार्यवाही की परवाह नहीं करते।

इरादतन चूक करने वाले ऋणकर्ताओं के बारे में सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उन उधारकर्ताओं के बारे में प्रत्येक तिमाही में विवरण प्रस्तुत करने को कहा है जिनकी बकाया राशि रु. 25 लाख या अधिक है। यह निर्देश 1 अप्रैल 1999 से लागू हो गया है।

भारतीय बैंक संघ ने एक ऋण सूचना ब्यूरो बनाने की योजना पेश की है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इरादतन चूक करने वालों की उधार सीमा में वृद्धि और नवीनीकरण के लिए केवल सम्बन्धित बैंक बोर्ड ही अधिकृत है। यह प्रत्येक खाते के गुण-दोष के आधार पर ही निर्भर करता है।

इरादतन चूक क्या है ?

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार इरादतन चूक वह है जहां पर्याप्त कैश फ्लो है, निवल संपत्ति अच्छी है फिर भी ऋण की चुकौती नहीं हो रही है।

इरादतन चूक करने वाले लोग बड़े श्रेणी के उधारकर्ताओं में भी हैं, मध्यम श्रेणी में भी हैं और लघु श्रेणी में हैं। इसी तरह मेट्रोपोलिटन, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इरादतन चूक करने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्र के उधारकर्ताओं में इरादतन चूक करने वालों का प्रतिशत कम है। यहां ऋण पर्यवेक्षण और अनुश्रवण से इरादतन चूककर्ताओं से भी वसूली हो जाती है। परन्तु यहां निरन्तर व्यक्तिगत सम्पर्क और परस्पर संवाद जरूरी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के दिमाग में एक गलत धारणा का जन्म लेना है कि "यह तो सब सरकार का पैसा है और इसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है।" इसी तरह मेट्रोपोलिटन और शहरी क्षेत्रों में लोगों का विचार है "हम मुकदमा लड़ लेंगे, 15-20 वर्ष तो मुकदमा चलेगा ही, उसके बाद देख लेंगे क्या होता है ?"

"आज ऋण वापस करो, कल फिर ले लो"

श्री सी. हरि. विट्ठल राव ने, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सेवानिवृत्त उप महा प्रबंधक हैं, दक्षिणी गुजरात के जोन-प्रथम से सम्बन्धित शाखाओं में उपरोक्त नारा बुलन्द किया। उन्होंने अध्ययन के दौरान पाया कि ग्रामीण इलाकों में किसान महाजनों के चंगुल में हैं। इसका सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक आपदायें हैं। जब एक उधारकर्ता चूककर्ता हो जाता है तो वह बैंक आने में झिझकता है। शायद इसलिए कि बैंक वसूल होने के बाद दोबारा कर्ज नहीं देगा। अतएव इन उधारकर्ताओं में एक चेतना जागृत करनी है कि "बैंक उनको ऋण उपलब्ध करायेगा जो आज पैसा जमा करेंगे।"

इस नवोन्मेषी कदम का प्रभाव यह रहा कि काफी संख्या में उधारकर्ता अपना पुराना कर्ज जमा करने आए। इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि जो कल के चूककर्ता थे वे आज के अच्छे उधारकर्ता बन गए। इस तरह बैंक को कोई भी रकम गवानी नहीं पड़ी और न ही बट्टे खाते में डालनी पड़ी। इस अभियान से लगभग रु. 10 करोड़ वसूल हुए।

एन पी ए प्रबन्धन

एन पी ए प्रबन्धन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख यहां किया जा रहा है :-

(1) एन पी ए के मूल कारणों का पता लगाना

एन पी ए खातों का गौर के साथ अध्ययन किया जाना चाहिए और उन सभी कारणों का पता लगाया जाना चाहिए जिससे खाते एन पी ए हो गये हैं और उचित निदान खोजना चाहिए। यदि इसका उपचार संभव नहीं है तो इसके पहले कि प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हो जाए वसूली की कार्रवाई की जानी चाहिए।

(2) ए बी सी विश्लेषण

एन पी ए खातों का ए बी सी विश्लेषण किया जाना चाहिए और राशि के अुनसार शीघ्र वसूली की संभावनाओं को देखते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए।

(3) नियत कालिक समीक्षा एवं रिर्पोटिंग

एन पी ए खातों की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए जिससे यह पता लगे कि सुधार हो रहा है या नहीं। यदि सुधार नहीं हो रहा है तो रणनीति में परिवर्तन कर देना चाहिए। बड़ी शाखाओं में 2 या 3 अधिकारियों को मिलाकर छोटी-छोटी समितियां बनाई जानी चाहिए जिससे एक अधिकारी की

जगह कई अधिकारी उसका अनुश्रवण कर सकें। इस समीक्षा को उच्च अधिकारियों के पास उनके विचार और मार्गदर्शन के लिए नियमित भेजना चाहिए।

(4) पुनर्वास/पुनर्निर्धारण

एन पी ए को निष्पादक आस्तियों में बदलने के लिए एक पुनर्वास/पुनर्निर्धारण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। औद्योगिक इकाइयां जो बीमार हो गयी हैं और जो बाइफर में पंजीकृत हैं उनके लिए एक संचालक एजेन्सी की नियुक्ति की जाती है।

बाइफर में दर्ज मामलों की समीक्षा करने से पता चलता है कि 3800 मामले सौंपे गये जिनमें केवल 8 प्रतिशत मामलों में ही पुनर्वास हो पाया जो एक असंतोषजनक प्रगति है। बाइफर की स्थापना वर्ष 1980 के दशक के अन्तिम वर्षों में हुई थी। इसका उद्‌देश्य था कि जब भी किसी कम्पनी की पूंजी में ह्रास होता है, यह ऋणदात्री संस्था के नियंत्रण में आ जाता है। इसका उद्‌देश्य समय रहते रुग्णता का पता लगाना है जिससे इसको पुनः कारोबार में लाया जा सके।

कभी-कभी उधार खातों में अनियमितता कैश प्रवाह समस्या से जुड़ी होती है। ऐसी स्थिति में किस्तों का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। पुनर्निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैश प्रवाह से इसका तालमेल हो।

(5) समझौता एवं एकमुश्त चुकौती

सुलह समझौता के दो तरीके हैं - निपटान परामर्श समिति जिसका गठन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सुझाए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर किया गया है और दूसरा परम्परागत समझौता योजना जिसे प्रत्येक बैंक ने कार्यान्वित किया है।

निपटान परामर्श समिति का गठन प्रत्येक नियंत्रक कार्यालयों में और केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर किया गया है। यह केवल प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ऋणों के लिए बनाई गयी है। इसमें केवल वे ही उधारकर्ता शामिल किए जाते हैं जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं।

सुलह समझौता के लिए उन्हीं खातों को चुना जाना चाहिए जहां निम्न शर्तें पूरी होती हैं :-

1. जहां उधारकर्ता बैंक की रकम की चुकौती करने में असमर्थ है और बैंक को भी वसूली कराने में अनेक सीमाएं हैं।
2. जहां प्रतिभूति ऋण की रकम को देखते हुए पर्याप्त नहीं है।
3. जहां लम्बी खिंचने वाली कानूनी कार्यवाही के दौरान प्रतिभूतियों के क्षीण होने की संभावना है।
4. उधारकर्ता ऋण चुकौती के प्रति संवेदनशील है परन्तु वह चुकौती करने में असमर्थ है।

यहां हर खाते की समीक्षा गुण-दोषों के आधार पर की जानी चाहिए क्योंकि हर खाते के लिए एक सामान्य दिशा निर्देश लागू नहीं किया जा सकता। यहां ध्यान देने की बात है कि परिस्थितियों के अनुसार अधिक से अधिक जो वसूल हो जाए उसे वसूल करने का प्रयास करना चाहिए। सुलह-समझौता में व्यक्तिगत विरोध एवं अहम् का कोई स्थान नहीं है फिर भी सुलह समझौता प्रारम्भ करने के पहले उधारकर्ता की योग्यता, चुकौती क्षमता और भुगतान स्रोत का आकलन करना आवश्यक है।

एन पी ए और निपटान परामर्श समितियां

निपटान परामर्श समितियों की समीक्षा से पता चलता है कि इनकी प्रगति धीमी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस पर असंतोष प्रकट किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई 1999 में बैंकों को निपटान परामर्श समितियां गठित करने के दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों के तहत कृषि, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र एवं लघु उद्योग में जो पुराने एन पी ए हैं उनकी वसूली सुलह समझौता के आधार पर होनी है।

एन पी ए और भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीनतम दिशा-निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभी हाल में ही एन पी ए वसूली के लिए नवीनतम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके फलस्वरूप रु.5 करोड़ और उससे अधिक के खाते इस योजना के अन्तर्गत आयेंगे। इसमें प्राथमिकता क्षेत्र, गैर प्राथमिकता और अन्य क्षेत्र के ऋण शामिल होंगे।

इस योजनान्तर्गत जो ऋण 31 मार्च 1997 को संदिग्ध या लोप आस्तियों में वर्गीकृत हैं, उनकी बही के बकाया राशि के आधार पर 100 प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करना है। अगर उस खाते में मुकदमा दायर किया गया है तो उसकी तिथि के आधार पर या उस तारीख से जिस दिन इसे संदिग्ध या लोप में प्रवर्गीकृत किया गया है। इन बकाया राशियों पर जमा करने की तिथि तक कोई ब्याज नहीं लगेगा। यह योजना 31 मार्च 2001 तक लागू रहेगी। जहां तक अवमानक आस्तियों

का सम्बन्ध है उनमें 31.3.97 से जमा करने की तिथि तक मूल उधार दर के हिसाब से ब्याज लगेगा ।

इस समझौता योजना से भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि संदिग्ध, लोप और अवमानक आस्तियों से कैसे निपटा जाए । इस योजना की सफलता के लिए बैंकरों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी और एक वसूली अभियान छेड़ना होगा । ऐसी योजनाओं से एन पी ए की राशि में कमी तो आ जायेगी परन्तु इनसे वसूली वातावरण सही होने में कोई सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि सुलह-समझौता बैंकों को दीर्घकालिक लाभ नहीं दे सकते । फिर भी वर्तमान परिदृश्य में सुलह-समझौते का कोई विकल्प नहीं है ।

कानूनी प्रक्रिया

जब बैंक द्वारा अपनाए गये सभी उपाय सफल नहीं होते तो विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है । लेकिन कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पहले यह देखना आवश्यक होगा कि इसमें व्यय कितना होगा, बकाया राशि कितनी है, प्रतिभूति से वसूली योग्य राशि क्या होगी और दस्तावेज प्रभावी है या नहीं इत्यादि । जब इन बिन्दुओं पर पूरी तरह संतुष्टि हो जाए तभी विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिए ।

बैंक वसूली के लिए हमारी विधिक प्रणाली लम्बी खिंचने वाली और खर्चीली है । यह अप्राप्य ऋणों के पीछे व्यय को और बढ़ाती है । वर्तमान विधिक मशीनरी बैंक वसूली के लिए उपयुक्त नहीं है । बैंक के बकाया वसूली के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती और इसमें एक लम्बी अवधि तक मामला खिंचता रहता है । कुछ राज्यों में कोर्ट फीस बहुत ज्यादा है, स्टाम्प शुल्क भी अधिक है, वकीलों की फीस भी ऊँची है । इसी तरह प्रासंगिक व्यय भी अधिक है । यह सब मिलाकर लगभग कुल बकाया राशि का 10-15 प्रतिशत इन मदों पर व्यय हो जाता है । उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि विधिक प्रक्रिया काफी लम्बी है और इसमें मानव शक्ति एवं पैसे का अपव्यय होता है । वसूली में समय का काफी महत्व है ।

कोर्ट में एक मामले के फैसले में औसत समय 4-7 वर्ष है । लेकिन व्यवहार में यह 10-15 वर्ष तक लेता है । इस अत्यधिक विलम्ब के लिए सिविल कोर्ट में ढेर सारे रूके हुए पिछले मामले हैं । इसी तरह से मामलों को अंकित करने, सम्मन जारी करने, उधारकर्ताओं द्वारा असंयोजन या दुस्संयोजन बिन्दुओं का गठन करना, मुकदमे के लिए सूचीबद्ध करना, बहस करना आदि जैसे रोजमर्रा के काम में भी काफी समय लगता है । इसी तरह रूटीन के तौर पर बार-बार केस स्थगित करने से समय का अपव्यय होता है । चूककर्ता मुकदमे को लम्बा खींचने एवं वर्तमान विधिक व्यवस्था में निहित बचाव के रास्ते का लाभ लेने के लिए सभी रास्ते अपनाता है ।

बैंक मुकदमों को न्यायालय द्वारा कोई प्राथमिकता नहीं मिलती और जब मामले का निर्णय होता है, तो प्रतिभूतियों के मूल्यन में इतना ह्रास हो जाता है कि वसूली नगण्य हो जाती है । बैंकों को अन्य वादकारियों की तरह एक लम्बे अर्से तक कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है । एक और अनुभव रहा है कि देश के विभिन्न न्यायालयों में एकरूपता नहीं है जिससे बैंकों को कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है ।

बैंक और डिक्री निष्पादन

आज बैंकों के पास डिक्री भरी पड़ी है फिर भी डिक्री का निष्पादन नहीं हो पा रहा है और बैंक का बकाया ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है । डिक्री निष्पादित न होने का सबसे बड़ा कारण है चूककर्ताओं/जमानतकर्ताओं की आस्तियों के बारे में सूचना का न होना । इन सूचनाओं के अभाव में डिक्री का निष्पादन नहीं हो पाता । बहुत से मामलों में उधारकर्ताओं/जमानतकर्ताओं के पते उपलब्ध नहीं है । बैंक के पास कोई ऐसी खोजबीन की व्यवस्था नहीं है जिससे वे डिक्री निष्पादन कर सकें ।

डिक्री का हस्तांतरण

डिक्री के निष्पादन हेतु सुझाव है कि प्रत्येक बैंक को एक नीलामकार की टीम रखनी चाहिए । बैंक को अपनी सभी डिक्रियों को इनके पक्ष में बिक्री/हस्तांतरित कर देना चाहिए । इन नीलामकारों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इसको पूर्ण मूल्य पर निष्पादित करेंगे । इसका यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि चूककर्ता को अधिकारों से वंचित रखा जाए । इन्हें किसी भी सक्षम अधिकारी के पास न्याय के लिए जाने का पूरा अधिकार होगा ।

डिक्री हस्तांतरण के नियम को उदारीकृत और आकर्षक बनाया जाना चाहिए । यद्यपि हमारे देश की नागरिक प्रक्रिया नियमावली में डिक्रियों के हस्तांतरण/समनुदेशन का प्रावधान है और नागरिक नियमावली के आदेश संख्या 21, नियम 16

के द्वारा समनुदेशित है। परन्तु अनुभव रहा है कि बैंक इन प्रावधानों का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

नरसिम्हम समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने एक अध्यादेश 24 जून 1993 को जारी किया था। इस अध्यादेश के बाद बैंक या वित्तीय संस्थाओं के लिए अधिसूचना 27.8.93 बनाया गया था जिसके फलस्वरूप बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के ऋणों की वसूली में तेजी लाने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरणों का गठन किया गया।

यद्यपि आठ वर्ष हो गये परन्तु इन न्यायाधिकरणों की प्रगति से बैंकरों में संतुष्टि नहीं है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 1999 को 21781 मामले, जिनकी बकाया राशि रु. 17921 करोड़ है, वसूली न्यायाधिकरणों को प्रस्तुत किये जा चुके हैं। इनमें से 3774 मामलों में फैसला हुआ है जो मात्र 17.3 प्रतिशत है और वसूली 10 प्रतिशत तक हुई है।

बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दायर मामलों में ऋणों की वसूली अधिनियम 51 वर्ष 1993 को आगे परिशोधित किया गया और एक अध्यादेश वर्ष 2000 को 19-1-2000 को प्रवर्तित किया गया। इस अध्यादेश से काफी कुछ आशाएं बंधी हैं और आशा की जाती है कि इसके अच्छे परिणाम सामने आयेंगे।

एन पी ए वसूली में राज्य सरकारों की भूमिका

तलवार कमेटी ने एक संस्तुति की थी जिसमें राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे ऐसे अधिनियम बनाये जिसके अन्तर्गत बैंक देयों की वसूली राजस्व बकाया के रूप में ऋणकर्ताओं से वसूल की जाए। इस अधिनियम के अन्तर्गत कृषि एवं राज्य पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत दिये हुए ऋण की वसूली के लिए एक वसूली प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी को, जो जिलाधिकारी होता है, प्रस्तुत किया जाता है। वसूली की यह सरल, बिना किसी व्यय के और त्वरित कार्यवाही है।

यद्यपि ये अधिनियम बैंकों की सुविधा के लिए लाए गये थे लेकिन इनसे वांछित परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं। वसूली प्रमाण पत्र कई वर्षों तक सरकार के पास लम्बित पड़े रहते हैं और जब बैंक के लोग ज्यादा हो हल्ला मचाते हैं तो इनमें या तो आंशिक वसूली कर ली जाती है या इन प्रमाण पत्रों को वापस कर दिया जाता है। वसूली प्रमाण पत्रों के निस्तारण में राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है परन्तु अनुभवों से पता चलता है कि इनके पास वसूली की कोई मशीनरी नहीं है जिससे लम्बित प्रार्थना पत्रों की समस्या बरकरार है।

राज्य सरकारों को चाहिए कि वे स्टेट लेवल बैंकर्स के साथ मिलकर जनपद स्तर पर सम्बन्धित अग्रणी बैंक के नेतृत्व में बैंक देयों के लिए वसूली कक्ष बनायें जिसका व्यय राज्य सरकार और सम्बन्धित बैंक को वहन करना चाहिए। लेखक की राय है कि जनपद स्तर पर वसूली की मशीनरी के गठन के बाद वसूली प्रमाण पत्रों पर शीघ्रातिशीघ्र वसूली सुनिश्चित हो सकेगी। मध्य प्रदेश और गुजरात में ऐसे प्रयोग चल रहे हैं और वे सफल भी रहे हैं।

अभी तक देश में केवल 16 राज्यों ने ही अधिनियम पास किए हैं। अन्य राज्यों को भी अधिनियम पास करके रु. दो लाख तक समस्त ऋणों को वसूली अधिनियम के अन्तर्गत शामिल कर देना चाहिए। जब प्राथमिकता क्षेत्र की सीमा रु. दो लाख तक कर दी गयी है तो यह तर्कसंगत है कि सभी राज्य रु. 2 लाख तक की वसूली के लिए अधिनियम बनाएं। जब राज्य सरकारें बैंकों को रोजगार परक, गरीबी उन्मूलन कार्यों के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लक्ष्य निर्धारित कर रही हैं और अनुश्रवण कर रही हैं तो बैंक देयों की वसूली के लिए भी गंभीर प्रयास करने चाहिए। दोनों में संतुलन समय की मांग है।

लेखक का पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका से प्राथमिकता क्षेत्रों में एन पी ए कम करने में बैंकों को सहायता मिलेगी। बैंकों में एन पी ए की समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या मानकर कदम उठाने होंगे। इसके लिए केवल एक रणनीति ही काफी नहीं है बल्कि बहुआयामी रणनीति जरूरी है।

महत्वपूर्ण परिपत्र

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं -मूल्यांकन अध्ययन

हमने, अल्पसंख्यकों की आर्थिक समस्याओं के व्यापक मूल्यांकन हेतु अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण प्रदान करने में बैंकों द्वारा की गई प्रगति के मूल्यांकन और इस विषय पर हमारे अनुदेशों के कार्यान्वयन (देखें हमारा दिनांक 10 अक्तूबर 1996 का परिपत्र सं.एसपी.बीसी. 43/09.10.01/96-97) के मद्देनजर अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एक **त्वरित अध्ययन** किया । अध्ययन में उन सभी 44 जिलों, जिनकी पहचान अल्पसंख्यक समुदायों पर केन्द्रित करने हेतु की गई है, (अनुबंध क में सूचीबद्ध) तथा इन जिलों में स्थित 59 बैंक शाखाओं को सम्मिलित किया गया है ।

2. इन जिलों में कार्यरत बैंकों से सम्बन्धित अध्ययन के निष्कर्षों का सार अनुबंध ख में दिया गया है । उससे यह स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक समुदायों के ऋण आवेदन पत्रों पर सामान्यतया कार्यवाही बिना अनुचित/सोद्देश्य विलम्ब के की गई थी तथा बिना किसी **वैध कारण** के उन्हें अस्वीकृत नहीं किया गया था, फिर भी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण प्रवाह में गति पर विशेष ध्यान देने के लिए अल्पसंख्यक संकेन्द्रण जिलों में अग्रणी बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे इसके लिए और अधिक प्रयास करें । अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण प्रवाह पर निगरानी और समीक्षा को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है । इन मुद्दों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति/जिला समन्वय समिति की बैठकों में, चर्चा हेतु उठाया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन जिलों में, जिनकी पहचान अल्पसंख्यक समुदायों की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए की गई है । साथ ही, ऋण प्रवाह की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए । स्टाफ के लिए सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समुचित व्याख्यान सत्र सम्मिलित किये जाने चाहिए ताकि वे अल्पसंख्यक समुदायों की ऋण आवश्यकताओं के प्रति और अधिक सकारात्मक रवैया अपनाएं । अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों में बैंकों से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं के प्रति और जागरुकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है । अल्पसंख्यक संकेन्द्रण जिलों के अग्रणी बैंक सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का प्रचार करते हुए यह सुनिश्चित करने हेतु सघन प्रयास करें कि अल्पसंख्यक, विशेष रूप से गरीब और अनपढ़ जनता की पहुँच उत्पादक कार्य आरम्भ करने के लिए बैंक ऋण तक हो ।

3. कृपया अपने सभी नियंत्रक कार्यालयों तथा शाखाओं को इस आशय के समुचित अनुदेश जारी करें कि वे दिनांक 10 अक्तूबर 1996 के हमारे परिपत्र सं.एसपी.बीसी. 43/09.10.01/96-97 में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्रभावी रूप से लागू करें, विशेष रूप से अनुबंध ख में दी गई विशेषताओं को, जिसके अनुसार शाखा स्तर पर सुधारात्मक उपाय आवश्यक है ।

(संदर्भ : ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी. 13/09.10.01/2001-02 दिनांक 13 अगस्त, 2001)

एग्रीक्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्रों के वित्तपोषण हेतु प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी योजना

यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 23 जुलाई 2001 के नाबार्ड के परिपत्र सं.डीपीडी.एफएस 12/2001-02 के अनुसार सूचित किए गए एग्रीक्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्रों को वित्तपोषण की योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण के अंतर्गत कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में सम्मिलित किया जाए । इसे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी छमाही विवरणियों में अग्रिमों की सूचना देते हुए हिसाब में लिया जाए ।

(संदर्भ : ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.सं. 18/05.02.02/2001-02 दिनांक 31 अगस्त, 2001)

प्रेस संपर्क प्रभाग

रिज़र्व बैंक महात्मा गांधी श्रृंखला में 20/- रुपए के नये नोट जारी करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही महात्मा गांधी श्रृंखला में **जलचिह्न** में महात्मा गांधी के चित्र वाले 20 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा ।

प्रमुख विशेषताएं

20/- रुपए के इस नोट का आकार 147 मि.मी. (लम्बाई) x 63 मि.मी. (चौड़ाई) बरकरार रखा गया है । इसमें अशोक स्तम्भ जलचिह्न के बदले महात्मा गांधी का चित्र छाया-प्रकाश के प्रभाव के साथ होगा । जलचिह्न विंडो पर **बहुदिशात्मक** रेखाएँ होंगी । नोट के भीतर "भारत" और "RBI" अक्षरों के साथ सुरक्षा धागा पूरी तरह पिरोया गया है । इस नोट का डिज़ाइन, रंग योजना और अन्य सुरक्षा विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

अग्र भाग

नोट का मुद्रण ऑफसेट और इंटैग्लिओ प्रक्रियाओं के सम्मिश्रण के साथ किया गया है । इस नोट की रंग-योजना मुख्यतः लाल नारंगी है । अशोक स्तम्भ के बदले महात्मा गांधी का चित्र गहरे लाल रंग में है तथा अशोक स्तम्भ का स्थान बदलकर उसे नोट के बायीं तरफ निचले कोने में छोटे आकार में मुद्रित किया गया है । नोट पर भारतीय रिज़र्व बैंक की मुहर और भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. विमल जालान के हस्ताक्षर होंगे । संख्या 20, रिज़र्व बैंक की मुहर, महात्मा गांधी का चित्र, रिज़र्व बैंक का प्रतीक-चिह्न, गारंटी और वचन खंड, गवर्नर के हस्ताक्षर और अशोक स्तम्भ इनसैट इंटैग्लिओ प्रक्रिया से मुद्रित किये गये हैं । नोट पर ये विशेषताएँ उभरे हुए रूप में होंगी । महात्मा गांधी के चित्र के पीछे 'RBI' शब्द और '20' की संख्या सूक्ष्म अक्षरों में दूसरी ओर आयेंगे । दृष्टिहीन व्यक्ति मूल्यवर्ग पहचान सकें, इसलिए नोट पर महात्मा गांधी के चित्र के ऊपर नोट के दायीं ओर उभरे हुए रूप में छोटासा सीधा आयत होगा ।

अग्र भाग पर लाल स्याही से संख्या पटल होगा । नोट के बायीं ओर नीचे और दायीं ओर ऊपरी कोने में संख्यापटल में 'ए' इनसेट होगा ।

पिछला भाग

इसकी **केंद्रीय संकल्पना** में नारियल के वृक्षों वाली भारतीय तटीय रेखा दर्शायी गयी है । नोट का मूल्य बायीं ओर एक आड़े खंड में पंद्रह भाषाओं में नजर आता है । इससे पहले बैंक द्वारा जारी 20 रुपए के नोट, जो चलन में हैं, विधि-सम्मत मुद्रा बने रहेंगे ।

(प्रेस प्रकाशनी : 2001-02/140 दिनांक 2 अगस्त, 2001)

इनसेट अक्षर के बिना 20 रुपए के नोट

भारतीय रिज़र्व बैंक, शीघ्र ही महात्मा गांधी श्रृंखला में संख्या पटलों में इनसेट अक्षर के बिना 20 रुपए के नोट जारी करेगा, जिनपर गवर्नर डॉ. विमल जालान के हस्ताक्षर होंगे । इस परिवर्तन को छोड़कर, अब जारी किये जानेवाले 20 रुपए के नोट (महात्मा गांधी श्रृंखला में) का डिज़ाइन सभी मायनों में इसके पहले महात्मा गांधी श्रृंखला में जारी किये गये डिज़ाइन के समान ही होगा । इसके साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किये गये 20 रुपए मूल्यवर्ग के सभी नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे ।

(प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/361 दिनांक 21 सितंबर, 2001)

मुद्रा प्रबंध विभाग

तिजोरी शेषों में समाविष्ट सीलबंद लिफाफों में रखी राशियों पर दंडात्मक ब्याज लगाना

कृपया दिनांक 9 नवंबर 92 का हमारा परिपत्र मुप्रवि. सं. जी. 19सी 1(1)-92/93 देखें, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि अपने करेंसी चेस्टों में सीलबंद लिफाफों में रखी हुई राशियों को चेस्ट की शेष राशि में शामिल ना करें, क्योंकि इनका उपयोग चेस्ट अधिकारी नहीं कर सकता है ।

अभी हाल ही में ऐसे मामले सामने आये हैं जिनमें चेस्ट की शेष राशियों में सीलबंद लिफाफों जिनमें अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में निर्णय की प्रतीक्षा में सरकारी एजेंसियों की ओर से या बैंक द्वारा रखी नकदी और किसी तीसरे पक्ष जैसे न्यायालय, पुलिस विभाग, इत्यादि द्वारा केवल सुरक्षित अभिरक्षा के लिए रखी हुई नकदी को निकाला नहीं गया है और इन पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दंडात्मक ब्याज लगाया जाना है । कुछ बैंकों ने हमारे पास अपना मामला भेजा है कि चेस्ट की शेष राशियों में ऐसी राशि को गलती से शामिल कर लिये जाने के कारण या कोई अन्य कारण बताते हुए यह अनुरोध किया गया है कि दंडात्मक ब्याज से छूट प्रदान की जाए ।

इसलिए एक बार फिर यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी कारण से सीलबंद लिफाफों में रखी हुई इस प्रकार की नकदी को चेस्ट की शेष राशियों में शामिल न किया जाए । सीलबंद लिफाफों में रखी हुई किसी भी राशि को चेस्ट की शेष राशियों में शामिल करने की तारीख से दंडात्मक ब्याज लगाया जायेगा ।

तथापि, आप इस प्रकार की मद में प्राप्त होनेवाली राशि का उचित रिकार्ड रखें और इन्हें सुरक्षित भी रखें ।

(संदर्भ : डीसीएम.सं. 43/03.35.01/2001-02 दिनांक 28 अगस्त, 2001)

शहरी बैंक विभाग

जाली नोटों का पता लगाने के लिए अल्ट्रा वायलेट लॅम्प उपलब्ध कराना

भारतीय मुद्रा के जाली नोटों को पकड़ने के लिए शहरी सहकारी बैंकों की शाखाओं में अल्ट्रा वायलेट लॅम्पों का होना आवश्यक है । ये लॅम्प बाजार में उचित कीमत पर उपलब्ध हैं । इसलिए आपसे अनुरोध है कि जाली नोटों का पता लगाने हेतु आप अपने बैंक की सभी शाखाओं में अल्ट्रा वायलेट लॅम्प तुरंत उपलब्ध कराएं जिससे जाली नोटों का आसानी से पता लग सके ।

2. प्रसंगवश, हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ बैंकों की शाखाएं 500/- रुपए के नोटों को अभी भी स्वीकार नहीं कर रही हैं या फिर प्रस्तुतकर्ता को उनकी संख्या आदि लिखकर देने को कहती हैं । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए 500/- रुपए के सभी नोट **विधिमान्य मुद्रा** हैं और इसलिए सभी प्रकार के लेनदेन में इन्हें मुक्त रूप से स्वीकार किया जाए । अतः आप कृपया अपनी सभी शाखाओं को अनुदेश जारी करें कि वे 500/- रुपए के सभी नोटों को मुक्त रूप से स्वीकार करें और जनता / ग्राहकों को अनावश्यक असुविधा से बचाएं ।

3. कृपया इस बारे में की गई कार्रवाई से हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय को अवगत कराएं जिसके **अधिकार क्षेत्र** के अंतर्गत आपका बैंक आता है ।

(संदर्भ : शबैंवि.सं.पीओटी.परि. 5/09.73.00/2001-02 दिनांक 2 अगस्त, 2001)

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) धारा 24 - शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश

कृपया उपर्युक्त विषय पर 19 अप्रैल 2001 के हमारे परिपत्र यूबीडी.सं.बीआर 42/16.26.00/2000-2001 का पैरा 4 देखें, जिसके अनुसार 25 करोड़ रुपए और उससे अधिक की निवल जमा और मीयादी देयताओं वाले सभी अनुसूचित और गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास खोले गए एसजीएल खाते अथवा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के संघटक एसजीएल खातों में सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश रखें । समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंक, अब सरकारी क्षेत्र के बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के अलावा, अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, डिपोजिटरीज एंड स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. द्वारा रखे गए संघटक एसजीएल खाते में भी प्रतिभूतियां रख सकते हैं ।

2. हमारे उपर्युक्त परिपत्र में दी गई अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

(संदर्भ : शबैंवि.सं.बीआर. 6/16.26.00/2001-02 दिनांक 9 अगस्त, 2001)

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा बैंकर्स चेक/भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट जारी करना

कृपया दिनांक 17 फरवरी 2001 का हमारा परिपत्र सं.शबैंवि. आई एण्ड एल/2145-जे.20/83-84 देखें जिसमें समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों की जमानत पर आहरण की सुविधा के प्रभावी विनियमन और उसके **दुरुपयोग** की रोकथाम के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय करने के बारे में सूचित किया गया था । उक्त परिपत्र में निहित अनुदेश समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए गए लिखतों की जमानत पर बैंकर्स चेक/भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट जारी करने की अनुमति नहीं देते हैं । इसके अलावा, समाशोधन के लिए प्रस्तुत लिखतों की जमानत पर बैंकर्स चेकों/भुगतान आदेशों/मांग ड्राफ्टों के जारी किए जाने को समाशोधन के लिए प्रस्तुत लिखतों की राशि वसूल होने तक गैर-जमानती अग्रिम माना जाएगा और उन पर गैर- जमानती अग्रिमों की अधिकतम सीमा के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के उपबंध लागू होंगे ।

2. हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ बैंकों ने समाशोधन के लिए प्रस्तुत लिखतों की जमानत पर उनकी राशि वसूल हुए बिना बड़ी राशियों के बैंकर्स चेक/भुगतान आदेश जारी किए थे । प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सावधान किया जाता है कि वे समाशोधन के लिए प्रस्तुत किये गए लिखतों की जमानत पर, उनकी राशि प्राप्त हुए बिना और संबंधित खाताधारकों के खातों में जमा

हुए बिना, बैंकर्स चेक/भुगतान आदेश जारी न करें । इसके अलावा, वे उन नकदी ऋण/ओवर ड्राफ्ट खातों को नामे डालकर बैंकर्स चेक/भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट जारी न करें जो पहले ही स्वीकृत सीमा से अधिक ओवरड्राफ्ट हो गए हैं अथवा खाताधारकों के अनुरोध पर ऐसे लिखतों के जारी किए जाने से जिनके ओवरड्राफ्ट हो जाने की संभावना है ।

(संदर्भ : शबैंवि.सं.बीएसडी I-8/12.05.00/2001-02 दिनांक 31 अगस्त, 2001)

बैंकों का क्रेडिट कार्ड व्यवसाय

हमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का व्यवसाय करने की अनुमति दिए जाने के बारे में कुछ शहरी सहकारी बैंकों से अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं । हमने शहरी सहकारी बैंकों की व्यवसाय प्रोफाइल और क्रेडिट/डेबिट कार्ड के व्यवसाय से जुड़े जोखिम को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की है । यह निश्चय किया गया है कि शहरी सहकारी बैंक स्वयं अथवा अन्य बैंकों के साथ टाइ-अप व्यवस्था के अंतर्गत क्रेडिट/डेबिट कार्ड का व्यवसाय न करें ।

(संदर्भ : शबैंवि.सं.पीओटी.पीसीबी.परि. 9/09.49.01/2001-02 दिनांक 7 सितंबर, 2001)

बड़े मूल्य के निर्यातों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज -रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर

कृपया रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर के संबंध में दिनांक 24 सितंबर 2001 का हमारा परिपत्र शबैंवि. सं. डीएस. एसयूसीबी.परि. 4/13.04.00/2001-2002 देखें । हमें ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि भारत की बड़ी निर्यात परियोजनाओं को अधिक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी शर्तों पर बैंक ऋण की आवश्यकता है । विभिन्न उत्पादों की निर्यात - प्रतिस्पर्धात्मकता को दृष्टिगत रखते हुए इस मुद्दे की जाँच की गई है । भारत सरकार के साथ परामर्श करके कुछ ऐसे चुनिंदा उत्पादों के बड़े मूल्य वाले निर्यातों के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं तथा जिनका **मूल्य परिवर्धन** बहुत अधिक है, एक विशेष वित्तीय पैकेज तैयार किया गया है । वित्तीय पैकेज का विवरण नीचे दिया गया है :

(i) विशेष वित्तीय पैकेज के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र उत्पाद निम्नलिखित हैं :

(क) **औषधियाँ** (दवाओं, बारीक रसायनों सहित),

(ख) कृषि संबंधी रसायन (अकार्बनिक और कार्बनिक रसायनों सहित),

(ग) परिवहन संबंधी उपकरण (वाणिज्यिक वाहनों, दुपहिया और तिपहिया वाहनों, ट्रैक्टरों, रेलवे वैगनों, लोकोमोटिव सहित),

(घ) सीमेंट (ग्लास, ग्लासवेयर, सिरामिक और रिफ्रैक्टरी सहित),

(ङ) लोहा और इस्पात (लोहा और इस्पात की बार/रॉड तथा प्राथमिक एवं अर्धपरिष्कृत लोहा और इस्पात सहित),

(च) विद्युतीय मशीनरी (ट्रांसमिशन लाइन टॉवरों, स्विचगियर, ट्रांसफॉर्मरों सहित)

(ii) उपर्युक्त उत्पादों के ऐसे निर्माता निर्यातक, जिनकी निर्यात संबंधी संविदाएँ एक वर्ष में रु. 100 करोड़ से और उससे अधिक मूल्य की होगी, विशेष वित्तीय पैकेज के लिए पात्र होंगे ।

(iii) वित्तीय पैकेज की वैधता अवधि 1 अक्तूबर 2001 से 30 सितंबर 2002 होगी ।

(iv) विशेष वित्तीय पैकेज के अंतर्गत आने वाले निर्यातकों को पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर स्तरों पर, सामान्य निर्यात ऋणों के लिए लागू क्रमशः 270 दिनों और 180 दिनों की अधिकतम अवधि के बजाय, 365 दिनों तक के लिए ऋण दिया जाएगा । इसके अलावा 270 दिनों से अधिक और 365 दिनों तक की अवधि के पोतलदानपूर्व ऋण की ब्याज दर वही होगी जो 180 दिनों से अधिक और 270 दिनों तक की अवधि के सामान्य पोतलदानपूर्व ऋण के मामले में होती है । उसी प्रकार 180 दिनों से अधिक और 365 दिनों तक की अवधि के पोतलदानोत्तर ऋण की ब्याज दर वही होगी जो 90 दिनों से अधिक और 180 दिनों तक की अवधि के सामान्य पोतलदानोत्तर ऋण के मामले में होती है । दिनांक 24 सितंबर 2001 का निदेश शबैंवि.डीएस.एसयूसीबी.डीआईआर. 2/13.04.00/2001-2002 जिसमें ऋण की अवधि और ब्याज दर संबंधी संशोधनों का विवरण दिया गया है, इस परिपत्र के साथ संलग्न है ।

(v) विशेष वित्तीय पैकेज के अंतर्गत आनेवाले निर्यातों के मामले में निर्यात संबंधी आय की प्राप्ति के लिए सामान्य अनुमति की अवधि 365 दिन तक बढ़ाने के संबंध में विदेशी मुद्रा नियंत्रण

विभाग प्राधिकृत व्यापारियों को आवश्यक निर्देश जारी करेगा ।

2. कृपया अपनी शाखाओं को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें तथा शाखाओं को जारी किए गए परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना और रिकार्ड के लिए हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को भी अवश्य भेजें ।

3. आप से यह भी अनुरोध है कि विशेष वित्तीय पैकेज के अंतर्गत पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर दोनों स्तरों पर दिए गए ऋण का मासिक विवरण भी हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें ।

(संदर्भ : सं.शबैंवि.डीएस.एसयूसीबी.परि. 5/13.04.00/2001-02 दिनांक 24सितंबर, 2001)

आय निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधानीकरण-आस्ति का वर्गीकरण-90 दिन के मानदंड का अपनाया जाना

दिनांक 8 दिसंबर 2000 के हमारे परिपत्र सं. शबैंवि. बीएसडी. I/16/12.05.05/2000-2001 के अनुसार किसी ऋण को अनर्जक (एन पी ए) के रूप में उस समय वर्गीकृत किया जाता है जब ब्याज और/या **मूलधन** की किस्त 180 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है, जबकि सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथा 90 दिन के भुगतान दोष की है । वर्ष 2000-2001 के मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपायों में रिज़र्व बैंक ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि अनर्जक के रूप में किसी आस्ति के वर्गीकरण के लिए 180 दिन के वर्तमान मानदंड को घटाकर 90 दिन कर दिया जाए । तदनुसार, 31 मार्च 2004 से अनर्जक आस्ति (एन पी ए) वह ऋण या अग्रिम होगा जहां ;

i) मीयादी ऋण के संदर्भ में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है,

ii) ओवरड्राफ्ट / नकदी ऋण के संदर्भ में खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए "अनियमित" बना रहता है,

iii) खरीदे और भुनाये गये बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय बने रहते हैं,

iv) कृषि प्रयोजनों के लिए प्रदत्त अग्रिमों के मामले में ब्याज और / या मूलधन की किस्त दो फसलों, परंतु अधिकाधिक दो छमाहियों के लिए अतिदेय बनी रहती है, तथा

v) अन्य खातों के संदर्भ में प्राप्त होनेवाली कोई राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है ।

2. अतः बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे 90 दिन के मानदंड को निर्बाध रूप में अपनाने के उपाय के रूप में 1 अप्रैल 2002 से मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने की प्रथा अपनाएं । तथापि, अनर्जक आस्ति के रूप में किसी अग्रिम के वर्गीकरण की तारीख मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाने के कारण बदली नहीं जानी चाहिए । अतः बैंकों को किसी खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करना उस स्थिति में जारी रखना चाहिए जब तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज अप्रैल 2002 से तिमाही की समाप्ति से 180 दिन के भीतर और 31 मार्च 2004 से तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के भीतर पूरी तरह न चुका दिया जाए । 90 दिन के मानदंड के अनुसार अनर्जक आस्ति का स्पष्ट रूप से पता लगाने के उद्देश्य से बैंकों को बाद में जहां ब्याज और / या मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय बनी रहे वहां ऋण संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए अपनी वर्तमान **प्रबंध सूचना प्रणाली** को उन्नत करना होगा । बैंकों को ऐसे ऋणों के लिए 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष से **अतिरिक्त प्रावधान** करना शुरू कर देना चाहिए, इससे उनके तुलन-पत्र को मजबूती मिलेगी और 31 मार्च 2004 तक 90 दिन के मानदंड में निर्बाध परिवर्तन को सुनिश्चित किया जा सकेगा । अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे आवश्यक तौर-तरीके तैयार कर लें और अपनी कार्य योजनाएं अपने बोर्ड से अनुमोदित करा कर शीघ्र किन्तु हर हालत में 31 दिसंबर 2001 तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर दें ।उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन पर रिज़र्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय छमाही आधार पर निगरानी रखेगा ।

3. मौजूदा **विवेकपूर्ण** विनियमों के अनुसार बैंकों को विभिन्न वर्गों की आस्तियों के संदर्भ में निम्नानुसार प्रावधान करना आवश्यक है :-

आस्ति वर्गीकरण	**प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं**
मानक आस्तियां	0.25%
अवमानक आस्तियां	10%
संदिग्ध आस्तियां	अनर्जक आस्ति की कालावधि के आधार पर जमानतप्राप्त अंश के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच और गैर जमानती अंश का 100%
हानिवाली आस्तियां	100%

हम विवेकपूर्ण प्रावधानों के संदर्भ में विनियामक अपेक्षाओं की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं और यह प्रस्ताव है कि प्रावधान करने संबंधी अपेक्षाओं को भविष्य में धीरे-धीरे बढ़ाया जाये । इस बात को देखते हुए कि उच्च ऋण हानि का प्रावधान करने से बैंकों की समग्र वित्तीय सुदृढ़ता और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता बढ़ती है, बैंकों से अनुरोध है कि वे वांछनीय प्रथा के रूप में, न्यूनतम विवेकपूर्ण स्तरों से काफी अधिक प्रावधानों को स्वैच्छिक रूप से अलग रखें ।

(संदर्भ : सं.शबैंवि.पीसीबी.बीएसडी -I/12/12.05.05/2001-02 दिनांक 5 अक्तूबर, 2001)

हीरे के निर्यातकों को दिए गए ऋण - कॉनफ्लिक्ट डायमंड के आयात पर रोक-लाइबेरिया

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 जनवरी 2001 का हमारा परिपत्र शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी. 24/13.05.00/ 2000-2001 देखें । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकल्प सं. 1343 (2001) द्वारा लाइबेरिया से सभी प्रकार के अपरिष्कृत हीरों के प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, भले ही इन हीरों का उद्‌गम-स्थान लाइबेरिया हो या न हो । तदनुसार यह निश्चय किया गया है कि बैंक अपने उन सभी ग्राहकों से, जिन्हें हीरे से संबंधित किसी भी तरह का कारोबार करने के लिए ऋण दिया जा रहा है, संलग्न संशोधित फॉर्मेट में वचन-पत्र प्राप्त करें ।

2. इसके अलावा, कॉनफ्लिक्ट डायमंड के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अब तक पारित किए गए संकल्प सं. 1173, 1176, 1306 (2000) और 1343 (2001) के अनुसार यह अपेक्षित है कि इनसे संबंधित प्रतिबंधों / निषेधों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना संयुक्त राष्ट्र को तुरंत दी जानी चाहिए । इसे दृष्टिगत रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र के इन संकल्पों के प्रावधानों के उल्लंघन की आप को जब भी जानकारी मिले, आप उससे हमें तुरंत अवगत कराएँ । उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 2 और 3 में उल्लिखित अर्धवार्षिक विवरण का भेजा जाना जून 2001 को समाप्त अर्धवर्ष से तुरंत बंद कर दिया जाए ।

(संदर्भ : सं.शबैंवि.डीएस.पीसीबी.परि.15/13.05.00/2001-2002 दिनांक 15 अक्तूबर, 2001)

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

कंपनी ऋण पुनर्विन्यास (सी डी आर)

आपको विदित ही है कि देश में कंपनी ऋण पुनर्विन्यास के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जो इंग्लैंड, थाइलैंड, कोरिया, मलेशिया जैसे देशों में प्रचलित इसी प्रकार के तंत्र की तरह का हो । इस आवश्यकता की ओर भारत सरकार, रिज़र्व बैंक, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का ध्यान रहा है । भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से की गयी व्यापक चर्चाओं के आधार पर कंपनी ऋण के पुनर्विन्यास को अंतिम रूप दिया गया है और यह योजना बैंकों द्वारा कार्यान्वयन के लिए संलग्न है ।

2. कंपनी ऋण पुनर्विन्यास के ढांचे का उद्देश्य **औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड** (बी आइ एफ आर), **ऋण वसूली अधिकरण** (डी आर टी) तथा अन्य कानूनी कार्यवाही की परिधि से बाहर के आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित संभाव्य क्षमता वाली कंपनियों के कंपनी ऋणों के पुनर्विन्यास के लिए समय पर और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करना है, जो सभी संबंधित संस्थाओं के लिए लाभदायक हो । उक्त कंपनी ऋण पुनर्विन्यास बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास केवल 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक के बकाया ऋणों के बहुविध बैंकिंग खातों / सिंडिकेट / सहायता संघीय खातों पर लागू होगा ।

3. यह देखा जा सकता है कि कंपनी ऋण पुनर्विन्यास अधिकारप्राप्त समूह कंपनी की संभाव्य और पुनर्वास क्षमता की ही जांच करेगा और पुनर्विन्यास पैकेज का अनुमोदन करेगा । यह सूचित किया जाता है कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि अधिकारप्राप्त समूह में उनके प्रतिनिधि पर्याप्त वरिष्ठ स्तर के हों, यदि कार्यपालक निदेशक के स्तर के हों तो अधिक अच्छा रहेगा और उन्हें ऋण के पुनर्विन्यास के संबंध में अपने बैंक की ओर से कुछ त्याग करने सहित वचन देने के लिए अपने निदेशक मंडल से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त हों ।

4. आपका ध्यान अनुबंध के पैराग्राफ 4.2 की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसमें कंपनी ऋण पुनर्विन्यास प्रणाली के लिए कानूनी आधार बताया गया है । चूंकि ऋणकर्ता कंपनी को ऋणकर्ता - ऋणदाता करार को या तो मूल ऋण के दस्तावेज तैयार करते समय (भविष्य के मामलों के लिए) अथवा कंपनी ऋण पुनर्विन्यास कक्ष को मामला सौंपते समय स्वीकार

करना होगा, अतः बैंक इस प्रयोजन के लिए उचित दस्तावेज तैयार करना सुनिश्चित करें ।

5. कंपनी ऋण पुनर्विन्यास प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी मानक और अवमानक खाते ऋणदाता द्वारा उनके सामान्य **नीतिगत मापदंडों** और **पात्रता मानदंडों** के अनुसार नीतिगत आवश्यकताओं के लिए नये वित्तपोषण के पात्र बने रहेंगे ।

6. इस परिपत्र को कृपया आप अपने निदेशक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत करें ।

(संदर्भ : बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 15/21.04.114/2001-02 दिनांक 23 अगस्त, 2001)

नॉस्ट्रो खातों का समाधान -
पुरानी बकाया जमा प्रविष्टियां

कृपया 1 जुलाई 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 67/21.04.018/99 देखें, जिसके अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित था कि

(क) 31 मार्च 1996 तक की अवधि की उन प्रविष्टियों के संबंध में जो 31 मार्च 2000 को समाधान हेतु शेष हों, उनके प्रत्येक नॉस्ट्रो खाते की जमा / नामे प्रविष्टियों को संबंधित **प्रतिरूप खाते** की नामे / जमा प्रविष्टियों में से घटाया जाये,

(ख) कुल शुद्ध नामे और कुल शुद्ध जमा स्थितियों की गणना की जाये तथा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक खाते की शुद्ध नामे स्थिति को दूसरे खाते की शुद्ध जमा स्थिति के साथ या इसके विपरीत स्थितियों को समायोजित नहीं किया जाये,

(ग) 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए बैंकों के खातों में कुल शुद्ध नामे राशि को लाभ-हानि खाते में तथा कुल शुद्ध जमा को **विविध लेनदार खाते** में अंतरित किया जाये,

(घ) 1 अप्रैल 1996 को या उसके बाद सृजित नॉस्ट्रो खातों और प्रतिरूप खातों की समाधान न की गयी ऐसी नामे प्रविष्टियां जो तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं, उनके लिए प्रत्येक वर्ष में शत-प्रतिशत प्रावधान किया जाये तथा

(ङ) 1 अप्रैल 1996 तथा इसके बाद सृजित नॉस्ट्रो खातों और प्रतिरूप खातों की समाधान न की गयी और **गैर दावाकृत जमा खाते** की तरह के किसी खाते में तीन वर्ष से अधिक बकाया जमा प्रविष्टियों को प्रत्येक वर्ष अंतरित किया जाये ।

2. उपर्युक्त अनुदेशों को कार्यान्वित किये जाने के फलस्वरूप फुटकर लेनदारों / गैर दावाकृत जमा खातों में निहित जमा शेष के व्यवहार के संबंध में मार्गदर्शन मांगते हुए हमें बैंकों से संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं । चूंकि उक्त खातों में निहित जमा शेष राशियां समाधान न की गयी ऐसी प्रविष्टियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कुछ मामलों में अधिक हैं और इसलिए धोखाधड़ी होने की आशंका है, अतः हमने इस मामले की जांच की है और इस बीच यह निर्णय किया गया है कि बैंकों द्वारा 30 सितंबर 2001 को बैंकों की बहियों में परिलक्षित फुटकर लेनदार / गैर दावाकृत जमा खातों में रहने वाले उस जमा शेष को जो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करता हो -

(क) अप्रैल 1996 के पहले की अवधि से संबंधित प्रविष्टियों को घटाने के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध जमा शेष (ऊपर 1 (ग) में उल्लिखित) तथा

(ख) 1 अप्रैल 1996 को या उसके बाद सृजित होने वाली ऐसी जमा प्रविष्टियां जो तीन वर्ष से अधिक समय से नॉस्ट्रो / प्रतिरूप खातों में बिना समाधान के पड़ी हैं (ऊपर 1(ङ) में उल्लिखित)

अलग-अलग **अवरुद्ध खातों** में अंतरित किया जाना चाहिए तथा तुलनपत्र में “अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य” (अनुसूची 5 की मद iv) के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए । अवरुद्ध खातों में जमा शेष की प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात / सांविधिक चलनिधि अनुपात रखने के प्रयोजन हेतु गणना की जायेगी ।

3. साथ ही हम यह सूचित करते हैं कि बैंकों को अवरुद्ध खातों में अंतरित प्रविष्टियों के समाधान के कार्य को गंभीरता से करना चाहिए । अवरुद्ध खातों से कोई समायोजन हो तो उसकी अनुमति दो अधिकारियों द्वारा प्राधिकृत करने के बाद ही दी जानी चाहिए, जिनमें से एक अधिकारी संबंधित शाखा से बाहर का हो, यदि राशि एक लाख रुपये से अधिक हो तो बेहतर हो कि वह नियंत्रक / प्रधान कार्यालय से हो ।

(संदर्भ : बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी 16/21.04.018/2001-02 दिनांक 24 अगस्त, 2001)

अंतर-शाखा खाते -शुद्ध नामे
शेष हेतु प्रावधान करना

कृपया 24 मार्च 1999 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 22/21.04.018/99 देखें, जिसमें बैंकों को सूचित

किया गया था कि 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को तीन वर्ष से अधिक समय तक बकाया, समाधान न की गयी प्रविष्टियों (नामे तथा जमा दोनों) से उनके अंतर-शाखा खातों में बनी शुद्ध नामे स्थिति के लिए बैंक शत-प्रतिशत प्रावधान करें ।समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अंतर-शाखा खातों में शुद्ध नामे शेष हेतु प्रावधान करने के लिए अनुमत अवधि को 10 जनवरी 2000 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 133/21.04.018/2000 द्वारा 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष से तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दिया गया था ।

2. यह स्मरण होगा कि 28 अप्रैल 1993 के परिपत्र बैंपविवि.सं. 114/16.01.001/93 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे छः महीनों की अवधि के भीतर अंतर-शाखा प्रविष्टियों का समाधान करें । इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा इन अनुदेशों का पालन करने के लिए बैंकों की ओर से आवश्यक प्रयासों का महत्व प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि अंतर-शाखा खातों में शुद्ध नामे जमा हेतु प्रावधान करने के लिए अनुमत अवधि को 31 मार्च 2002 को समाप्त होनेवाले वर्ष से दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष किया जाये ।

3. तदनुसार, बैंकों को अंतर-शाखा खातों में 31 मार्च 2002 को एक वर्ष से अधिक बकाया समाधान न की गयी प्रविष्टियों की श्रेणीवार शुद्ध स्थिति की गणना करनी चाहिए और सभी श्रेणियों के अंतर्गत कुल शुद्ध नामे के 100 प्रतिशत के बराबर प्रावधान करना चाहिए । ऐसा करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि :

(i) 27 जुलाई 1998 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 73/21.04.018/98 में निहित अनुदेशों के अनुसार सृजित **अवरुद्ध खाते** में जमा शेष को भी हिसाब में लिया जाये; तथा

(ii) एक श्रेणी के अंतर्गत निवल नामे को दूसरी श्रेणी की जमा के साथ समायोजित न किया जाये ।

(संदर्भ : बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 17/21.04.018/2001-02 दिनांक 24 अगस्त, 2001)

मार्जिन ट्रेडिंग के लिए बैंक वित्त

कृपया आप 11 मई 2001 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं.बीपी.बीसी. 119/21.04.137/2000-01 देखें, जिसमें इक्विटी के बैंक वित्तपोषण और शेयरों में निवेश के लिए संशोधित दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं ।

2. रिज़र्व बैंक - सेबी की तकनीकी समिति ने 'मार्जिन ट्रेडिंग' लागू करने में निहित मुद्दों की जांच की है । पूंजी बाज़ार और अर्थव्यवस्था की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समिति ने सिफारिश की है कि भारत में बैंकों द्वारा मार्जिन ट्रेडिंग की अनुमति दी जानी चाहिए ।

3. रिज़र्व बैंक - सेबी की तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रायोगिक तौर पर यह निर्णय किया गया है कि मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्त प्रदान करने की बैंकों को अनुमति दी जाये, जो 11 मई 2001 के उपर्युक्त परिपत्र में पूंजी बाज़ार के लिए बैंकों के ऋण आदि जोखिम की निर्धारित 5 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर होगी । तदनुसार बैंक मार्जिन ट्रेडिंग के लिए दलालों को बैंक वित्त सक्रिय व्यापार वाली उन स्क्रिपों के लिए प्रदान कर सकते हैं, जो एन एस ई निफ्टी और बी एस ई सेन्सेक्स का हिस्सा हैं, जो नीचे पैराग्राफ 5 में बताये गये दिशा-निर्देशों के अधीन होगा ।

4. ये दिशा-निर्देश 60 दिन की अवधि (अर्थात 22 नवंबर 2001 तक) के लिए वैध होंगे । प्राप्त अनुभव के आधार पर इन दिशा-निर्देशों के कार्य की समीक्षा की जायेगी और उसके बाद नये दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे ।

5. जो बैंक मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्त प्रदान करना चाहें उन्हें निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए :

(क) न्यूनतम मार्जिन

मार्जिन ट्रेडिंग के लिए दी गयी निधियों पर बैंकों द्वारा 40 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन रखा जायेगा ।

(ख) जोखिम प्रबंधन

(i) मार्जिन से खरीदे गये शेयर अभौतिक रूप में होने चाहिए और ऋण देने वाले बैंक के पास गिरवी होने चाहिए ।

(ii) मार्जिन (40 प्रतिशत) की निगरानी के लिए बैंकों को उपयुक्त प्रणालियां लागू करनी चाहिए । यदि शेयर दलाल / ग्राहक मांगे गये मार्जिन को पूरा न करें तो ऋण देने वाले बैंक को चाहिए कि संपार्श्विक

जमानत / खरीदे गये शेयरों का तत्काल समापन करें और ऋण का समायोजन करें ।

(iii) बैंक के निदेशक मंडल को चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय निर्धारित करें कि मार्जिन ट्रेडिंग के संबंध में स्टॉक दलाली करने वाली कंपनियों / स्टॉक दलालों की अंतःसंबद्ध कंपनियों और बैंक के बीच कोई **दुरभिसंधि** न बन पाये । बैंक द्वारा मार्जिन ट्रेडिंग का फैलाव अनेक दलालों और शेयर दलाली करने वाली कंपनियों के बीच उचित रूप से हो । बैंक से मार्जिन ट्रेडिंग की सुविधा लेने वाले शेयर दलालों द्वारा अपनी संबद्ध कंपनियों, रिश्तेदारों या कारोबार में संबद्ध अथवा प्रवर्तकों / बैंक के निदेशकों को इस सुविधा के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऋण देने पर पाबंदी होनी चाहिए । बैंकों को मार्जिन ट्रेडिंग के अंतर्गत उधार दी गयी निधियों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने की भी उपयुक्त प्रणाली अपनानी चाहिए ।

6. मूल्यन और प्रकट करना

11 मई 2001 के परिपत्र के अनुबंध के पैराग्राफ 13 में बतायी गयी प्रकट करने से संबंधित अपेक्षाओं के अतिरिक्त बैंकों को चाहिए कि वे अपने तुलनपत्र में 'लेखा संबंधी टिप्पणियों' में मार्जिन ट्रेडिंग के लिए दिये गये कुल वित्त को प्रकट करें ।

7. अन्य शर्तें

अन्य बातों के संबंध में 11 मई 2001 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 119/21.04.137/2000-2001 में निर्धारित नियम और शर्तें लागू होंगी ।

(संदर्भ : बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 27/21.04.137/2001 दिनांक 22 सितंबर, 2001)

प्रयुक्त शब्दावली

मूल्यांकन अध्ययन	Evaluation Study
त्वरित अध्ययन	Quick Study
वैध कारण	Valid Reason
जलचिह्न	Watermark
बहुदिशात्मक	Multi-directional
केंद्रीय संकल्पना	Central theme
जाली नोट	Forged notes
विधिमान्य मुद्रा	Legal tender
अधिकार क्षेत्र	Jurisdiction
दुरुपयोग	Misuse
मूल्य परिवर्धन	Value addition
औषधियां	Pharmaceuticals
मूलधन	Principal amount
प्रबंध सूचना प्रणाली	Management Information System
अतिरिक्त प्रावधान	Additional Provisions
विवेकपूर्ण	Prudential
अवमानक आस्तियां	Sub-standard Assets
संदिग्ध आस्तियां	Doubtful Assets
कंपनी ऋण पुनर्विन्यास	Company Debt Restructuring
औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड	Industrial & Financial Reconstruction Board
ऋण वसूली अधिकरण	Debt Recovery Tribunal
नीतिगत मापदंड	Policy Parameters
पात्रता मानदंड	Eligibility Criteria
समाधान	Reconciliation
प्रतिरूप खाता	Mirror account
विविध लेनदार खाता	Sundry Creditors Account
गैर दावाकृत जमा खाता	Unclaimed Deposits Account
अवरुद्ध खाते	Blocked Accounts
दुरभिसंधि	Nexus
मूल्यन	Valuation

पुस्तक समीक्षा

पुस्तक का शीर्षक : भारत की अर्थनीति - नए आयाम
लेखक : सी. रंगराजन
प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज
संस्करण : प्रथम, नवम्बर 2000
पृष्ठ संख्या : 224
मूल्य : 225 रुपए

"*भारत की अर्थनीति - नए आयाम*" एक ऐसी शख्सियत द्वारा लिखी गयी है जिसे भारत की अर्थनीति के बारे में न केवल मौखिक अनुभव है, बल्कि व्यावहारिक अनुभव भी है। पिछले एक दशक में भारत की अर्थनीति में उदारीकरण के कारण जो व्यापक परिवर्तन हुए हैं, उनको व्यावहारिक जामा पहनाने में पुस्तक के लेखक डॉ. चक्रवर्ती रंगराजन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डॉ. रंगराजन एक जानेमाने अर्थशास्त्री भी हैं एवं उनको अध्यापन का भी काफी अनुभव है । यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई पुस्तक लिखी जाती है तो निश्चय ही वह एक अनूठी कृति होगी ।

यह पुस्तक एक टेक्स्ट बुक न होकर लेखक द्वारा नवंबर 1997 के बाद दिये गये व्याख्यानों का संकलन है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था में हुए बदलावों एवं उतार-चढ़ावों का सम्पूर्ण विवरण मिलता है । जबकि सारे विश्व की अर्थव्यवस्था में नित नये परिवर्तन हो रहे हैं, एवं भारत भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं है, वर्तमान पुस्तक, भारतीय अर्थनीति में आये बदलावों एवं नये आयामों को सही ढंग से जानने एवं समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है ।

यद्यपि पुस्तक व्याख्यानों का संकलन है, अतः विभिन्न अध्यायों के विषयों पर आपस में कोई तारतम्य नहीं है, फिर भी मुद्रा नीति से सम्बंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी है एवं भारत के परिप्रेक्ष्य में मुद्रा नीति, इसके लक्ष्य एवं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये गये प्रयासों का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

मैं विशेषतः अध्याय 8, जो कि 'पूर्वी एशियाई संकट से सम्बंधित' है, का उल्लेख करना चाहूँगा । वर्ष 1997-98 का पूर्वी एशियाई संकट एक ऐसा संकट था जिससे पूरी दुनिया सकते एवं संकट में आ गयी थी एवं जिसके प्रभाव भविष्य में भी लम्बे समय तक याद किये जाते रहेंगे । बहुत-से ऐसे व्यक्ति होंगे जो अभी तक यह नहीं जानते कि इस संकट के क्या कारण थे एवं वास्तव में यह संकट क्या था । लेखक ने इस जटिल समस्या का बहुत ही प्रभावशाली रूप में विवरण प्रस्तुत किया है ।

पुस्तक पढ़ने से एक बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि यह लेखक के अंग्रेजी में दिये गये व्याख्यानों का हिन्दी में अनुवाद है । हिन्दी अनुवाद भी हिन्दी की प्रचलित एवं सरल भाषा में न करके, अंग्रेजी का अक्षरशः अनुवाद किया गया है एवं अनुवाद के लिए हिन्दी में प्रचलित शब्दों का उपयोग न करके "वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली" का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से कहीं-कहीं तो लेखक के कथ्य को समझने में भी कठिनाई होती है । उदाहरणस्वरूप पृष्ठ 29 पर 'अर्थमितिपरक माडल', पृष्ठ 30 'अन्तर्लीन, कीमतों' पृष्ठ 36 'सन 1982-83

में राजस्व अतिरिक्त था और तबसे राजस्व घाटा बढ़ता गया है एवं इसे 1996-97 में 6.8 प्रतिशत तक लाया गया लेकिन *हमसे* अगले वर्ष यह 8.2 प्रतिशत पर पहुँच गया ।' पृष्ठ 39 'मुख्य कार्य है एक ऐसा फार्मूला तलाशना जिसमें गैर फायदेमन्द राज्यों की समस्या का समाधान हो ।' पृष्ठ 64 - 'चक्रवृद्धि पूँजी निपज अनुपात (Incremental capital output Ratio) जिसको पृष्ठ 69 पर वृद्धिमान पूँजी उत्पादन (Incremental Capital Output) अनुपात' लिखा गया है । पृष्ठ 72 - 'वहीं स्वच्छ जल तक घरेलू पहुंच में 0.3 प्रतिशत,' पृष्ठ 89 'अधिक रफ्तार एवं दहकती धनरासी (Hot Money)' पृष्ठ 105 पूंजी का चरित्र आदि ऐसे शब्द एवं वाक्य हैं जिन्हें समझने में कठिनाई होती है ।

इसके अतिरिक्त छपाई में भी त्रुटियाँ हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रूफ रीडिंग ठीक से नहीं की गयी है । उदाहरणार्थ - 'भारतीय रिज़र्व बैंक' को 'भारतीय रिजर्व बैंक' लिखा गया है । "आभार" के अन्तर्गत रिजर्व बैंक आव इन्डिया लिखा है, एवं श्री एस. एस. तारापोर तथा डॉ. वाई. वी. रेड्डी से की गयी चर्चाओं को *उत्तेजक* कहा गया है, जो कि इस सन्दर्भ में शब्द का उचित चयन प्रतीत नहीं होता । पृष्ठ 33 'वर्ष 1995-95, 1994-94' पृष्ठ 45 - '1986-86', पृष्ठ 74 'इसे कृषिविकास के लिए,' पृष्ठ 87 'इस प्रकार के व्यापार के बढ़ावा देना है' पृष्ठ 88-'1996-17' आदि छपाई की गलतियों के उदाहरण हैं ।

प्रसंगवश मैं अध्याय 1 मुद्रास्फीति तथा मुद्रा की आपूर्ति - (पृष्ठ 26) के वाक्य (जाहिर है यदि वास्तविक मुद्रा सन्तुलन लोगों की मांग से अधिक हो तो इसका दबाव वस्तुओं और सेवाओं या परिसम्पतियों की मांग पर पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरुप इनकी कीमतें बढ़ जाएँगीं) की ओर दिलाना चाहता हूँ । इस वाक्य में लेखक का अभिप्राय शायद वास्तविक मुद्रा आपूर्ति से है, न कि सन्तुलन से ।

यदि उपर्युक्त कमियां न होतीं एवं पुस्तक हिन्दी की सरल बोलचाल की भाषा में लिखी गयी होती, तो निश्चय ही यह पुस्तक भारत की अर्थनीति को समझने में अहम भूमिका निभा सकती थी । अनुवाद और प्रूफ की त्रुटियों ने लेखक की महत्वपूर्ण बातों का महत्व कई स्थानों पर कम कर दिया है । (ऊपर के उद्धरणों में वर्तनी की त्रुटियां भी पुस्तक से यथावत लेने के कारण हैं) ।

श्री आर. सी. अग्रवाल
महा प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा
मुंबई 400 005

पुस्तक का शीर्षक : भारतीय राज्यों का विकास-कुछ प्रादेशिक अध्ययन
लेखक : अमर्त्य सेन और ज्यां द्रीज़
प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज
संस्करण : प्रथम, अप्रैल 2000
पृष्ठ संख्या : 303
मूल्य : 250 रुपए

उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्यों ? केरल की प्रगति के कारण क्या हैं तथा पश्चिम बंगाल के विकास का आधार क्या है ? क्या देश के सभी राज्यों का समुचित विकास न हो पाने का एक कारण यह नहीं है कि जरूरतें अधिक हैं और सुधार कम हैं ? यद्यपि भारत के विभिन्न राज्यों की स्थितियां भिन्न हैं, फिर भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो प्रायः सभी राज्यों पर लागू होती हैं । वे सामान्य बातें क्या हैं ? ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सेन और ज्यां द्रीज़ की पुस्तक *भारतीय राज्यों का विकास* से मिलते हैं ।

पांच अध्यायों में बंटी इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों का विस्तृत अध्ययन किया गया है । अनेक समस्याओं को पहचानने की कोशिश की गयी है । जरूरतें ज्यादा, सुधार कम नाम से पहले अध्याय में अमर्त्य सेन और

ज्यां द्रीज़ ने भारत की सामान्य आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर प्रकाश डाला है। इसमें संकीर्ण दृष्टिकोण त्यागकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बतायी गयी है। आगे के तीन अध्यायों में क्रमशः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल की स्थितियों का विवेचन किया गया है। यह विवेचन इन राज्यों के कुछ गांवों और कस्बों के वास्तविक सर्वेक्षण और राज्यों में व्याप्त सामान्य स्थितियों के आधार पर है। किये गये सर्वेक्षण निःसंदेह इन तीनों राज्यों की संपूर्ण स्थिति के परिचायक हैं। पुस्तक में दर्शायी गयी समग्र स्थिति को समझने के लिए लेखकों और सर्वेक्षणकारों के कुछ निष्कर्षों की चर्चा करना उचित रहेगा।

उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के कारणों में प्रमुख हैं - प्रदेश में व्याप्त अशिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान देना तथा उत्पादन कार्यों से स्त्रियों को वंचित रखना, सार्वजनिक सेवाओं में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, जातीयता का जहर और राजनीतिक दलों की गैरजिम्मेदाराना दखलंदाजी, गांवों में अत्यधिक गुटबाजी, जनन दर पर अंकुश न होना आदि। इनके अतिरिक्त '*भू सुधारों का बंटाधार, जनस्वास्थ्य व्यवस्था का परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा अपहरण, सार्वजनिक स्कूल व्यवस्था का अधोपतन*' और '*स्थानीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का अति भंगुर आधार*' भी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की स्थितियों से थोड़ा भी परिचित व्यक्ति इन निष्कर्षों से सहमत होगा। ज्यां द्रीज़ और हेरिस गज़दर द्वारा किये गये उत्तर प्रदेश के सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का विशद चित्रण मिलता है।

पश्चिम बंगाल से संबंधित सर्वेक्षण में मुख्यतः वहां के भूमि सुधारों और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विवेचन है। सुनील सेनगुप्ता और हैरिस गज़दर द्वारा किये गये सर्वेक्षणों और निकाले गये निष्कर्षों में भूमि सुधारों से राज्य को मिले लाभों का विशेष उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सामाजिक स्थितियों, साक्षरता, पंचायती राज व्यवस्था और राजनीतिक आंदोलनों के परिणाम-स्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के समग्र विकास में लोगों की भागीदारी पर पड़े प्रभावों की भी चर्चा की गयी है। इसके साथ ही वर्तमान में हो रहे परिवर्तनों पर भी लेखकों ने दृष्टिपात किया है।

केरल के संबंध में लेखकों का दृष्टिकोण प्रशंसनीय रहा है। उसके विकास के अनेक कारण हैं, जिनमें निर्विवाद रूप से सबसे महत्वपूर्ण कारण शिक्षा का प्रसार, उत्तम स्वास्थ्य-सेवाएं, समाज के प्रायः सभी वर्गों में राजनीतिक चेतना और विकास में महिलाओं की समान रूप से भागीदारी है। केरल में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात अन्य राज्यों तथा संपूर्ण देश की तुलना में कहीं अधिक है। पुस्तक में इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि मिशनरियों ने, भले ही धर्म-प्रचार के लिए ही सही, राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत योगदान किया है। शायद इन्हीं सब बातों का परिणाम केरल के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास में सभी के योगदान में दिखायी देता है। इस अध्याय को वी. के. रामचंद्रन ने तैयार किया है।

अंतिम अध्याय भारत में मृत्यु दर, जनन दर तथा स्त्री-पुरुष भेदभाव पर है। इसे ममता मूर्ति, एन-कैथरीन गुइयो और ज्यां द्रीज़ ने तैयार किया है। इस अध्याय में संपूर्ण देश के संदर्भ में समाज के उत्थान में नारी की बृहत्तर भूमिका पर विशेष रूप से विचार किया गया है। इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि नारी साक्षरता और श्रम में उसकी समान रूप से भागीदारी से समाज के अभावों को काफी हद तक दूर करने में मदद मिलती है। नारी शिक्षा से जनन दर को कम करने, पारिवारिक स्वास्थ्य सुधारने और संपूर्ण समाज के शैक्षिक स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है।

पुस्तक की भाषा-शैली का उल्लेख भी प्रासंगिक होगा। मूलतः अंग्रेजी में तैयार की गयी पुस्तक का अनुवाद किया है भवानी शंकर बागला ने। अनुवाद मूल जैसा तो नहीं हो सकता, फिर भी अनुवाद बोझिल और उबाऊ नहीं है, यह बात महत्वपूर्ण है। हालांकि कई जगह अप्रचलित और अशुद्ध प्रयोग भी हैं - उदाहरण के लिए पितृनुगामी (शुद्ध रूप पितानुगामी), सारे राज्यव्यापी स्तर (राज्यव्यापी है तो सारे शब्द क्यों ?), बढ़ता हुआ जनांकिकीय, सामाजार्थिक, प्रबलतायुक्त, कृषित क्षेत्र आदि शब्दों के प्रयोग देखे जा सकते हैं।

कुल मिलाकर पुस्तक पठनीय और उपयोगी है।

डॉ. राजेश्वर गंगवार
महा प्रबंधक,
भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा
मुंबई - 400 005

लेखकों से

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' बैंकिंग विषयों को समर्पित एकमात्र पत्रिका है जिसकी प्रतियाँ बैंकों की शाखाओं, कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थाओं के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक, उसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, विभागों आदि को उपलब्ध करायी जाती हैं। इस प्रकार यह पत्रिका समूचे बैंकिंग क्षेत्र में पाठकों के एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा पढ़ी जाती है।

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखनेवाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी ? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर सांकेतिक मानदेय देने की व्यवस्था है। ***कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :-***

- सामग्री ***बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों*** पर ही है।
- उसमें दी गयी जानकारी ***उपयोगी*** और ***अद्यतन*** है एवं ***अधिकतम 8 टंकित पृष्ठों*** में है।
- वह कागज़ के ***एक ओर*** स्पष्ट अक्षरों में ***लिखित*** अथवा ***टंकित*** है।
- यथासंभव ***सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली*** का प्रयोग किया गया है और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिये गये हैं।
- यह प्रमाणित करें कि लेख ***मौलिक है,*** प्रकाशन के लिए ***अन्यत्र नहीं भेजा गया है*** और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
- लेख में शामिल ***आंकड़ों, तथ्यों आदि के संबंध में स्रोत*** का स्पष्ट उल्लेख करें।
- प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि ***जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती,*** संबंधित लेख किसी ***अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।***